2022

जिला आपदा प्रबंधन योजना, दरभंगा

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला आपदा प्रबंधन)

ई-मेल–apdadbg@gmail.com दूरभाष/फैक्स–06272–2245055

पत्रांक :– 1921 लहेरियासराय दिनांक :– 24.12.22

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी
–सह–
अध्यक्ष, जिला
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
दरभंगा।

सेवा में ,

सचिव,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
पटना।

विषय :– जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) तैयार किये जाने के संबंध में।

विषय :– भवदीय पत्रांक 4389 / प्राधि0, दिनांक 13.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) तैयार करने हेतु भवदीय द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया है। तैयार (DDMP) इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ भवदीय को भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

24/12/22

जिला पदाधिकारी
–सह–
अध्यक्ष, जिला
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
दरभंगा।

जिला आपदा प्रबंधन योजना, दरभंगा
अनुक्रमणिका

	विषय	पेज सं.
	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन योजना Disaster Management Act-2005 & District Disaster Management Plan	
अध्याय 1	1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतगर्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संबंधी अध्याय	1-6
	1.2 उद्देश्य	6
	1.3 योजना का कार्यक्षेत्र	7
	1.4 योजना निर्माण पद्धति	7-8
	1.5 योजना का कार्यान्वयन	9
	1.5.1 मुख्य हितधारक तथा उनके दायित्व	9-11
	1.6 योजना की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण	11
अध्याय 2	जिला का परिचय District Profile	
	2.1 परिचय	12
	2.2 जनसंख्या विवरण	12-13
	2.3 भौगोलिक स्थिति	14
	2.3 कृषि	14
	2.4 विद्यालय	14
	2.5 पशुपालन	15

अध्याय 3	**खतरा, जोखिम, सवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण** Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis	
	3.1 जिला में विद्यमान खतरों का विश्लेषण	16
	3.2 जिला में संभावित खतरों का प्रभाव	17
	3.3 आपदाओं, संवेदनशीलता एवं जोखिमों का विश्लेषण	17
	3.3.1 बाढ़	
	3.3.1.1 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	17-22
	3.3.1.2 संवेदनशील तटबंध स्थल	23-24
	3.3.1.3 बाढ़ प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन	25-55
	3.3.2 भूकम्प	
	3.3.2.1 भूकम्प एंव इससे क्षति के कारक	56
	3.3.2.2 भूकम्प से क्षति का अनुमान	56
	3.3.2.3 जिला में भूकम्प का इतिहास	57
	3.3.2.4 भूकम्प के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन एवं कार्यक्रम	57
	3.3.3 सूखा	
	3.3.3.1 सूखा का संकेतक	57-58
	3.3.3.2 वर्षापात की स्थिति	58
	3.3.5 वज्रपात	
	3.3.5.1 वज्रपात से हुई मृत्यु	59
	3.3.5.2 वज्रपात से बचाव के उपाय	59
	3.3.5.3 वज्रपात से संबंधित सामान्य जानकारी	60
	3.3.6 डूबने से होने वाली मृत्यु का विशलेषण	60
	3.3.7 अगलगी	
	3.3.7.1 खतरे का आकलन	61
	3.3.7.2 अगलगी का मुख्य कारण	61
	3.3.7.3 अगलगी से संबंधित आँकड़े	61
	3.3.8 गर्मी/लू	62
	3.3.9 शीतलहर एवं इसके प्रभाव	62
	3.3.10 सड़क दुर्घटनाओं का विशलेषण	63-67
	3.3.11 सर्पदंश	67
	3.3.12 भगदड़	68
	3.3.13 महामारी कोविड–19	68
	3.3.14 चक्रवात/ऑधी तूफान/ओलावृष्टि	69

अध्याय 4	**संस्थागत ढाँचा** Instituional Arrangement	70
	4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	71
	4.2 पंचायती राज संस्थाये	71
	4.3 आपदा प्रबंधन से संबंधित संगठन :	71-73
अध्याय 5	**आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय** Prevention, Mitigation and Preparedness Measures	74
	5.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड–मैप	74-75
	5.2 आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी हेतु किए जाने वाले विभिन्न कार्य	76-83
अध्याय 6	**संस्थागत क्षमतावर्द्धन** (Institutional Capacity Building)	84
	6.1 संस्थागत क्षमतावर्द्धन	84
	6.2 क्षमतावर्द्धन से संबंधित कार्यक्रम	85-86
	6.3 प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं प्रशिक्षित लोगों की सूची	86-87
	6.4 जागरूकता सृजन	87

अध्याय 7	**प्रत्युत्तर योजना** Response Plan	88-89
	7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया	89
	7.1.1 Incident Commander का दायित्व	89
	7.1.2 जिला में हितधारकों एवं उनकी कार्ययोजना	89-91
	7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य	92-93
	7.3 प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण	94
	7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली	94
	7.3.2 कार्यो का निदेशन तथा समन्वय	95
	7.3.3 खोज, बचाव, राहत काय	96
	7.3.4 शव एवं मलवा निपटान	97
अध्याय 8	**पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति** Reconstruction, Rehabilitation , Recovery	98
	8.1 क्षति आकलन	99-100
	8.2 पीड़ितो को राहत	100
	8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन	101
	8.4 जीवन प्रदायी भवनो की मरम्मति	101
अध्याय 9	**बजट एवं वित्तीय संसाधन** Budget and Financial Resources	102
	9.1 अधिनियम में प्रावधान	102
	9.2 विभिन्न निधि स्त्रोत	102
	9.3 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम	102-103
	9.4 प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए निर्धारित साहाय्य मानदर।	104-122
	9.5 अन्य श्रोत	123

अध्याय 10	**अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण** Monitoring Evaluation and Updation	124
	10.1 योजना का अनुश्रवण एंव मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन	124
	10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराय	124
	10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन	124
	10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना का प्रभावशीलता की जाँच	125
	10.1.4 उपलब्ध संसाधन सूची को अद्यतन करना :–	125
	10.1.5 नियमित मॉकड्रील द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच	125
	10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण	125
	10.1.7 योजना का अद्यतनीकरन	126
	10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण	126
	10.1.9 समन्वय	126
	10.1.10 जन जागरूकता	126

अध्याय–01

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन योजना

Disaster Management Act-2005 & District Disaster Management Plan

1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतगर्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संबंधी अध्याय :

अनुभाग(क) भारत का राजपत्र असाधारण

आपदा प्रबंधन अधिनियम

2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 53)

आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन और उससे संबंधित या उसके आनुशंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्श में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप म यह अधिनियमित होः–

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित

आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के अध्याय 04 के कंडिकाः–

25.

1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात यथाश्रीध राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और सात से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाए, इसमें निम्नलिखित होगे अर्थातः–
   (क) जिले का, यथास्थिति, कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा;
   (ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि जो पदेन सह–अध्यक्ष होगाः परन्तु संविधान की छठी अनुसूची में जैसी निर्दिश्ट है, जनजाति क्षेत्रो में, स्वशासी जिले की जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक सदस्य, पदेन सह–अध्यक्ष होगा;
   (ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यापालक अधिकारी, पदेन;
   (ध) पुलिस अधीक्षक, पदेन;
   (ड़) जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पदेन;
   (च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी जिन्हे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
3) ऐसे किसी जिले में जहॉ जिला परिशद विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह–अध्यक्ष होगा।
4) राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को, जो, यथास्थिति, अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसो शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाएं और ऐसी अन्य भाक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

26.

1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करे।

2) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योतर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा।

3) जिला प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, साधरण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यथास्थिति उपधारा, (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्यिों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियां और कृत्य, जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तो और निबंधनों, यदि कोई हो, जिन्हे वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

27. जिला प्राधिकरण का अधिवेशन जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर होगा जिसे अध्यक्ष ठीक समझे।

28.

1) जिला प्राधिकरण, जब भी वह आवश्यक समझे, अपने कृत्या के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा।

2) जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) में निदिश्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

3) उपधारा (1) के अधीन गठित किसी समिति या उपसमिति में विशेषज्ञ के रूप में सहयुक्त किसी व्यक्ति को ऐसे भते संदत किए जा सकेगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

29. राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलबध कराएगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

30.

1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्टोय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदशक सिद्वांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिनाः–

(i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा;

(ii) राश्टीय नीति, राज्य नीति, राश्टीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मानीटरी कर सकेगा;

(iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है आर आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के भामन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानिय प्राधिकारियों द्वारा किए गये है;

(iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण, उनके प्रभावों के शमन, तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है;

(v) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हो;

(vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागो और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनओं के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा;

(vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा योजनओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा;

(viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागा द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा;

(ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा;

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक है;

(xi) तैयारी उपायो का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्व विभागो या संबंद्व प्राधिकारियों का जहॉ किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा।

(xii) जिले के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारीयों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा;

(xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा;

(xiv) जनता का पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा;

(xv) जिला स्तर मोचन योजना और मार्गदर्शक सिद्वांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा;

(xvi) किसी आपदा के आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा;

(xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें;

(xviii) जिला स्तर पर संबद्व सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकरी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निदेश दे सकेगा;

(xix) जिला स्तर पर सरकारी विभागो, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों का समन्वयन कर सकेगा;

(xx) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उसकी मार्गनिर्देश दे सकेगा;

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हे सलाह दे सकेगा;

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधो को ध्यान में रखत हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा;

(xxiii) जिले के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जॉच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथिक मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबद्ध प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा;

(xxiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा;

(xxv) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा;

(xxvi) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दें सकेगा;

(xxvii) जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित हाने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा;

(xxviii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक है और आपदा प्रबंधन कवायद कालिक रूप से की जा रही है;

(xxix) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जो आवश्यक समझे जाएं।

31.

1) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।
2) जिला प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
3) जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा–
   (क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील है;
   (ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा के निवारण और शमन के लिए किए जाने वाले उपाय;
   (ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी के उपाय;
   (घ) किसी आपदा की दशा में, मोचना योजनाएं और प्रक्रियाएं, जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबंध हों–
      (i) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का आवंटन;
      (ii) आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत;
      (iii) आवश्यक संसाधनों का उपापन;
      (iv) संचार सम्पक की स्थापना; और
      (v) जनता को सूचना का प्रसार;
   (ड.) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो।
4) जिला योजना का वार्शिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा।
5) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
6) जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेशित करेगा।
7) जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना क कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

32. जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए–
   (क) आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेंगे जिसमें निम्नलिखित उपवर्णित होगा, अर्थात्:–
      (1) जिला योजना में यथाउपबंधित निवारण और शमन उपायों के लिए उपबंध जो संबद्ध विभाग या अभिकरण को समनुदेशित है;
      (2) जिला योजना में यथा अधिकथित क्षमता निर्माण और तैयारी से संबंधित उपायों को करने के उपबंध;
      (3) किसी आपदा की आशंका या आपदा की दशा में, मोचन योजनाएं और प्रक्रियाएं;
   (ख) जिला स्तर पर अन्य संगठनों, जिनके अंतर्गत स्थानीय समुदाय और अन्य स्थानीय प्राधिकारी समुदाय और अन्य पणधारी भी हैं, की योजनाओं के साथ अपनी योजना को तैयार और उसके कार्यान्वयन को समन्वित करेंगे;
   (ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेंगे और उसे अद्यतन करेंगे; और
   (घ) जिला प्राधिकरण को अपनी आपदा प्रबंधन योजना और उसके किसी संशोधन की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे।

33. जिला प्राधिकरण आदेश द्वारा, जिला स्तर पर किसी अधिकारी या किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आपदा निवारण या उसके शमन के लिए या उसके प्रभावी रूप से मोचन के लिए ऐसे उपाय करें, जो आवश्यक हों और ऐसा अधिकारी या विभाग ऐसे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

34. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में समुदाय की सहायता करने, उसका संरक्षण करने या उसे राहत उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, जिला प्राधिकरण–

क) जिले में किसी सरकारी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी के पास उपलब्ध संसाधनों की निकासी और उपयोग के लिए निदेश दे सकेगा;

ख) अतिसंदेनशील या प्रभावित क्षेत्र में या उससे अथवा उसके भीतर के आवागन को नियंत्रित और निबंधित कर सकेगा;

ग) किसी अतिसंवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के प्रवेश, उसके भीतर, उसके संचरण आर उससे उसके प्रस्थान को नियंत्रित और निबंधित कर सकेगा;

घ) मलवा हटा सकेगा, तलाशी ले सकेगा और बचाव कार्य कर सकेगा;

ङ) आश्रय, भोजन, पीने का पानी और आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य देखरेख और सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा;

च) प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार प्रणालियों की स्थापना कर सकेगा;

छ) अदावाकृत शवों के निपटारे के लिए इंतजाम कर सकेगा;

ज) जिला स्तर पर राज्य सरकार के किसी विभाग या उस सरकार के अधीन किसी प्राधिकारी या किसी निकाय को ऐसे आवश्यक उपाय करने की सिफारिश कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हों;

झ) सुसंगत क्षेत्रों में सलाह आर सहायता देने के लिए विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की, जो वह आवश्यक समझे अपेक्षा कर सकेगा;

ञ) किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से किन्ही सुख–सुविधाओं के अनन्य या अधिमानी उपयोग का उपापन कर सकेगा;

ट) अस्थायी पुलो या अन्य आवश्यक संरचनाओं का सन्निमार्ण कर सकेगा और ऐसी संरचनाओं को जो जनता के लिए परिसंकटमय है या आपदा के प्रभाव को गंभीर बना सकती है, ध्वस्त कर सकेगा;

ठ) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि गैर सरकारी संगठन अपने क्रियाकलापों को साम्यापूर्ण और अभिवेदकारी रीति से करें;

ड) ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगा जिसका ऐसी किसी स्थिति में किया जाना अपेक्षित या आवश्यक हो।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–31(1) के अनुसार "राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।" जिसके अनुपालन में दरभंगा जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया है।

इस योजना में जिला में संभावित प्राकृतिक अथवा मानवीय भूलवश उत्पन्न खतरों के विभिन्न स्वरूपों एवं इन खतरों की चपेट म आने वाले संवेदनशील समूहों/सम्पत्तिया का ब्योरा, इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने, कम करने अथवा आपदा मोचन की वर्तमान क्षमता का आकलन करते हुये इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के उपायो का विस्तार से वर्णन किया गया है।

इस योजना को विभिन्न स्तर के स्थानीय पदाधिकरीगण तथा अन्य हितधारकों से मिलकर तैयार किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह समेकित जिला आपदा प्रबंधन योजना को मुर्त रूप दे जिसे अनवरत अपनाया जा सके। यह आपदा जोखिम को रोकने तथा उसे कम करने (न्यूनीकरण) में सहायक हो। विभिन्न विकास के चरण में इसे इस तरह से सन्निहित किया जायेगा ताकि आपदा के समय प्रत्युत्तर, बचाव, सहाय्य तथा पुर्नप्राप्ति के क्रम में समुदाय की कम से कम क्षति हो सके। आपदा न्यूनीकरण रोड–मैप के उद्देश्यों से तालमेल कर इसे अपनाया जाना जरूरी होगा।

दरभंगा जिले में पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मौजूद विभिन्न प्रकार की आपदाएँ, इन आपदाओं का इतिहास, आपदाओं के दरम्यान किए गए प्रत्युत्तर (समुदाय/सरकारी), तत्कालीन एवं आज का आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय अनुभव, इस स्तर पर किए गए अच्छे व्यवहार, उपलब्ध संसाधन एवं जोखिम विश्लेषण आदि से इस योजना को दृष्टि मिली और इसके उपरांत जिले का आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य निर्धारित किया जा सका है। योजना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार, भागीदारी एवं समावेशी रहा, जिससे योजना को

अधिकतम व्यापक बनाया जा सका है। योजना की पहुँच उस व्यक्ति तक ले जाने की है, जो सीधे आपदा से प्रभावित होता है। 5 प्रतिशत ग्राम पंचायतों से सीधे वार्ता एवं अंतःक्रिया ने इसे सम्पुष्ट किया है।

1.2 जिला आपदा प्रबंधन योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है (Main Objectives) :

- जिले के मुख्य जोखिम तथा इन जोखिम से प्रभावित होने वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।
- सभी सरकारी विभागो के सामंजित प्रयास से इन आपदाओं का निषेधीकरण तथा दुष्प्रभावों का न्यूनीकरण ।
- आपदा पूर्व तथा आपदा के समय एवं पश्चात् सभी हितधारकों के दायित्वों तथा कर्तव्यों का निर्धारण तथा उनका नियोजन सुव्यवस्थित तरीके से करना।
- जिलान्तर्गत प्रभावित समूहो क बीच जोखिम का सामना करने हेतु उनका क्षमतावर्द्धन सुनिश्चित करना।
- यथोचित योजना बनाकर सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्तियों, विशेषकर महत्वपूर्ण जन सुविधाओं तथा अंतः संरचनाओं की आपदा क्षति में कमी लाने का प्रयास करना।
- जिलान्तगर्त आगामी विकास कार्यो के लिए प्राकृतिक आपदा जोखिम के दुष्प्रभावों में कमी लाना।
- जिलास्तर पर प्रभावी तौर पर खोज, बचाव तथा प्रत्युत्तर कार्यो का संचालन हेतु एक व्यापक आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.) की स्थापना।
- आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एक प्रमाणिक, तंत्र का विकास करना।
- पूर्व सूचना तंत्र की स्थापना करना ताकि हितधारकों को आपदा जोखिम का सामना करने के लिए तैयार किया जाए तथा सूचना का आदान–प्रदान प्रभावी ढंग से हो सके।
- जिला में सूचना, शिक्षा तथा संचार का उपयोग कर आपदा से निष्प्रभावी रहने वाली निर्माण प्रक्रिया का अनुपालन करना तथा आपदा रोधी विकास के लिए समाज में जागरूकता फैलाना।
- आपदा प्रबंधन में मिडिया का उपयोग करने के उपायों को सुदृढ़ करना।
- जिलास्तरीय विभिन्न विभागों द्वारा आपदा से प्रभावित जनता के पुनर्वास की योजना बनाकर कालबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करना।

1.3 योजना का कार्यक्षेत्र (Scope of the Plan) : आपदा प्रबंधन योजना के दायरे में संपूर्ण जिला को लिया गया है। इस जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय, पंचायती राज्य संस्थायें यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् तथा शहरी निकाय आते हैं। इस जिले के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों में यूनिसेफ तथा कई अन्य स्वयं सेवी संस्थायें काम कर रही है।

योजना बनाने के क्रम में जिन बातों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया गया, उनमें निम्नांकित मुख्य है :–

1. आपदा प्रबंधन योजना का निरूपण करते समय यहाँ जितने भी सरकारी/गैर सरकारी हितधारक हो सकते है, से संपर्क कर उनसे उनके द्वारा पूर्व में किए गये पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर, खतरो का चिह्निकरण, पुर्नप्राप्ति (रिकवरी), शमन के अनुभवों को शामिल किया गया है।
2. इस क्रम में विभिन्न धार्मिक स्थलों, मेले, बड़े–बड़ सभा स्थल आदि को भी संवेदनशीलता के दायरे में रखा गया है।
3. जिले में सड़क दुर्घटना आपदा का स्वरूप लेने लगी है। अतः योजना में सडक दुर्घटनाओं से सुरक्षा को शामिल किया गया है।
4. लिंगोय मुद्दे आपदा प्रबंधन में महत्व के हो जाते है। इनकी संवेदनशीलता तब और बढ़ जाती है जब महिलाएँ गर्भवती होती है या इनके गोद में बच्चे होते है। अतः योजना बनाने के क्रम में लिंगोय मुद्दे भी शामिल है।
5. जलवायु परिवर्तन को भी योजना निर्माण के क्रम में दृष्टिगत रखा गया क्योंकि हमारे दैनिक जीवन को यह भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षापात, सूखाड़, तापक्रम में वृद्धि इत्यादि परिलक्षित हो रहा है।
6. वज्रपात,हाल के वर्षों में अकस्मात दुर्घटना के रूप में उभर कर आयी है। इसके संबंध में भी 5 प्रतिशत पंचायत के ग्रामीणों से भी इसकी जानकारी प्राप्त की गयी।
7. हाल के वर्षों में नीलगाय/सुअर का प्रकोप किसानों को झेलना पड़ा हैं। कुछ किसानों ने तो कुछ खास फसल लगाना ही छोड़ दिया और इस प्रकार आपदा का यह स्वरूप भी एक समस्या के रूप में उभर कर आया है।
8. इसके अतिरिक्त, आवश्यक सेवाओं को निरन्तर बनाए रखने हेतु किए जाने वाले कार्यों एवं यंत्र–सयंत्र के रखरखाव और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयास को ध्यान में रख कर योजना निर्माण किया गया है।
9. आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न हितधारको के मध्य समन्वय, सहयोग एवं एकीकरण की आवश्यकता होती है। योजना निर्माण के क्रम में सभी स्तरो पर इसे अपनाने के प्रयास किए गए है।
10. योजना बनाने के क्रम में आकस्मिक एवं सबसे बुरी स्थिति का आकलन कर, आकस्मिक योजना की तैयारी की गई है। इस योजना में अस्पताल, स्कूल, औद्योगिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है।

1.4 योजना निर्माण पद्धति (Plan Development Methodology) :

योजना निर्माण के लिए अपनाई गई पद्धति (Methodology) : जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने के क्रम में ''बॉटम अप'' योजना की प्रक्रिया अपनाई गयी है, जिसमें जिला से नीचले स्तर तक वास्तविकता से परिचय कराया गया है तथा उसके उपरांत नीचे से उपर की ओर (पंचायत– प्रखंड–अनुमंडल–जिला) जोखिम, खतरों एवं सवेदनशीलता की पहचान की गयी है। योजना को सामग्री मुख्य रूप में दो श्रोतों प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रोतों से एकत्रित की गई । योजना की सामग्री के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं से जुड़े विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनसे महत्वपूर्ण विमर्श किये गये । साथ हीं जिले के 5 प्रतिशत पंचायतों का भ्रमण कर हितधारका से सीधा संपर्क भी स्थापित किया गया।

इस योजना के निर्माण के लिए अपनाई गई पद्धति, दृष्टिकोण एवं प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन नीचे प्रस्तुत है।

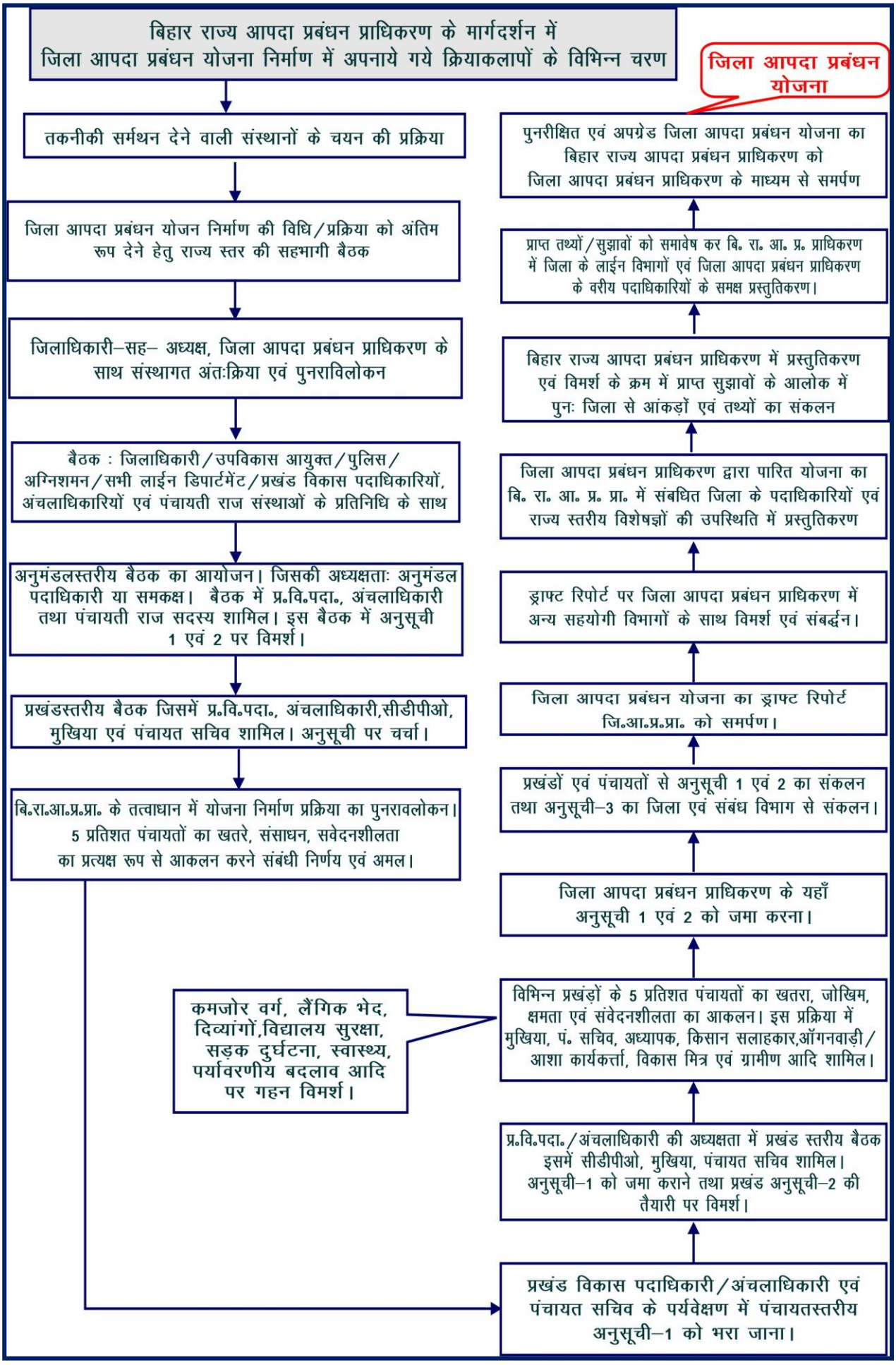
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में
जिला आपदा प्रबंधन योजना निर्माण में अपनाये गये क्रियाकलापों के विभिन्न चरण
जिला आपदा प्रबंधन योजना
तकनीकी सर्मथन देने वाली संस्थानों के चयन की प्रक्रिया
जिला आपदा प्रबंधन योजन निर्माण की विधि/प्रक्रिया को अंतिम रूप देने हेतु राज्य स्तर की सहभागी बैठक
जिलाधिकारी–सह– अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ संस्थागत अंतःक्रिया एवं पुनराविलोकन
बैठक : जिलाधिकारी/उपविकास आयुक्त/पुलिस/अग्निशमन/सभी लाईन डिपार्टमेंट/प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि के साथ
अनुमंडलस्तरीय बैठक का आयोजन। जिसकी अध्यक्षताः अनुमंडल पदाधिकारी या समकक्ष। बैठक में प्र.वि.पदा., अंचलाधिकारी तथा पंचायती राज सदस्य शामिल। इस बैठक में अनुसूची 1 एवं 2 पर विमर्श।
प्रखंडस्तरीय बैठक जिसमें प्र.वि.पदा., अंचलाधिकारी,सीडीपीओ, मुखिया एवं पंचायत सचिव शामिल। अनुसूची पर चर्चा।
बि.रा.आ.प्र.प्रा. के तत्वाधान में योजना निर्माण प्रक्रिया का पुनरावलोकन। 5 प्रतिशत पंचायतों का खतरे, संसाधन, सवेदनशीलता का प्रत्यक्ष रूप से आकलन करने संबंधी निर्णय एवं अमल।
कमजोर वर्ग, लैंगिक भेद, दिव्यांगों,विद्यालय सुरक्षा, सड़क दुर्घटना, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय बदलाव आदि पर गहन विमर्श।
पुनरीक्षित एवं अपग्रेड जिला आपदा प्रबंधन योजना का बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से समर्पण
प्राप्त तथ्यों/सुझावों को समावेष कर बि. रा. आ. प्र. प्राधिकरण में जिला के लाईन विभागों एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरीय पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतिकरण।
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्रस्तुतिकरण एवं विमर्श के क्रम में प्राप्त सुझावों के आलोक में पुनः जिला से आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पारित योजना का बि. रा. आ. प्र. प्रा. में संबधित जिला के पदाधिकारियों एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रस्तुतिकरण
ड्राफ्ट रिपोर्ट पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अन्य सहयोगी विभागों के साथ विमर्श एवं संबर्द्धन।
जिला आपदा प्रबंधन योजना का ड्राफ्ट रिपोर्ट जि.आ.प्र.प्रा. को समर्पण।
प्रखंडों एवं पंचायतों से अनुसूची 1 एवं 2 का संकलन तथा अनुसूची–3 का जिला एवं संबंध विभाग से संकलन।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के यहाँ अनुसूची 1 एवं 2 को जमा करना।
विभिन्न प्रखंड़ों के 5 प्रतिशत पंचायतों का खतरा, जोखिम, क्षमता एवं संवेदनशीलता का आकलन। इस प्रक्रिया में मुखिया, पं. सचिव, अध्यापक, किसान सलाहकार,ऑगनवाड़ी/आशा कार्यकर्त्ता, विकास मित्र एवं ग्रामीण आदि शामिल।
प्र.वि.पदा./अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय बैठक इसमें सीडीपीओ, मुखिया, पंचायत सचिव शामिल। अनुसूची–1 को जमा कराने तथा प्रखंड अनुसूची–2 की तैयारी पर विमर्श।
प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं पंचायत सचिव के पर्यवेक्षण में पंचायतस्तरीय अनुसूची–1 को भरा जाना।

1.5 जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन (Implementing DDMP) : इस जिले के लिए तैयार की गयी योजना की पूरी जिम्मवारी जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की होगी। इसके कार्यान्वयन में प्राधिकार के सदस्य, इस संबंध में गठित विशेष कमिटि तथा लाइन विभाग से सहयोग लिया जाना है। जिला के समक्ष खतरे, जोखिम से उत्पन्न होने वाली सभी संभावित आपदाओं से संबंधित निषेधीकरण, न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर एवं पुर्नस्थापन के कार्यों का दायित्व होगा। उपर्युक्त विषयक कार्यों को आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद में विभाजित कर सुनियोजित ढंग से संपन्न कराया जायेगा। आपदा के पूर्व में पिछली घटनाओं का अवलाकन तथा उससे प्राप्त सीख को संधारित किया जायेगा। जबकि आपदा के दौरान पूरे जिले में की जाने वाली प्रत्युत्तर के कार्य को इस योजना में वर्णित जरूरी कदम तथा काल विशेष को देखते हुए अन्य किये जाने वाले उपायों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। विभिन्न कार्यों क लिए एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त होगा ताकि समन्वय बना रहे। इसी प्रकार से आपदा के बाद पुर्नवापसी तथा पुर्नस्थापन के कार्यों को संचालित किया जायेगा तथा प्रभावित परिवार अपने घर को वापस लौट सके। सारी प्रक्रियाओं को सम्पन्न कराने में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र 24 घंटे विभिन्न 'शिफ्ट' में कार्य करेगा।

जिले से संबंधित जिलाधिकारी इन्सिडेंट कमांडर होग तथा उन्हीं की अनुमति से जिला आपदा प्रबंधन को सुचारू ढंग से लागू किया जायेगा। जिला आपदा प्रबंधन योजना/मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होना चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ अंतराल पर विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों का स्थानांतरण होता रहता है।

1.5.1 मुख्य हितधारक एवं उनकी भूमिका :

क्र॰	स्तर	हितधारक समूह	कार्य	दायित्व
01	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समिति	आपदा प्रबंधन	तत्कालीन मुखिया
		ग्राम पंचायत खोज एवं बचाव समिति	खोज एवं बचाव	मुखिया एवं एस॰ डी॰ आर॰ एफ॰
		ग्राम पंचायत प्राथमिक चिकित्सा समिति	प्राथमिक सहायता एवं प्राथमिक कीट की तैयारी	ए॰पी॰एच॰सी॰ एवं रेड क्रॉस
		ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति	स्वच्छता एवं पेय जल	निर्मल भारत अभियान दल
		ग्राम पंचायत आश्रय एवं इवैकुएशन दल	आश्रय स्थल की व्यवस्था एवं आपदा स्थल को खाली कराना	इंदिरा आवास योजना एवं स्थानीय विद्यालय के प्रभारी
		ग्राम पंचायत सामाजिक सुरक्षा समिति	सामाजिक रूप से असुरक्षितो की पहचान एवं मदद	सामाजिक सुरक्षा विभाग
		ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य	वार्डो के हित का कार्य	स्वतः निर्वाचित
		ग्राम पंचायत योजना एवं पोषण दल	भोजनादि की व्यवस्था	मध्याह्न भोजन दल
		ग्राम पंचायत बाल विकास एवं संरक्षण दल	बाल विकास एवं संरक्षण	आँगनवाड़ी टीम समेकित, बाल विकास परियोजना टीम
		ग्राम पंचायत शिक्षा दल	शिक्षा व्यवस्था	सर्व शिक्षा अभियान दल
		ग्राम पंचायत पशुधन समिति		
		ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति	पशुओं का टीकाकरण एवं चारे की व्यवस्था	पशुधन समिति अध्यक्ष
02	प्रखंड स्तर संबद्ध प्रशाखा	स्थानीय थाना	आश्रय/राहत शिविरो की सुरक्षा	थाना प्रभारी
		कृषि विभाग	सुरक्षा/कृषि संपति	प्रखंड कृषि पदाधिकारी
		स्हकारिता	पैक्स/सहकारी भवन	सहकारिता पदाधिकारी
		श्रम	श्रमिकों की स्थिति	श्रम निरीक्षक
		अग्निशमन	अग्निशमन की व्यवस्था	प्रखंड स्तरीय अग्निशमन पदाधिकारी
		स्वास्थ्य	स्वास्थ्य संबंधी	प्रखंड स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	चापाकल एवं हेलोजन टेबलेट	कनीय अभियंता
		खाद्य आपूर्त्ति एवं उपभोक्ता	खाद्यान्न की व्यवस्था	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
		शिक्षा	आश्रय स्थल/ राहत स्थल	प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
		पशु एवं मतस्य	पशुधन सुरक्षा तथा मतस्य पालन	प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी

		जल संसाधन	सिचांई	कनीय अभियंता
		सामाजिक सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
		सांख्यिकी	वर्षापात एवं अन्य आकड़े	प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी
		पंचायत राज	पंचायतों का सुसंचालन	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक
		स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण	सड़क एवं भवन	कनीय अभियंता
03	जिला स्तर	आपदा प्रबंधन	समन्वय एवं मॉनिटरिंग	जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी
		बाढ़ एवं जल निस्सरण	तटबंधो की सुरक्षा, जल स्तर की जानकारी लेना–देना	कार्यपालक अभियंता
		परिवहन विभाग	विभिन्न वाहनों एवं नावो की उपलब्धता	जिला परिवहन पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल एवं स्वास्थ्य	शरण स्थलो की व्यवस्था तथा पेयजल के साथ स्वच्छता मानव दवा	कार्यपालक अभियंता, सिविल सर्जन
		पशुपालन	पशुचारा एवं पशु दवा	जिला पशुपालन पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	चापाकल लगाना, मरम्मति क्लोरीन टेबलेट का देना तथा प्रयोग हेतु प्रशिक्षण	कार्यपालक अभियंता
		खाद्य विभाग/आपूर्त्ति	खाद्य का भंडारण तथा आपूर्त्ति	जिला प्रबंधक, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी
		शिक्षा विभाग	आपदा संबंधी जागरूकता की पहल/जागरूकता के अन्य कार्यक्रम	जिला शिक्षा पदाधिकारी
		सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	प्रचार–प्रसार	जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी
		पंचायती राज	पंचायतों के काम काज की देखभाल	जिला पंचायत पदाधिकारी
		अग्निशमन	अग्निशाम के वाहनो की व्यवस्था	जिला अग्निशमन पदाधिकारी
		स्वास्थ्य	स्वास्थ्य सेवाएँ	असैनिक शल्य चिकित्सक
		पुलिस	शान्ति व्यवस्था	पुलिस अधीक्षक
		कृषि	कम पानी/जल्दी होने वाले फसलो की व्यवस्था	जिला कृषि पदाधिकारी
		सांख्यिकी	तथ्यो के रखरखाव	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
		स्हकारिता	भंडारण एवं आवासन	जिला सहकारिता पदाधिकारी
		जल संसाधन	जल व्यवस्था	कार्यपालक अभियंता जल संसाधन
		राजस्व एवं भूमि सुधार	भूमि संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध कराना	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
		शहरी विकास	शहरो का नियमित विकास	नगर निगम/नगर पंचायत आदि
		सामाजिक सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले लोगो की देखभाल	प्रभारी उप समाहर्त्ता
		योजना एवं विकास	विकास एवं विकास की योजना	प्रभारी उप समाहर्त्ता
		डाक एवं संचार	सूचनाओं का आदान प्रदान एवं संवाद	प्रबंधक डाक एवं तार
		भवन निर्माण	भवनो की स्थिति का नियमित पर्यवेक्षण/आकलन	अधीक्षक अभियंता
		भारत संचार निगम लि0	दूरसंचार सुविधा बनाये रखना	प्रबंधक
		दूरसंचार के अन्य नीजि उपक्रम रिलायंस, एयरटेल आदि	दूरसंचार सुविधा बनाये रखना	प्रबंधक
		उद्योग	खतरनाक उद्योगों की सूची एवं देखभाल	जिला उद्योग पदाधिकारी
		श्रम संसाधन	उद्योगों की सुरक्षा के मुद्दे	जिला श्रम पदाधिकारी

			पलायित श्रमिको की सूची का रखरखाव	अधीक्षक
		उर्जा विभाग	बिजली की नियमित आपूर्त्ति	अधीक्षण अभियंता
		प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया	तथ्यों की सही जानकारी उपलब्ध कराना ताकि पूर्व तैयारी हो जाए	क्षेत्रीय संवाददाता
04	अन्य हितधारक समूह	निजी शैक्षिक संस्थाएँ	आवासन/राहत केन्द्र/भंडारण	प्राचार्य/स्वशासी निकाय
		एन॰सी॰सी॰	राहत एवं बचाव में मदद	कमान अधिकारी
		रेड क्रॉस	प्राथमिक सहायता एवं अन्य सहायता	जिला सचिव
		अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाएँ	विभिन्न प्रकार से सहयोग एवं सहायता	प्रभारी अधिकारी
		विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संघ	स्वास्थ्य संबंधी सहयोग	अध्यक्ष/सचिव
		युवा संगठन	ब्चाव एवंराहत	अध्यक्ष/सचिव
		दलित एवं महादलित संगठन	विभिन्न प्रकार की सहायता	अध्यक्ष/सचिव
		नेहरू युवा केन्द्र	राहत एवं बचाव	जिला समन्वयक
		ट्रांसपोर्ट (रेल, सड़क, नाव) संघ	विभिन्न प्रकार के सामग्री की व्यवस्था	अध्यक्ष/सचिव
		स्वयं सहायता समूह	सहयोग एवं सहायता	अध्यक्ष/सचिव
		अभियंता, राजमिस्त्री डिप्लोमाधारी,वास्तुकार	निर्माण एवं मरम्मति	
		निजी डॉक्टर, भूतपूर्व सैनिक एवं शिक्षक	स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकार के मदद	संघ सचिव, अध्यक्ष
		इंटर एजेन्सी ग्रुप	समन्वय एवं सहयोग	अध्यक्ष/सचिव
		व्यावसायिक संघ एवं बाजार संघ	आवश्यक सामग्री की आपूर्त्ति	अध्यक्ष/सचिव
		राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया	प्रचार प्रसार	स्थानीय संवाददाता

1.6 योजना की समीक्षा तथा अद्यतन करना (Plan Review & Updation) : जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा की जायेगी। इसे प्रत्येक वर्ष संबंधित हितधारकों द्वारा अद्यतन किया जायेगा। जिसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित करते हुये इसकी एक–एक प्रति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को उपलब्ध कराई जानी है।

आपदा कैलेन्डर के आलोक में प्रत्येक संभावित आपदा काल के पूर्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आहूत विशेष बैठक में आपदा पूर्व तैयारी तथा आपदा मोचन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जायेगी तदनुसार सभी हितभागी अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए तैयार रहेंगे। आपदा के दौरान किये गये मोचन कार्यों के प्रभाव की भी समीक्षा की जायेगी तथा इन समीक्षाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष जिला आपदा प्रबंधन योजना का पुनर्मुल्याकण कर इसे पुनरीक्षित तथा संशोधित किया जायेगा। **(आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31(4) द्रष्टव्य)**

अध्याय–02

जिला का परिचय

INTRODUCTION OF DISTRICT

2.1 परिचय :

दरभंगा जिला का गठन 01 जनवरी 1875 ई0 को हुआ। यह 25.53° – 26. 27° उत्तर और 85.40° – 86. 25° पूर्व में अवस्थित है। इसके उत्तर में मधुबनी, दक्षिण में समस्तीपुर पूर्व में सहरसा तथा पश्चिम में सीतामढ़ी एवं मुजफफरपुर जिला है। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2279 वर्ग0कि0मी0 है। वर्तमान में ये जिला तीन अनुमंडलों (सदर दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल) अंतर्गत तथा 18 प्रखंडों तथा अंचलों में बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त जिला में एक नगर निगम, एक नगर परिषद् एवं नगर निकाय ह।

2.2 जनसंख्या विवरण :

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिला की कुल आबादी 3937385 है, जिसमे पुरूष – 2059949 तथा महिला – 1877436 है। इससे संबंधित अन्य आवश्यक सूचनाओं का प्रखंडवार विवरण निम्न प्रकार है :–

Block wise Population Report (As per Census - 2011)

Sl .No.	Name of the Block	No. of Panchayat/ Ward	No. of Houseolders	Population			Population <=6			SC Population			ST Population			Worker Population		
				Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
1	Jale	26	53888	264248	136448	127800	49732	25576	24156	31911	16559	15352	92	47	45	74314	61527	12787
2	Singhwara	25	54126	267601	138285	129316	49800	25601	24199	34251	17765	16486	106	54	52	76893	62149	14744
3	Keoti	26	57428	270722	142147	128575	49794	25808	23986	38571	20305	18266	346	168	178	76487	65268	11219
4	Darbhanga	23	56488	280997	148422	132575	52256	27225	25031	44842	23709	21133	82	40	42	87087	69087	18000
5	Manigachhi	22	47088	228618	118772	109846	39950	20552	19398	31018	16223	14795	255	134	121	69259	55163	14096
6	Tardih	14	27689	123299	64000	59299	20916	10854	10062	13936	7256	6680	35	18	17	42569	31206	11363
7	Bahadurpur	23	51782	261805	138473	123332	47178	24736	22442	57335	30152	27183	156	83	73	78156	63456	14700
8	Hanuman Nagar	14	33466	154631	82107	72524	28180	14729	13451	30443	16048	14395	19	11	8	52212	39317	12895
9	Hayaghat	14	30619	148081	78245	69836	27297	14358	12939	26765	14168	12597	90	52	38	43236	34931	8305
10	Baheri	27	61422	302645	159342	143303	56819	29673	27146	46115	24256	21859	337	149	188	103435	74592	28843
Sadar Sub Division Darbhanga Total:		214	473996	2302647	1206241	1096406	421922	219112	202810	355187	186441	168746	1518	756	762	703648	556696	146952
1	**Municipal Corporation Darbhanga**	48	56492	296039	155637	140402	42157	22035	20122	30427	16014	14413	327	155	172	79060	68929	10131
1	Alinagar	11	28484	143797	74574	69223	27928	14299	13629	15627	8090	7537	9	5	4	48299	34963	13336
2	Benipur	16	35343	175040	91241	83799	30075	15562	14513	26066	13662	12404	24	12	12	56549	43843	12706
Benipur Sub Division Total:		27	63827	318837	165815	153022	58003	29861	28142	41693	21752	19941	33	17	16	104848	78806	26042
1	Binipur Nagar Parishad	29	15078	75317	39401	35916	13145	6785	6360	11007	5784	5223	234	115	119	24078	18463	5615
1	Biraul	26	56704	286113	149326	136787	55410	28589	26821	54359	28259	26100	187	84	103	85933	67188	18745
2	Ghanshyampur	12	29536	133210	69394	63816	23654	12231	11423	19952	10203	9749	53	23	30	45929	32866	13063
3	Kiratpur	8	16612	81423	42458	38965	17092	8810	8282	18091	9467	8624	10	8	2	30111	19566	10545
4	Gaura Bauram	13	30935	152112	78823	73289	30121	15319	14802	19788	10312	9476	49	24	25	46907	35750	11157
5	Kusheshwar Asthan	14	34375	162870	84977	77893	33958	17552	16406	29911	15536	14375	241	113	128	55417	38588	16829
6	Kusheshwar Asthan East	10	25457	128817	67877	60940	30020	15388	14632	35273	18559	16714	120	66	54	47709	31075	16634
Biraul Sub Division Total:		83	193619	944545	492855	451690	190255	97889	92366	177374	92336	85038	660	318	342	312006	225033	86973
District Total (Rural)		324	731442	3566029	1864911	1701118	670180	346862	323318	574254	300529	273725	2211	1091	1120	1120502	860535	259967
District Total (Urban)		77	71570	371356	195038	176318	55302	28820	26482	41434	21798	19636	561	270	291	103138	87392	15746
District Total			803012	3937385	2059949	1877436	725482	375682	349800	615688	322327	293361	2772	1361	1411	1223640	947927	275713

Block wise Population Report (As per Census - 2011)

Population of Marginal Worker During Period 03 to 06 Months

Name of the Block	*Main*			*Cultivator*			*Agriculture*			*House Hold Industries*			*Other*		
	Total	*Male*	*Female*	*Total*	*Male*	*Female*	*Total*	*Male*	*Female*	*Total*	*Male*	*Female*	*Total*	*Male*	*Female*
Jale	20439	14560	5879	1981	1474	507	14991	10655	4336	765	453	312	2702	1978	724
Singhwara	21906	15903	6003	2298	1741	557	13693	10122	3571	937	524	413	4978	3516	1462
Keoti	26857	21878	4979	2791	2274	517	17207	13974	3233	809	559	250	6050	5071	979
Darbhanga	30688	22353	8335	3887	2964	923	20793	14983	5810	1061	662	399	4947	3744	1203
Manigachhi	22690	16930	5760	2692	2061	631	15931	12041	3890	796	410	386	3271	2418	853
Tardih	16829	10978	5851	2660	1934	726	12398	8155	4243	491	245	246	1280	644	636
Bahadurpur	22534	16349	6185	1936	1399	537	15369	11088	4281	1050	557	493	4179	3305	874
Hanuman Nagar	16990	10964	6026	2043	1465	578	11169	6922	4247	633	299	334	3145	2278	867
Hayaghat	10182	7137	3045	1643	1191	452	5515	3924	1591	782	379	403	2242	1643	599
Baheri	45616	32144	13472	6170	4700	1470	32093	22838	9255	1914	859	1055	5439	3747	1692
Sadar Sub Division Darbhanga Total:	234731	169196	65535	28101	21203	6898	159159	114702	44457	9238	4947	4291	38233	28344	9889
Municipal Corporation Darbhanga	10491	8385	2106	231	153	78	992	880	112	942	705	237	8326	6647	1679
Alinagar	27221	19398	7823	2857	2382	475	21931	15294	6637	555	367	188	1878	1355	523
Benipur	16317	10472	5845	2661	2185	476	10922	6630	4292	732	301	431	2002	1356	646
Benipur Sub Division Total:	43538	29870	13668	5518	4567	951	32853	21924	10929	1287	668	619	3880	2711	1169
Binipur Nagar Parishad	7573	5085	2488	802	696	106	4180	2671	1509	420	238	182	2171	1480	691
Biraul	26616	18596	8020	3565	2734	831	18200	12459	5741	976	553	423	3875	2850	1025
Ghanshyampur	18837	12412	6425	3058	2380	678	13292	8409	4883	680	407	273	1807	1216	591
Kiratpur	10189	6511	3678	1068	523	545	8091	5482	2609	473	186	287	557	320	237
Gaura Bauram	11908	7671	4237	1738	1146	592	8698	5662	3036	351	163	188	1121	700	421
Kusheshwar Asthan	22176	12054	10122	2292	1109	1183	17875	9671	8204	419	216	203	1590	1058	532
Kusheshwar Asthan East	21413	12799	8614	1860	1105	755	18256	11010	7246	649	179	470	648	505	143
Biraul Sub Division Total:	111139	70043	41096	13581	8997	4584	84412	52693	31719	3548	1704	1844	9598	6649	2949
District Total (Rural)	389408	269109	120299	47200	34767	12433	276424	189319	87105	14073	7319	6754	51711	37704	14007
District Total (Urban)	18064	13470	4594	1033	849	184	5172	3551	1621	1362	943	419	10497	8127	2370
District Total	407472	282579	124893	48233	35616	12617	281596	192870	88726	15435	8262	7173	62208	45831	16377

2.3 भौगौलिक स्थिति :

दरभंगा मिथिला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ की मुख्य भाषा/बोली मैथिली एवं हिन्दी है। दरभंगा जिला का सम्पूर्ण भू–भाग मैदानी एवं उपजाऊ क्षेत्र है। आपदा की दृष्टिकोण से लगभग संपूर्ण जिला बाढ़ से अति संवेदनशील है। इस जिले से होकर गुजरने वाली नदियाँ पड़ोसी जिला मधुबनी और सीतामढ़ी से होकर आती हैं जो अत्यधिक जलप्रवाह के कारण प्रायः इस जिला में बाढ़ का कारण बनती है। जिससे जान–माल एवं आजीविका की क्षति होती है।

जिला से होकर गुजरने वाली मुख्य नदियाँः– कमला बलान, बागमती, खिरोई, करेह और अधवारा समूह की नदियाँ हैं। कमला बलान जिला के पूर्वी क्षेत्र से होकर गुजरती है जबकि बागमती नदी जिला के पश्चिमी भाग से होकर बहती है जो हायाघाट से आगे चल कर करेह कहलाती है तथा खगड़िया में बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। इन मुख्य नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ यथा – जीवछ, कमला भी हैं, जो जिला से होकर गुजरती है। अधिकांश नदियाँ बरसात के दिनों में उग्र रूप धारण कर लेती है।

अधवारा समूह एवं खिरोई नदी जो हनुमाननगर प्रखंड के सिरनियाँ के निकट बागमती नदी में मिल जाती है, उनकी निकासी का एक मात्र रास्ता हायाघाट और थलवारा स्टेशन के मध्य स्थित दो रेल पुल हैं, जिस कारण रेलवे लाईन के पश्चिमी भाग में पानी का अत्यधिक दबाव बना रहता है।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस जिले में सामान्य एवं भीषण बाढ़ आती रही है। 1987, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007, 2009, 2011, 2017, 2019, 2020 एवं 2021 में असाधारण बाढ़ आई थी। वर्ष 2003, 2008, 2009, 2014, 2015 एवं 2016 में जिले में बाढ़ आई थी लेकिन उसका कोई व्यापक प्रभाव नहीं रहा। वर्ष 2018 में मानसून प्रभावी नहीं रहने के कारण बाढ़ नहीं आई। मानसून प्रभावी रहने के कारण तथा नेपाल में भारी बारिश के कारण पडोसी जिला सीतामढ़ी एवं मधुबनी के साथ–साथ दरभंगा जिला में भी बाढ़ का व्यापक प्रभाव पड़ता है तथा यहाँ के लगभग सभी प्रखंडों में जन–जीवन प्रभावित होता है।

यहाँ तीन मुख्य मौसम है– शीत ऋतु, ग्रीष्म गर्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु नवम्बर से फरवरी तक रहती है। ठंडे का मौसम वैसे मार्च तक टिकता है। फिर पछुवा धूल भरी हवा बहती है और ताप क्रम 42 डिग्री सेन्टीग्रेड तक पहुंच जाता है। मध्य जून तक आते आते बारिश प्रारंभ होती है और तापक्रम धटने एवं आद्रता बढ़ने लगती है। बारिश सितम्बर तक और कभी कभी मध्य अक्टूबर तक जारी रहती है।

रेल एवं वायु मार्ग से यह जिला सम्पूर्ण भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है तथा सड़क मार्ग से यह जिला राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–57 से जुड़ा हुआ है।

दरभंगा, बिहार के सभी मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से वर्तमान में दो राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–27 एवं एन0एच0–527B) तथा चार राजकीय राजमार्ग गुजरती हैं। इसके अतिरिक्त जिला में कुल–115 एम0डी0आर0 मार्ग है।

2.4 कृषि :

दरभंगा जिला मूलतः एक कृषि प्रधान जिला है। जिला का औसत सालाना वर्षापात 1121.35 मिमी वर्षा रहा है। कृषि प्रधान इस जिले में आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि एवं कृषि –उत्पाद है। यहाँ की मुख्य फसलें धान, गेहूं, मक्का, तेलहन/दलहन है। इसके अतिरिक्त मखाना, सिंघहारा, आम, मत्स्य पालन एवं डेयरी आदि आजिविका के महत्वपूर्ण श्रोत है। मखाना उत्पादन को बढावा देने हेतु जिला में एक मखाना प्रोसेसिंग यूनिट है।

2.5 विद्यालय :

शिक्षा के क्षेत्र में जिला में दो विश्वविद्यालय (ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृति विश्वविद्यालय) एक चिकित्सा महाविद्यालय (दरभंगा मेडिकल कॉलेज), चार तकनीकी संस्थान एवं कुल 1422 प्राथमिक विद्यालय, 741 मध्य विद्यालय एवं 346 उच्च विद्यालय, 25 कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय है।

2.6 पशुपालन :

जिले में पशुपालन के क्षेत्र में गाय, भैस एवं बकरी के अलावे भेड़ एवं सुअर है। जिसका विवरणी प्रखंडवार इस प्रकार ह

2017 में हुई पशुगणना के आधार पर पशुओं की संख्या

क्र0 सं0	प्रखण्ड	गाय	भैंस	बकरी	भेड़	कुक्कुट	बत्तख	सुअर	घोड़ा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	दरभंगा	17157	26581	35931	0	0	0	256	0
2	बहेड़ी	34104	33845	20796	3	0	0	359	0
3	बिरौल	32815	20691	16235	0	0	0	743	0
4	केवटी	16542	30094	33862	2	0	0	105	0
5	सिंहवाड़ा	13886	18093	16445	47	0	0	58	0
6	जाले	15675	26159	34666	2	0	0	278	0
7	बहादुरपुर	14735	19592	25859	3	0	0	44	0
8	बेनीपुर	13581	37722	10943	21	0	0	274	0
9	मनीगाछी	16890	10962	9824	0	0	0	334	0
10	कुशेश्वरस्थान	21830	9989	13234	0	0	0	396	0
11	हनुमाननगर	19074	25805	29642	0	0	0	2	0
12	गौराबौराम	19826	14218	8711	0	0	0	218	0
13	हायाघाट	9275	5847	12238	0	0	0	72	0
14	अलीनगर	14085	11200	7853	6	0	0	145	0
15	घनश्यामपुर	15773	9542	7233	3	0	0	323	0
16	कुशेश्वरस्थान पूर्वी	24432	11133	22476	3	0	0	209	0
17	तारडीह	11978	7300	7161	0	0	0	279	0
18	किरतपुर	11665	6768	9225	18	0	0	449	0
कुल योग–		**323323**	**325541**	**322334**	**108**	**0**	**0**	**4544**	**0**

पशु चिकित्सक के लिए उपलब्ध संसाधन के रूप में एक राजकीय पशु चिकित्सालय, 30 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, 60 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं वर्तमान में 32 पशु चिकित्सक एवं 06 पशुधन सहायक उपलब्ध हैं।

= = = = = =

अध्याय–03

खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण
Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis

दरभंगा जिला अपने विशेष भौगोलिक एवं जलवायु के कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं यथा बाढ़, भूकम्प, सूखा, अग्निकांड, वज्रपात, सड़क दुर्घटना आदि के प्रति प्रवण है। जिला कई प्रकार के प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से प्रभावित होता रहा है। भौगोलिक संरचना, जनसंख्या धनत्व में वृद्धि एवं जिला में स्थित कमजोर आधारभूत संरचनाएँ इसे संवेदनशील बनाती है।

3.1 जिला के विभिन्न खतरों (Hazards) के कालखंड एवं संवेदनशील (Vulnerable) क्षेत्र :

खतरा / माह	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टुबर	नवम्बर	दिसम्बर	संवेदनशील क्षेत्र
बाढ़													संपूर्ण जिला बाढ़ प्रभावित है।
भूकंप													संपूर्ण जिला भूकम्पीय जोन v में है।
सुखाड़													वर्शा अनुसार, जिला के आं िक क्षेत्र।
आग													पछुआ हवा एवं त्योहारों के दौरान संपूर्ण जिला। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र।
लू													संपूर्ण जिला
ओलावृष्टि													ओलावृश्टि के अनुसार, जिला के आं िक क्षेत्र।
शीतलहर													मौसम अनुसार, संपूर्ण जिला।
ठनका / वज्रपात													वर्शा अनुसार, संपूर्ण जिला।
सड़क दुर्घटना													संपूर्ण जिला।
औद्योगिक दुर्घटना													
भगदड़													धार्मिक त्योहारों के दौरान।
महामारी													संपूर्ण जिला। (कोविड)
रेल दुर्घटना													रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र
नाव / डुबन की दुर्घटना													संपूर्ण जिला। विशेषकर त्योहारों के दौरान।
सर्पदंश													संपूर्ण जिला।

आपदा चिह्नितकरण : इस जिले में विभिन्न आपदाओं की तीव्रता, आवृति तथा आपदा क्षति क आलोक में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।

जिला	बाढ	भूकंप	सूखा	आग	लू	ओलावृष्टि	शीतलहर	ठनका / वज्रपात	औद्योगिक दुर्घटना	भगदड़	सड़क दुर्घटना	भगदड़	महामारी	रेल दुर्घटना	नाव / डुबने की दुर्घटना	सर्पदंश
दरभंगा																

तीव्रता सूचक			
उच्च	मध्य	निम्न	सामान्य

3.2 संभावित खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषणः–

दरभंगा जिला एक बहु आपदा प्रवण जिला है। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण यह जिला लगभग पूरे वर्ष किसी–न–किसी आपदा से प्रभावित रहता है। जिला में घटित/संभावित खतरों के कालखंड, उसकी तीव्रता एवं संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में पीछे के पेज पर तालिका के माध्यम से दर्शया गया है।

3.3 आपदाओं, संवेदनशीलता एवं जोखिमों का विश्लेषणः–

3.3.1 बाढ़

3.3.1.1 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

2279 वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत व 3921971 जनसंख्या से आच्छादित दरभंगा जिला बिहार के अति बाढ़ प्रवण जिलों म से एक है। जिले की कुल 324 ग्राम–पंचायतों में से लगभग 197 ग्राम पंचायतों के 1015 ग्राम कमोबेश प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस जिले में सामान्य एवं भीषण बाढ़ आती रही है। 1987, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007, 2009, 2011, 2017, 2019, 2020 एवं 2021 में असाधारण बाढ़ आई थी। **वर्ष** 2003, 2008, 2009, 2014, 2015 एवं 2016 में जिले में बाढ़ आई थी लेकिन उसका कोई व्यापक प्रभाव नहीं रहा। वर्ष 2018 में मानसून प्रभावी नहीं रहने के कारण बाढ़ नहीं आई। वर्ष 2020 में मानसून प्रभावी रहने के कारण तथा नेपाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ का व्यापक प्रभाव रहा तथा 15 प्रखंडों में लगभग 5 लाख 94 हजार परिवार प्रभावित हुए।

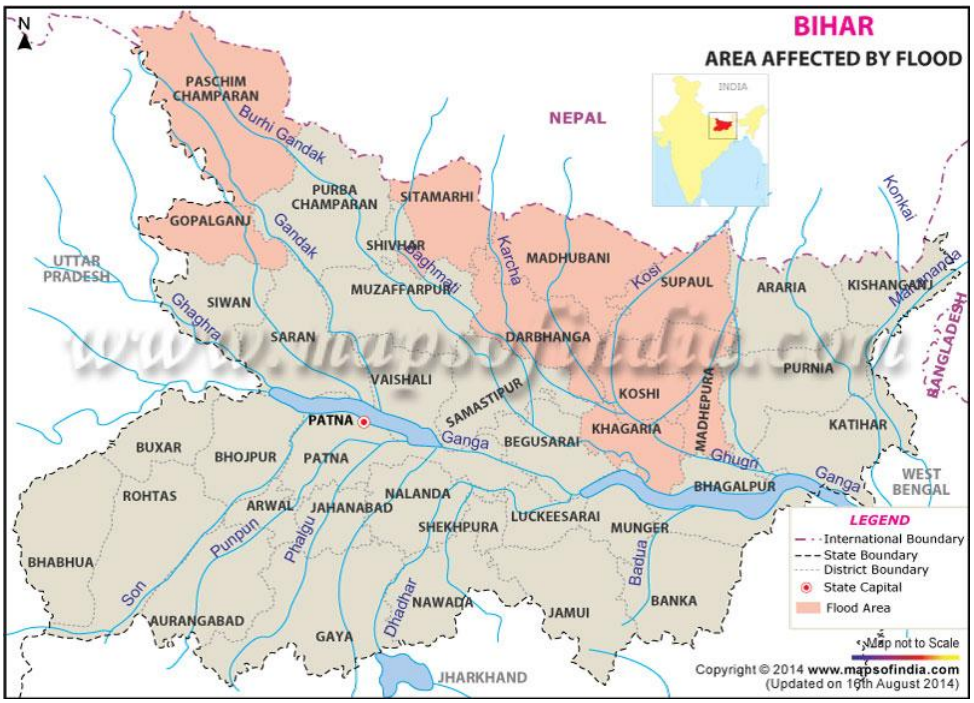

इसके पूरब में कमला, बलान व कोसी नदियाँ तथा पश्चिम में बागमती व अधवारा समूह की नदियों के अतिरिक्त जीवछ, खिरोई व करेह नदियाँ सामान्य दिनों में इस धरती को उर्वर बनाती हैं, तो बरसात के दिनों में अपनी विभीषिका से बाढ़ की शक्ल में सम्पूर्ण जन–जीवन को तबाह करने को आतुर रहती हैं। बावजूद इसके, प्रशासनिक पहल तथा इस जिले के जाबांज–वासिंदों की दृढ़ इच्छाशक्ति व इस्पाती हौसले की बदौलत हम इस पर काबू पाने में सक्षम हो पाते हैं।

इस जिला के किरतपुर, गौड़ाबौराम, कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थान पूर्वी एवं घनश्यामपुर प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। नेपाल से निकलने वाली अनेकों नदियां दरभंगा जिला होकर बहती है। नेपाल तथा पहाड़ी क्षेत्र में भारी वर्षा होने के बाद लगभग 48 घंटे में इसका प्रभाव जिला में दिखाई देता है। इसमें अधिकांश नदियां वर्षाकालीन हैं, जो भारी वर्षा के समय विकराल रूप धारण कर लेती हैं और जिले के बड़े क्षत्र में बाढ़ का कारण बनती हैं। कालक्रम में इन नदियों पर विभिन्न तटबंधों का निर्माण हो जाने से बाढ़ की विभीषिका में काफी कमी आई है, परन्तु तटबंधों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हो गया है, क्योंकि उन तटबंधों के टूटने से बड़ी क्षति एवं भारी तबाही होती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2004 में शहरी सुरक्षा तटबंध के टूटने से पूरा दरभंगा नगर क्षेत्र एवं आस–पास के गाँवों को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ा तथा इसी प्रकार वर्ष 2017 में कमला बलान तटबंध टूटने से घनश्यामपुर एवं उसके आस–पास के प्रखंडों मे भारी तबाही हुई थी। वर्ष–2020 में नेपाल के तराई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण खिरोई, अधवारा समूह, बागमती कोशी, कमला नदी के जलस्तर में अत्याधिक वृद्धि होने के कारण केवटी में गोपालपुर लाधा जमीन्दारी बाँध टूटने के कारण दरभंगा जिला बाढ से प्रभावित हुआ।

बाढ़ के कारण पूर्व के वर्षों में हुई क्षति का इतिहास						
क्र0	प्रभावितों का विवरण	वर्ष 2017	वर्ष 2018	वर्ष 2019	वर्ष 2020	वर्ष 2021
1	प्रभावित प्रखंडों की संख्या	18	–	18	15	17
2	प्रभावित पंचायतों की संख्या	280	–	224	252	252
3	पभावित ग्रामों की संख्या	1061	–	850	1184	581
4	प्रभावित जनसंख्या	2387425	–	2270200	2617654	1447129
5	प्रभावित फसल क्षेत्र	1422541	–	49155866	952182000	522223
6	क्षतिग्रंस्त मकानों की संख्या	10243	–	2767	4053	405

बाढ़ प्रभावित पंचायतों/राजस्व ग्रामो की सूची					
क्र0	अंचल का नाम	बाढ़ प्रभावित पंचायतों की संख्या		बाढ़ प्रभावित ग्रामों की संख्या	बाढ़ प्रभावित जनसंख्या
		पूर्ण	आंशिक		
1	सदर दरभंगा	सोनकी	नैनाघाट	115	247947
2		घोरघट्टा	धोई		
3		रानीपुर	कबीरचक		
4		अतिहर	सारामहमद		
5		बिजुली	कंसी		
6			शीशो प0		
7			शीशो पूर्वी		
8			शहवाजपुर		
9			बासुदेवपुर		
10			खुटवारा		
11			मुरिया		
12			अदलपुर		
13			लोआम		
14			खरूआ		
15			दुलारपुर		
16			भालपट्टी		
17			रन्ना		
	कुल	5	17	115	247947
1	बहादुरपुर	मनियारी	बहादुरपुर देकुली,	175	2,57,595
2		सिमरा नेहालपुर,	टीकापट्टी देकुली,		
3		ओझौल,	वाजितपुर,		
4		तारालाही,	बिउनी अंदामा,		
5		पिड़री,	डरहार,		
6		खराजपुर,	कुशौथर,		
7		हरिपट्टी,	बरूआरा,		
8		जलवार,	उघरा,		
9		उघरा महापारा	खैरा		
10			मेकनाबैदा,		
11			बसतपुर		
12			रामभद्रपुर,		
13			प्रेमजीवर,		
14			दिलावरपुर		
	कुल	9	14	175	257595

1	हायाघाट	–	मल्हीपट्टी उतरी	48	1,22,228
2			मल्हीपट्टी दक्षिणी		
3			चंदनपट्टी		
4			मझौलिया		
5			आनन्दपुर सहोड़ा		
6			सिधौली		
7			मिर्जापुर		
8			श्रीरामपुर		
9			पतोर		
10			सिरनिया प0 बिलासपुर		
11			सिरनिया पूर्वी0 बिलासपुर		
12			पौराम		
13			ररूलपुर		
14			घोषरामा		
	कुल	0	14	48	122228

क्र0	अंचल का नाम	बाढ़ प्रभावित पंचायतों की संख्या		बाढ़ प्रभावित ग्रामों की संख्या	बाढ़ प्रभावित जनसंख्या
		पूर्ण	आंशिक		
1	हनुमाननगर	नेयाम छतौना,		85	1,54,631
2		पंचोभ,			
3		डीहलाही			
4		रामपुरडीह,			
5		गोढ़ैला			
6		गोढ़ियारी,			
7		अरैला			
8		पटोरी,			
9		मोरो,			
10		नरसारा			
11		रूपौली			
12		गोदाईपट्टी,			
13		सिनुआरा,			
	कुल	14	0	85	1,54,631
1	बहड़ी		अटहर उत्तरी		268389
2			अटहर दक्षिणी		
3			भच्छी		
4			बघौनी		
5			बहेड़ी पूर्वी		
6			बहेड़ी पश्चिमी		
7			बलिगॉव		
8			बिठौली		
9			चकवा भरवाड़ी		
10	बहेड़ी		धनौली		
11			दोहट नारायण		
12			गंगदह शिवराम		
13			हरहच्चा		
14			हथौड़ी उत्तरी		
15			हथौड़ी दक्षिणी		
16			हावीडीह उत्तरी		
17			हावीडीह दक्षिणी		
18			हावीडीह मध्य		
19			जोरजा		
20			मिटुनियॉ		
21			निमैठी		
22			पघारी		
23			रमौली गुजरौली		
24			समधपुरा		
25			सुसारी तुर्की		
26			इनाई		
27			ठाठोपुर		
	कुल	0	27		268389
1	सिंहवाड़ा	कटका	सनहपुर	100	236055
2		हरिहरपुर पश्चिमी	राजो		

3		हरिहरपुर पूर्वी	निस्ता		
4		टेकटार	भरवाड़ा		
5		कलिगाँव	शंकरपुर		
6		भरहुल्ली	अस्थुआ		
7		भराठी	भवानीपुर		
8		सढ़वाड़ा	मनिकौली		
9		हरपुर	कटासा		
10		अरई बिरदीपुर	सिंहवाड़ा उत्तरी		
11			सिंहवाड़ा दक्षिणी		
12			रामपुरा		
13			सिमरी		
14			माधोपुर बस्तवाड़ा		
15			बनौली		
	कुल	10	15	100	236055

क्र0	अंचल का नाम	बाढ़ प्रभावित पंचायतों की संख्या		बाढ़ प्रभावित पंचायतों की संख्या	बाढ़ प्रभावित जनसंख्या
		पूर्ण	आंशिक		
1	जाले	सहसपुर,	जाले उत्तरी,	26	114674
2		जोगियारा,	.जाले पश्चिमी,		
3		जाले पूर्वी,	.जाले दक्षिणी,		
4		देवड़ा बंधौली,	.राढ़ी पश्चिमी		
5		मुरैठा,	राढ़ी दक्षिणी		
6		मस्सा,	राढ़ी उतरी,		
7		करवा तरियानी,	रतनपुर,		
8		ढढ़िया बेलवारा,	कतरौल बसंत		
9		कमतौल,	कछुआ		
10		ब्रहमपुर पुर्वी	दोघड़ा		
11		ब्रहमपुर पश्चिमी	रेवढ़ा		
12		अहियारी उत्तरी,			
13		अहियारी दक्षिणी			
14		काजी बहेड़ा			
15		राढ़ी पूर्वी			
	कुल	15	11	26	114674
1	केवटी	कोठिया	छतवन,	80	152785
2		जलवारा,	बनसारा,		
3		असराहा	सरजापुर,		
4		मझिगामा	लहवार,		
5		पिण्डारूच,	बरही,		
6		शेखपुरदानी,	लदारी,		
7		बरिऔल,	लालगंज,		
8		कर्जापट्टी,	केवटी,		
9		माधोपट्टी,	पैगम्बरपुर		
10		कोयलास्थान,			
11		, ननौरा,			
12		खिरमा			
	कुल	12	9	80	152785
1	मनीगाछी		उजान	26	74564
2			गंगौली कनकपुर		
3			टटुआर		
4			ब्रह्मपुरा भट्टपुरा		
5			बघांत		
6			माँउबेहट		
7			चनौर		
8			कटमा बहुअरवा		
	कुल	0	8	26	74564

1	तारडीह	पोखरभिण्डा	भोरपुर नारायणपुर	37	121882
2		कैथवार	विशाहथ–बथिया		
3		राजाखरवार	महथौर		
4		ठेंगहा	इजरहाटा		
5		ककोढ़ा	बैका		
6		कुर्शो मछैता			
7		नदियामी			
8		लगमा			
9		कठरा			
	कुल	9	5	37	121882

क्र0	अंचल का नाम	बाढ़ प्रभावित पंचायतों की संख्या		बाढ़ प्रभावित पंचायतों की संख्या	बाढ़ प्रभावित जनसंख्या
		पूर्ण	आंशिक		
1	बेनीपुर	बाथो रढ़ियाम	विश्वनाथपुर तरौनी	26	194641
2		माधोपुर महम्मदपुर	शिवराम		
3		गणेश बनौल बलनी	हाबी भौआड़		
4		जरिसो	सज्जनपुरा		
5			पोहद्दी पश्चिमी		
6			महिनाम		
7			नगर परिषद क्षेत्र		
	कुल	4	7	26	194641
1	अलीनगर	लहटा तुमौल सुहथ	धमुआरा धमसाईन	35	144284
2		गरौल	हरसिंगपुर		
3		हनुमाननगर	नावानगर नरमा		
4		धमुआरा धमसाईन	अलीनगर		
5		हरियठ			
6		मोतीपुर			
7		मोहीउददीनपुर पकड़ी			
	कुल	7	4	35	144284
1	बिरौल	सोनपुर पघारी	पोखराम उत्तरी	56	87891
2		बिरौल	अफजला		
3		सुपौल	अकबरपुर बैंक		
4		लदहो	उछटी		
5		पोखराम दक्षिणी	सहसराम		
6		नेउरी	पटनियाँ		
7			रामनगर		
8			मनौर भौराम		
9			अरगा उसरी		
10			गनौरा तरवारा		
11			देकुली जगन्नाथपुर		
12			पड़री		
13			साहो		
14			कहुआ		
15			कमरकाला		
16			रोहाड़ महमुदा		
17			भवानीपुर		
18			ईटवा शिवनगर		
19			डुमरी		
	कुल	6	19	56	87891

1	घनश्यामपुर		जयदेवपट्टी	25	103200
2			तुमौल		
3			घनश्यामपुर		
4			पाली		
5			ब्रहमपुरा मसवासी		
6			पुनहद		
7			गनौन		
8			लगमा		
9			बुढैव इनायतपुर		
	कुल	0	9	25	103200

क्र0	अंचल का नाम	बाढ़ प्रभावित पंचायतों की संख्या		बाढ़ प्रभावित पंचायतों की संख्या	बाढ़ प्रभावित जनसंख्या
		पूर्ण	आंशिक		
1	गौड़ाबौराम	कसरौर बसौली		52	160866
2		कसरौर बेलवाड़ा			
3		नारी			
4		कुमैई भदौन			
5		आसी			
6		कसरौर करकोली			
7		कन्हैई			
8		आधारपुर			
9		बौराम			
10		नदैई			
11		गौड़ामानसिंह			
12		बघरासी			
13		मनसारा			
	कुल	13	0	52	160866
1	किरतपुर	रसियारी पौनी		17	81171
2		किरतपुर			
3		झगरूआ			
4		झगरूआ तरवाड़ा			
5		कुबौल ढांगा			
6		नरकटिया भंडरिया			
7		जमालपुर			
8		खैसा जमालपुर			
	कुल	8	0	17	81171
1	कुशेश्वरस्थान पूर्वी	कुश .उत्तरी		42	128724
2		कुशे. दक्षिणी			
3		केवटगामा			
4		उसड़ी			
5		महिसौत			
6		भिण्डुआ			
7		ईटहर			
8		उजुआ सिमरटोका			
9		सुघराईन			
10		तिलकेश्वर			
	कुल	10	0	42	128724
	कुशेश्वर स्थान	औराही	0	73	162492
		हरिनगर			
		भदहर			
		बेरि			
		मसानखोन			
		हिरणी			
		विषहरिया			
		हरौली			
		गोठानी			
		बड़गावॅ			
		बरना			
		पकाही झझड़ा			
		चिगड़ी सिमराहा			
		दिनमो			
	कुल	14	0	73	162492

3.3.1.2 संवेदनशील तटबंध स्थलः

जिले के प्रमुख तटबंधों की विवरणी निम्नप्रकार है।

क्र0	तटबंध का नाम	तटबंध का भाग (कि0मी0)
1	दायाँ कमला बलान तटबंध	52 से 96.5 कि0मी0
2	बायाँ कमला बलान तटबंध	75 से 103.12 कि0मी0
3	कोशी का पश्चिमी तटबंध घोघरडीहा से नीचे	66 से 75 कि0मी0
4	खिरोई बायाँ तटबंध	4 से 46.5 कि0मी0
5	खिरोई दायाँ तटबंध	4 से 47.5 कि0मी0
6	दरभंगा शहर सुरक्षा तटबंध, बागमती	0 से 10.5 कि0मी0 (मब्बी)
7	दरभंगा शहर सुरक्षा तटबंध, बागमती	0 से 10.5 कि0मी0 (सिरनियाँ)
8	सिरनियाँ सिरसिया बायाँ तटबंध करेह बागमती	0 से 22 कि0मी0
9	बिलासपुर सुरक्षा तटबंध, बागमती	0 से 1.46 कि0मी0
10	सिरनियाँ सिरसिया दायाँ तटबंध करेह बागमती (हायाघाट कराचीन तटबंध)	0 से 21 कि0मी0
11	लाधा तटबंध, केवटी	0 से 3 कि0मी0

उपर्युक्त सभी तटबंधों का प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु से पूर्व वरीय प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारियों के दल द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाता है और उसके सुदृढ़ीकरण तथा आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने हेतु बड़ी तैयारियाँ की जाती हैं।

तटबंधों के निर्माण के बाद भी कुछ गाँव दो तटबंधों के बीच रहने के कारण प्रत्येक वर्ष नदी का जल स्तर बढ़ने पर बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिनकी विवरणी निम्नप्रकार हैः–

क्र0	प्रखंड का नाम	संबंधित तटबंध का नाम	पंचायत का नाम	प्रभावित गाँव का नाम	प्रभावित आबादी (लगभग)
1	घनश्यामपुर	कमला पूर्वी तटबंध एवं कमला पश्चिमी तटबंध के बीच	बुढ़ेव इनायतपुर	(क) भरसाह टोला (ख) गिद्धा नवटोलिया (ग) बाउर (घ) कनकी मुसहरी	6000
			लगमा	(क) लगमा मुसहरी (ख) जमुरी डीह	
2	कुशेश्वरस्थान पूर्वी	कमला पूर्वी तटबंध, कमला पश्चिमी तटबंध एवं कोशी पूर्वी तटबंध के बीच	ईटहर	(क) चौकिया (ख) लक्षमिनियाँ (ग) ईटहर पोखर (घ) विशुनियाँ (ड) विशुनियाँ पोखर (च) समौरा	6000
			उसड़ी	(क) उसड़ी (ख) उसड़ी घाट	
3	किरतपुर	कमला पूर्वी तटबंध	रसियारी पौनी	(क) रसियारी टोले केवट	180
		कमला पूर्वी तटबंध एवं कोशी पश्चिमी तटबंध के बीच	रसियारी पौनी	(क) रसियारी	25253
			झगरूआ तरवाड़ा	(क) झगरूआ (ख) तरवाड़ा	11079 2744
			कुबौल ढ़ांगा	(क) कुबौल (ख) तेतरी	3043 1469
			नरकटिया भंडरिया	(क) नरकटिया (ख) भूभौल (ग) जगासो	1085 1820 3128
			जमालपुर	(क) जमालपुर (ख) भुल्ली	12792 919
			खैंसा जमालपुर	(क) खैंसा	3892
			कुबौल ढ़ांगा	(क) ढ़ांगा (ख) अमाही	3012 339
		कोशी नदी के पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध के बीच	झगरूआ तरबाड़ा	(क) डाका	5424
			नरकटिया भंडरिया	(क) भंडरिया (ख) कदवाड़ा	1570 1133
			खैंसा जमालपुर	(क) बरदीपुर	2721
4	गौड़ाबौराम	कमलाबलान दांया एवं बांया तटबंध	गोरामानसिंह	(क) चतरा (ख) रहिटोल	3000 2600
			आधारपुर	(क) मनसारा (क) बाथ	2500
			बौराम	(क) मुसहरी टोल	400
				कुल	102103

इस जिले के प्रखंडों से बहने वाली नदियों की विवरणी निम्न प्रकार है:–		
क्रमांक	**प्रखंड का नाम**	**बहनेवाली नदियों के नाम**
1.	दरभंगा	जीवछ नदी
		अधवारा समूह
		बागमती नदी
		कमला नदी
2.	बहादुरपुर	जीवछ नदी
		बागमती नदी
		कमला नदी
3.	हनुमाननगर	बागमती नदी
4.	हायाघाट	खिरोई नदी
		करेह नदी
		बागमती नदी
5.	केवटी	कमला नदी
		अधवारा समूह
6.	सिंहवाड़ा	अधवारा समूह
		बागमती नदी
		खिरोई नदी
7.	जाले	खिरोई नदी
		अधवारा समूह
8.	मनीगाछी	बलान नदी
		कमला नदी
9.	तारडीह	बलान नदी
		कमला नदी
10.	बहेड़ी	करेह नदी
11.	बेनीपुर	कमला नदी
12.	अलीनगर	कमला नदी
13.	बिरौल	जीवछ नदी
		कमला नदी
14.	गौड़ाबौराम	जीवछ नदी
		कमला नदी
15.	घनश्यामपुर	कमला नदी
		बलान नदी
16.	किरतपुर	कोशी नदी
		कमला नदी
17.	कुशेश्वरस्थान	कमला नदी
18	कुशेश्वरस्थान पूर्वी	कमला नदी

3.3.1.3 बाढ़ प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन :

खाद्यान्न भंडारण हेतु स्थलों/गोदामों की सूची				
क्र0	अंचल का नाम	पंचायत का नाम	भंडार स्थल का नाम	भंडारण क्षमता
1	सदर दरभंगा	कंशी	कृ0उ0बाजार समिति शिवधारा	2000
2		शिशो प0		
3		शिशो पूर्वी		
4		बासदेवपुर		
5		शहवाजपुर		
6		अतिहर		
7		दुलारपुर		
8		कवीरचक	प्र0मु0बि0आर0शि0 भवन	5000
9		सारामहमद		
10		बिजुली		
11		लोआम		
12		छोटाईपट्टी		
13		खरूआ		
14		अदलपुर		
15		मुरिया	प्र0मु0बि0आर0शि0 भवन	5000
16		खुटवारा		
17		भालपट्टी		
18		रानीपुर		
19		घोई		
20		घोरघट्टा	प्र0मु0बि0आर0शि0 भवन	5000
21		नैनाघाट		
22		सोनकी		
1	बहादुरपुर	सिमरा नेहालपुर,	1. एस0एफ0सी0, गोदाम, बहादुरपुर प्रखंड के प्रांगण 2. एस0एफ0सी0 गोदाम, लहेरियासराय	
2		मनियारी,		
3		जलवार		
4		पिड़री		
5		दिलावरपुर,		
6		वाजितपुर,		
7		बरूआरा		
8		बहादुरपुर	आई0टी0आई0 परिसर, रामनगर, लहेरियासराय	5000
9		डरहार,	आई0टी0आई0 परिसर, रामनगर, लहेरियासराय	5000
10		प्रेमजीवर		
11		हरिपट्टी,		
12		ओझौल	आई0टी0आई0 परिसर, रामनगर, लहेरियासराय	
13		तारालाही,		
14		खराजपुर,		
15		उघरा,		
16		खैरा		
17		रामभद्रपुर,		
18		टीकापट्टी देकुल		
19		मेकनाबैदा,		
20		बिउनी अंदाम		

क्र0	अंचल का नाम	पंचायत का नाम	भंडार स्थल का नाम	भंडारण क्षमता
1	हायाघाट	अंचल मुख्यालय, हायाघाट	राज्य खाद्य निगम गोदाम, हायाघाट	500
2		आन्नदपुर	उ0वि0, आन्नदपुर	500
1	हनुमाननगर	गोढ़ियारी,	अंचल मुख्यालय, हनुमाननगर	1400
2		पंचोभ		
3		रामपुरडीह,		
4		डीहलाही	जनता मुख्यालय, पटोरी	800
5		नेयाम छतौना		
6		सिनुआरा,		
7		थलवाड़ा		
8		मोरो,		
9		अरैला,		
10		गोदाईपट्टी,		
11		पटोरी,		
12		रूपौली		
13		गोढ़ैला		
1	बहड़ी	अटहरी उत्तरी	मध्य विद्यलाय अटहर गोट	300
2		अटहरी दक्षिणी	पंचायत सरकार भवन बघनोची	275
3		हथौड़ी दक्षिणी	कन्या मध्य विद्यालय	150
4		बलिगांव	उत्क्रमित म0 वि0, बलिगांव	200
5		रमौली गुजरौली	मध्य विद्यलाय भंग्ही	150
6		सुसारी तुर्की	उच्च विद्यालय सुसारी	100
7		हावीडिह उतरी	मध्य विद्यालय कमलपुर	150
1	सिंहवाड़ा	सनहपुर	राज्य खाद्य निगम सिंहवाड़ा	500
2		राजो		
3		कटका		
4		निस्ता		
5		हरिहरपुर पू0	बाजार समिति शिवधारा	500
6		हरिहरपुर प0	बाजार समिति शिवधारा	500
7		टेकटार		
8		कलिगॉव	राज्य खाद्य निगम सिंहवाड़ा	500
9		अस्थुआ		
10		शंकरपुर	राज्य खाद्य निगम सिंहवाड़ा	500
11		भरवाड़ा		
12		मनिकौली		
13		भरहुल्ली		
14		भवानीपुर		
15		सिंहवाड़ा उ0		
16		सिंहवाड़ा द0		500
17		कटासा		
18		सिमरी		
19		रामपुरा		
20		बनौली		
21		भराठी		
22		माधोपुर बस्तवारा		
23		अरई विरदीपुर		
24		सढ़वाड़ा		
25		हरपुर		

1	जाले	सहसपुर	प्रखंड मुख्यालय,जाले।	1500
2		जोगियारा		
3		जाले उत्तरी		
4		जाले पूर्वी		
5		जाले पश्चिमी		
6		जाले दक्षिणी		
7		रेवढ़ा		
8		कतरौल बसंत		
9		कछुआ		
10		दोघड़ा		
11		काजीबहेरा		
12		देवड़ा बंधौली		
13		मुरैठा		
14		मस्सा		
15		करवातरियानी		
16	जाले	ढढ़िया बेलवारा		3000
17		कमतौल		
18		राढ़ी उत्तरी		
19		राढ़ी पूर्वी		
20		राढ़ी दक्षिणी		
21		राढ़ी पश्चिमी		
22		रतनपुर		
23		ब्रह्मपुर पूर्वी		
24		ब्रह्मपुर पश्चिमी		
25		अहियारी उत्तरी		
26		अहियारी दक्षिणी		
1	केवटी	बरिऔल	कृषि बाजार समिति शिवधारा दरभंगा	500
2		कर्जापट्टी		
3		माधोपट्टी	कृषि बाजार समिति शिवधारा दरभंगा	500
4		पिण्डारूच		
5		कोठिया		
6		मझिगामा		
7		बरही		
8		केवटी	प्रखण्ड मुख्यालय केवटी	500
9		पैगम्बरपुर		
10		लालगंज		
11		दिघियार		
12		नयागाँव पूर्वी		
13		नयागाँव पश्चिमी		
14		असराहा	उच्च विद्यालय खिरमा	500
15		जलवारा	उच्च विद्यालय खिरमा	500
16		खिरमा		
17		कोयलास्थान		
18		ननौरा		
19		शेखपुरदानी	खादी भंडार हाजीपुर	500
20		लदारो		
21		लहवार	उच्च विद्यालय रैयाम	500
22		छतवन		
23		बनसारा		

24		सरजापुर		
25		छाछा पचाढ़ी		
26		रजौड़ा		
1	मनीगाछी	राजे	व्यापार मंडल मनीगाछी	2000
		राजे	प्रखंड मुख्यालय	5000
1	तारडीह	महथौर	मध्य विद्यालय, पुतई	250
2		बैका	कृशि विभाग का गोदाम	300
3		ठेंगहा	ऑगनवाड़ी केन्द्र, ढेंगहा	200
4		पोखरभिण्डा	म0 विद्यालय, पोखरभिंडा	200
5		कुर्शा मछैता	हाई स्कूल, कुर्सो मछैता	325
1	बेनीपुर	बेनीपुर	बेनीपुर बाबा नागार्जुन कर्पूरी स्टेडियम, बेनीपुर	3000
2		बेनीपुर	मध्य विद्यालय हनुमाननगर, बेनीपुर	1000
3		बेनीपुर	प्रोगेवट कन्या उच्च विद्यालय, बेनीपुर	2000
4		बेनीपुर	पंचायत भवन, बेनीपुर	2000
1	अलीनगर	अधलोआम	मध्य विद्यालय रामपुरउदय	2000
2			म0 वि0, पिपरपॉती मुसहरी अधलोआम	1500
3		लहटा तुमौल सुहथ	उ0 म0 विद्यालय सुहथ	1500
4			उ0 म0 विद्यालय, तुमौल	2000
5		गराल	म0 विद्यालय गरौल चक्का	2500
6			म0 विद्यालय मिर्जापुर बालक	2500
7		हनुमाननगर	उ0 म0 वि0, टीकापटटी	1000
8			उ0 म0 वि0, ननकार	1000
9		धमुआरा धमसाईन	उ0 म0 वि0, रूपसपुर	2000
10			प्रा0 वि0, धमसाईन मध्य	1000
11		हरियठ	उ0 म0 वि0, हरियठ उर्दू	2000
12			प्रा0 वि0, हरियठ उर्दू	1000
13		मोतीपुर	उ0 म0 वि0, अन्टौर	3000
14			उ0 म0 वि0, मोतीपुर	1000
15		मोहीउददीनपुर पकड़ी	उ0 म0 वि0, कटहा	1000
16			उ0 म0 वि0, जौघट्टा	2000
17		हरसिंगपुर	उ0 मध्य विद्यालय, जयन्तीपुर दाथ	3000
18			उ0 मध्य विद्यालय, वाटगंज	2000
19		नावानगर नरमा	उ0 मध्य विद्यालय, नरमा	2000
20			प्रा0 वि0, नावानगर दक्षिणी	1000
21		अलीनगर	उ0 मध्य विद्यालय, अलीनगर उर्दू	2000
22			उर्दु मध्य विद्यालय सहजौली	2000
1	बिरौल	भवानीपुर	म0वि0कमलपुर	500
2		परड़ी	म0वि0 परड़ी	500
3		देकुली जगन्नाथपुर	म0वि0जगन्नाथपुर	100
4		बिरौल	जनता कोशी महाविद्यालय बिरौल	600
5		अकबरपुर बैंक	म0वि0 प्रखण्ड परिसर बिरौल	300
1	घनश्यामपुर	घनश्यामपुर	बिहार राज्य खाद्य निगम गोदाम (नया)	500
2		घनश्यामपुर	बिहार राज्य खाद्य निगम गोदाम (पुराना)	200
3		पुनहद	बी0आर0सी0 भवन पुनहद	400
4		ब्रहमपरा मसवासी	उ0 म0 विद्यालय नवटोल	200
5		कोर्थु पश्चिमी	उ0 विद्यालय शिवजीनगर घाट	200
1	किरतपुर	रसियारी पौनी	राज्य खाद्यान्न गोदाम घनश्यामपुर	500
2		किरतपुर		
3		झगरूआ		

4		झगरूआ–तरवाड़ा		
5		कुबौले– ढांगा		
6		नरकटिया– भंडरिया		
7		जमालपुर		
8		खेसा– जमालपुर		
1	गौड़ाबोराम		अंचल में गोदाम नही है	
1	कुशेश्वरस्थान पूर्वी	कुशेश्वरस्थान पूर्वी	एस0एफ0सी0, सतीघाट	15000
1	कुशेश्वरस्थान	भदहर	आधार भूत संरचना भवन, भदहर	1000
2		औराही	उत्क्रमित म0 वि0, कटवारा घाट	400
3		हरिनगर		
4		बेरी	म0 वि0, बेरि	1000
5		बिसहरिया	म0 वि0, बेरि	1000
6		मसानखोन		
7		हिरणी	प्रखण्ड मुख्यालय	
8		हरौली		
9		बड़गाँव		5000
10		पकाही झझड़ा		
11		चिगड़ी सिमराहा	उच्च वि0 झझड़ा	1000
12		दिनमो	म0 वि0 मधुबन	1000
13		वरना		1000
14		गोठानी	म0 वि0 समैला	

सरकारी नावों की सूची

क्र0	अंचल का नाम	आकार	कार्यस्थल	नाविक का नाम	मोवाईल नंबर	क्षमता	निबंधन संख्या
1	सदर दरभंगा	छोटी	शीशो पूर्वी	सौखी सहनी		10	
2		छोटी	शीशो पूर्वी	रामवृक्ष सहनी		10	
3		छोटी	शीशो पश्चिमी	उदय सहनी		10	
4		छोटी	शीशो पश्चिमी	अमित कुमार यादव		10	
5		छोटी	शीशो पश्चिमी	दोरिक सहनी		10	
6		छोटी	छोटाईपट्टी	राजेन्द्र सहनी		10	
7		छोटी	धोई	पिन्टु पासवान		10	
8		छोटी	वासुदेवपुर	विशो यादव		10	
		छोटी	सोनकी	जीवछ सहनी		10	
		छोटी	अतिहर	विष्णु सहनी		10	
		छोटी	नगर निगम दरभंगा	राजकुमार राय		10	
		छोटी	नगर निगम दरभंगा	साजन कुमार पासवान		10	
		छोटी	कुंशी	नथुनी सहनी		10	
		छोटी	शीशो पूर्वी	सुरेश सहनी		10	
9		छोटी	शीशो पश्चिमी	सुनील सहनी		10	
1	बहादुरपुर	छोटी	ओझौल			0	
2		छोटी	पिरड़ी			6	
3		छोटी	मनियारी			2	
4		छोटी	सिमरा नेहालपुर			0	
5		छोटी	तारालाही			0	
6		छोटी	उघरा महापारा			2	
7		छोटी	बिउनी अंदामा			1	
8		छोटी	जलवार			1	
9		छोटी	मेकनाबैदा			1	
10	बहादुरपुर	छोटी	,शोभन में मुख्य सड़क से शोभन चौक तक	नथुनी सहनी		10	

11		छोटी	टेंगुआ से जलवार	सुरेश पासवान		10	
12		मझोला	आमापट्टी से कमलपुर	कुशेशर मुखिया		20	
13		मझोला	दरगाह बातर टोला में नदी इस पार से नदी उस पार	महेन्द्र मुखिया		20	
14		मझोला	दाईंग मल्लाह टोला अवस्थित नदी में	कारी मुखिया		20	
15		मझोला	प्रंखण्ड मुख्यालय–(सुरक्षित)			20	
1	हायाघाट	मझोला	सिरनिया के विभिन्न घाटों पर	श्री भुट्ठु यादव	9955545223	20	
2		,,		श्री नसरूल	9934393956	20	
3		,,		मो0 कादिर साह	8651886384	20	
4		,,		जगदीश सहनी	9631125118	20	
5		,,		श्री दशरथ सहनी	7352395376	20	
6		,,		बंगाली यादव	9279329662	20	
1	हायाघाटपंचायत स्तर से प्राप्त	मझोला	सिरनिया के विभिन्न घाटों पर	महेन्द्र यादव,	9472214437	20	
2				लोहा यादव,	8083028259		
1	हनुमाननगर	बड़ी	तारालाही से सिमरी पथ तक	जयमंगल मंडल एवं धनई पासवान	9939281265 राजस्व कर्मचारी	25	
2		बड़ी	भरौल गांव से वाटरवेज बांध तक	वेचन सहनी		25	
3		बड़ी	ठाकुर टोला, हरिजन टोला एवं पी.डब्लूडी सड़क तक	रूदल राम एवं प्रभु पासवान		25	
4		बड़ी	नरसरा वार्ड नं0 2 उत्तरी टोला से पी. डब्लूडी सड़क तक	गुडउ कुमार एवं परमेश्वर राम		25	
5		बड़ी	प्रखंड मुख्यालय से पी. डब्लूडी सड़क तक	राम विलाश पासवान एवं अर्जन पासवान		25	
6		बड़ी	हरिचन्दा से तारालाही	विप्पत पासवान	9431050694 राजस्व कर्मचारी	25	
7		बड़ी	पंचोभ से तारालाही	संजय चौधरी		25	
8		बड़ी	मुस्तफापुर से वाटरवेज गोढ़ियारी तक	रघुवीर सहनी एवं सनीचन पासवान	9939281265 राजस्व कर्मचारी	25	
9		बड़ी	नेयाम से उखरा तक	सिकील सहनी		25	
10	हनुमाननगर	बड़ी	उखरा से हरिचन्दा तारालाही तक	राम विलास पासवान	9431050694 रा कर्म	25	
11		बड़ी	वहपत्ती से पोलियो चौक सिरनीया	महेन्द्र पासवान एवं हृदय सहनी	9661333239 रा कर्म	25	
12		बड़ी	नकटी से रामपुर डीह तक	दिनेश यादव	9431050694 रा कर्म	20	
13		बड़ी	वहपत्ती से नरदरिया तक		9661333239 रा कर्म	20	
14		मझोला	नेयाम से छतौना		9939281265 राजस्व कर्मचारी	10	
15			वघला से गोढ़ियारी तक			10	
16		मझोला	नरदरिया से मुख्य सड़क तक	राज किशोर पासवान		10	
17			पोअरिया से मखनाही तक	दिनेश पासवान	9431050694 राजस्व कर्मचारी	10	
18		मझोला	रामपुर डीह मे	संजीत पासवान		10	
19			रूपौली	संझर आलम		10	
20		मझोला	अम्वेदकर नगर से डीहलाही	सुखदेव पासवान	9939281265 राजस्व कर्मचारी	10	
1	बहेड़ी		अटहर डीह उत्तरी				
2		छोटी	अटहर गोट				

3		छोटी	केरवा कोइठ महथा घाट जीवछ नदी				
4		छोटी	केरवा कोइठ के नहर घाट जीवछ नदी				
5		छोटी	अटहर दक्षिणी बलॉट घाट कमला नदी				
6		छोटी	ग्राम पंचायत धनौली हेतु एक छोटी नाव				
7		छोटी	कमला नदी बघनोची घाट पंचायत भवन के पास				
8		छोटो	अटहर दक्षिणी पंचायत के बलॉट घाट				
9		छोटी	हथौरी उत्तरी पंचायत कोठरा घाट हेतु				
10		बड़ी	करेह नदी खरारी घाट				
11		बड़ी	करेह नदी भगवतीपुर घाट				
1	सिंहवाड़ा	बड़ी	अरई नदी घाट	मो0 जाविर हुसैन		25	
2		बड़ी	अरई नदी घाट	श्री किशोरी सहनी प0 स्व0 रामजी सहनी ग्राम– अरई		25	
3		बड़ी	सुड़ा बाँध के मन में कलिगाँव	रामश्रेष्ट राम पे0 स्व0 मोती राम ग्राम– कलिगाँव		25	
4		बड़ी	महेशपट्टी पिपड़ा मैन सड़क के बीच बुढ़नद नदी में	पवन कुमार सिंह पिता रामपरीक्ष्ज्ञण सिंह ग्राम–कलिगाँव		25	
5		बड़ी	मदरसातुल्य वनाम कनौर से हरिहरपुर मंदिर	अब्दल कलाम पे0 युनुस ग्राम– कुसुमपट्टी, हरिहरपुर पश्चिमी		25	
6		छोटी	कतड़ी पोखर से हरिहरपुर चमरटोली तक	रामाशीष कमती पिता स्व0 लोटन कमती ग्राम– हरिहरपुर पूर्वी		10	
7		छोटी	दहसील पैरा से मोगलाहा मलहाबाड़ी अंधवाड़ा नदी में कटका	राज कुमार सहनी पिता स्व0 दखा सहनी ग्राम– दहसील		10	
8		छोटी	बुढ़नद नदी के पचगछिया घाट पर राजो	नागेश्वर सहनी पिता स्व0 पलट सहनी ग्राम– राजो		10	
9		बड़ी	हसनचक से गोगैल होते हुए खिरोई वाटर वेज तक कलिगाँव	रामाशीष दास पिता स्व0 श्रीचन्द्र दास ग्राम– हसनचक		25	
10		छोटी	रामपुरा से टाटा कॉलनी जाने वाले मार्ग सिंहवाड़ा	खेलावन सहनी पिता स्व0 शम्भु सहनी		10	
11		छोटी	मालपट्टी से कनौर मुसहरी टोला तक हरिहरपुर पश्चिमी	मो0 अखतर पे0 स्व0 सफीउर रहमान ग्राम– कनौर		10	
12		छोटी	चमनपुर टोला से विरदी पुर चौक तक सिमरी पंचायत	फकरी सहनी पिता स्व0 सरयुग सहनी ग्राम– चमनपुर		10	
13		बड़ी	कुसुमपट्टी से कनौर होते हुए हरिहरपुर मंदिर तक हरिहरपुर पश्चिमी	गुलाब पिता मोहदीन ग्राम– कनौर		25	
14		बड़ी	तिरसठ से कनौर होते हुए हरिहरपुर मंदिर हरिहरपुर पश्चिमी	गुलाब रसूल पिता जकारी ग्राम– कनौर		25	
15		बड़ी	पैरा के मुसहरी टोला से मुख्य सड़क तक कटका	रामबाबु सहनी पिता प्रभु सहनी ग्राम– पैरा दहसील		25	
16		बड़ी	सुशीदाबाग से हरिहरपुर मंदिर तक हरिहरपुर पश्चिमी	मो0 कलाम पिता वारिष्ज्ञ हयात ग्राम– कनौर		25	

17	सिंहवाड़ा	बड़ी	चमनपुर से वाटर वेज होते हुए हरिहरपुर मंदिर तक हरिहरपुर पश्चिमी	राजकिशोर मंडल पिता वालदेव मंडल ग्राम– कनौर		25	
18		बड़ी	गोगौल से वाटर वेज होते हुए पीपल के पेड़ तक कलिगाँव	राजदेव सहनी पिता योगेन्द्र सहनी ग्राम– गोगौल		25	
19		बड़ी	भराठी उत्तरी टोला से एन एच 57 तक	चन्देश्वर सहनी पिता बरसो सहनी ग्राम– भराठी		25	
20		बड़ी	भरहुल्ली पंचायत हेतु	देवेन्द्र सहनी पिता रामवृक्ष सहनी ग्राम– कोरा		25	
1	जाले	बड़ी	खिरोइ नदी से बरेली बाजार तक	लाल बाबू सहनी जोगिन्द्र सहनी		25	
2		बड़ी	करवा से करदौली	बिन्देश्वर सहनी चलितर सहनी		25	
3		बड़ी	कमतौल स्टेशन से कमतौल बाजार	अरूण कु0 मुखिया शिवन सहनी		25	
4		बड़ी	भगवती स्थान कमतौल से विशहर स्थान तक	जोगिन्दर सहनी सिनोद सहनी		25	
5		बड़ी	कुम्हरौली से कमतौल स्टेशन तक	भोगी सहनी लुचो सहनी		25	
6		बड़ी	ततैला से कमतौल स्टेशन तक	भोगी सहनी बिहारी सहनी		25	
7		बड़ी	निमरौली से मधोपुर	रामविलाश पासवान ललित पासवान		25	
8		बड़ी	अलिमावाद निमरौली से अहिल्यास्थान	सिताराम पासवान सुशिल पासवान		25	
9		बड़ी	जोगियारा माई स्थान से लगगामा	जितेन्द्र राय सूरज महतो		25	
10		बड़ी	देवड़ा स्टेशन से महुली ननकार	रिझन खतवे लखन मांझी		25	
11		बड़ी	देवड़ा गांव से छरकी तक	श्रीरायजी खतवे केवल खतवे		25	
12		बड़ी	सुपौलिया से धनकौल	श्रीशंकर दास सूरज दास		25	
13		बड़ी	सुपौलिया से छरकी	महेन्द्र यादव रघु यादव		25	
14		बड़ी	काजीबहेरा से खोरिया टोल	रामचन्द्र सहनी लक्ष्मी सहनी		25	
15		बड़ी	घोघराहा चौक से मनमा	बसु सहनी मौजे सहनी		25	
16		बड़ी	जहाँगीर टोला से बसु टोल तक	रामचन्द सहनी महेन्द्र सहनी		25	
17		बड़ी	खराज से कमतौल तक	मंचित पासवान रूदल मांझी		25	
18		बड़ी	ढढ़िया से कमतौल	राजदेव मांझी सुरेन्द्र यादव		25	
19		बड़ी	कुम्हरौली चौक से हाट तक	नरेश यादव शिवनाथ दास		25	
20		बड़ी	अहिल्या स्थान से चनुआ टोल तक	रूपेन महतो भोला माझी		25	
1	केवटी	मझोला	बिनवारा	भोला मांझी	7762907180	15	BRG-0003
2			कहरिया	रामनाथ सहनी	7352151881	15	BRG-0007
3			पथरा	झरी साफी	8651563883	15	BRG-0002

4			खिरमा	रामू यादव	7079091516	10	BRG-0001
5			मुहम्मदपुर	कारी पासवान	9507718538	10	BRG-0004
6			लाधा	रामविलास सहनी	9534614886	10	BRG-0008
7			धोबगामा	परमेश्वर सदाय	7250525719		BRG-0005
8			बिनवारा	बैधनाथ मांझी	7762907180		BRG-00010
9			शाहपुरडीह	शत्रुघ्न यादव	95761339198		BRG-0009
10			रसलपुर	सुनिल मांझी	7631363098		BRG-0006
1	मनीगाछी	बड़ा	मुख्यालय परिसर मनीगाछी	—	—	25	
2		बड़ा				25	
3		छोटा				10	
1	तारडीह	बड़ी नाव	ठेंगहा			25	
2		"	पोखरभिण्डा			25	
3		मझौल	अवाम			15	
1	बेनीपुर	बड़ी	पोहद्दी	राजीव कुमार सहनी	7262998325		
2		बड़ी	नवटोलिया बेनीपुर	बैदनाथ सहनी	8789274248		
3		बड़ी	माधोपुर	जितु मुखिया	8293205027		
4		छोटी	जकौली	लक्ष्मण मुखिया	9142201127		
5		छोटी	शिवराम	विश्वकर्मा मुखिया	8534521271		
6		छोटी	सभी नाव पुर्णतह क्षतिग्रस्त एवं तीनो नाव मरम्मती योग्य नहीं है।				
1	अलीनगर	छोटा	अलीनगर	विजय कुमार यादव	अलीनगर	25	BRG-1202
2		छोटा	अलीनगर	लाल मुखिया		25	BRG-0829
3		छोटा	अलीनगर	जामुन मुखिया		15	BRG-0828
1	घनश्यामपुर	बड़ी	घनश्यामपुर	टूनटून साफी	घनश्यामपुर		
2		छोटा	घनश्यामपुर	तेजो यादव	घनश्यामपुर		
3		छोटा	घनश्यामपुर	मो0 इसलाम	घनश्यामपुर		
1	गौड़ाबौराम	बड़ा	पुनाच एन एच 17 से रिंग बाध से कोठराम रिंग बाध तक	रामोतार राय		25	BRG-0090
2		बड़ा	बाथ अमीर पूर्वी ठोला तक	श्री अरूण तांती		25	BRG-0175
3		बड़ा	बगरासी से हनुमान चौक तक परसरमा	श्री धर्मेन्द्र सदा		25	BRG-0093
4		छोटा	लगमा महादलित टोला से मुख्य सड़क तक	श्री जोगी सदा		16	
5		छोटा	ग्राम कन्हई से पूरब	अब्दुल रजाक		16	
6		छोटा	सनकन्हई से पश्चमी मुख्य मार्ग तक	मो0 हासिम		10	
7		बड़ा	कमला बलान मुख्य नदी चतरा तक	श्री लालो मुखिया		25	BRG-0089
8		बड़ा	बाथ अमाही पुआरी टोला कमला बलान मुसहरी तक	श्री विन्देशर मुखिया		25	BRG-0092
9		मझौल	कसरौर से बसौली तक	श्री जीतन मांझी		15	BRG-0121
10		मझौल	पुनाच से मलई बाध तक	श्री प्रकाश मुखिय		15	BRG-0118
1	किरतपुर	छोटी	झगरूआ तरवाड़ा	कृष्ण देव यादव	7480090050	10	
2		छोटी	झगरूआ तरवाड़ा	जय लाल यादव	7292847322	10	
3		छोटी	झगरूआ तरवाड़ा	राम यादव	7870413214	10	

4		छोटी	झगरूआ तरवाड़ा	असेसर मुखिया	7782079944	10	
5		बड़ी	झगरूआ तरवाड़ा	करमचन्द्र सदा	7292843431	25	
6		बड़ी	झगरूआ तरवाड़ा	रामनारायण यादव	9006004808		
7		बड़ी	रसियारी पौनी	राम मुखिया	9955611567		
8		बड़ी	रसियारी पौनी	संजय यादव			
9		बड़ी	रसियारी पौनी	रजीत मुखिया	8080203901		
10		बड़ी	नरकटिया भंडरिया	फुलो सदा			
11		बड़ी	नरकटिया भंडरिया	राजा पासवान	8291308067		
12		बड़ी	नरकटिया भंडरिया	अमर चौपाल	8757631412		
13		बड़ी	नरकटिया भंडरिया	ब्बलु कुमार राय	9306008107		
14		बड़ी	नरकटिया भंडरिया	दुलार चन्द्र सदा	8287162084		
15		बड़ी	नरकटिया भंडरिया	लझमि मुखिया	7814034792		
16		छोटी	नरकटिया भंडरिया	घुरण सदा	7870414667		
17		छोटी	नरकटिया भंडरिया	कारी सदा	8708875245		
18		छोटी	नरकटिया भंडरिया	भोला यादव	7367812839		
19		छोटी	नरकटिया भंडरिया	उमाकान्त यादव	8252250538		
20		छोटी	खैसा जमालपुर	अखिलेश पासवान			
21		छोटी	खैसा जमालपुर	मिथिलेश राय	6206510896		
22		छोटी	खैसा जमालपुर	रामनारायण राय			
23		छोटी	खैसा जमालपुर	रामफल ताती	9534313364		
24		छोटी	झगरूआ	भुजाई चौपाल			
25		छोटी	झगरूआ	मो0 अली	8521387561		
26		छोटी	झगरूआ	गुजन चौपाल			
27		छोटी	झगरूआ	सुकन सदा			
28		छोटी	झगरूआ	रोहित सहनी			
29		छोटी	झगरूआ	चुन्ना			
30		छोटी	किरतपुर	फकरूद्विन	7644928334		
31		छोटी	किरतपुर	उतम चौपाल	7766891411		
32		छोटी	किरतपुर	शिव कुमार यादव	8294167575		
33		छोटी	जमालपुर	जीवछ सहनी	9006138391		
1	बिरौल	छोटी	सोनपुर पघारी	हरिशंकर पासवान	9934807768		
2		छोटी	सोनपुर पघारी	रंजीत पासवान	8789688091		
3		छोटी	सोनपुर पघारी	मनिकलाल मुखिया	9162001754		
4		छोटी	सोनपर पघारी	रियाज नादाफ	9631786988		
5		छोटी	सोनपुर पघारी	रामू कमती	7913976938		
6		छोटी	सोनपुर पघारी	गंगा पासवान	8012014546		
7		छोटी	सोनपुर पघारी	समशुल नदाफ			
8		छोटी	सुपौल	उतम पासवान	7543995611		
9		छोटी	सुपौल	मो0 जफीर	9534892102		
10		छोटी	सुपौल	कुशेश्वर पासवान	7254069846		
11		छोटी	अफजला	मनोज कुमार प्रसाद			
12		छोटी	अफजला	सुरज कुमार मंडल			
13		छोटी	अफजला	जगन्नाथ चौपाल			
14		छोटी	लदहो	अमरजीत पासवान			
15		छोटी	लदहो	हरेराम सदा			
16		छोटी	लदहो	बलित राम			
17		छोटी	लदहो	राम नारायण पासवान			
18		छोटी	पोखराम (द0)	बदलु मुखिया			
19		छोटी	पोखराम (द0)	गंगाराम यादव			
20		छोटी	पोखराम (द0)	महेश राम			
21		छोटी	पोखराम (द0)	विमलेश कुमार			
22		छोटी	पोखराम (द0)	मलहु सदा			
23		छोटी	पोखराम (द0)	राम प्रकाश पासवान			
24		छोटी	पोखराम (द0)	मो0 इरफान			

25		छोटी	सहो	सिकन्द्र चौधरी			
26		छोटी	सहसराम	गोपाल पासवान			
27		छोटी	बैरामपुर	लक्ष्मण सहनी	9987209178		
28		छोटी	बैरामपुर	रामअवतार सहनी			
29		छोटी	बिरौल	अकलु सदा			
30		छोटी	बिरौल	दाहारू सदा			
31		छोटी	बिरौल	राधा प्रसाद सदा	9135845775		
32		छोटी	ईटवाशिवनगर	नुनु मुखिया			
33		छोटी	कमरकला	शिव कुमार मुखिया	8920032635		
34		छोटी	कमरकला	मोद मुखिया	8920032635		
35		छोटी	पटनियॉ	संजीत मुखिया	9661934659		
36		छोटी	पटनियॉ	लालो मुखिया	9939754539		
37		छोटी	छेकुलीघाम	विजय मुखिया	9350234181		
38		छोटी	मनौर भौराम	संतोष पासवान	7739216173		
39		छोटी	अरगा उसरी	मनोज सहनी	8809627046		
1	कुशेश्वरस्थान पूर्वी।	मझौला	ईटहर पोखर से पूवी तटबंध तक	मोती सदा पे0– दहोर सदा, ग्राम – ईटहर पोखर	–	15	–
2		मझौला	ईटहर पोखर से कमला बांध तक	रामदेव सदा पे0– धुसर सदा ग्राम – ईटहर पोखर	–	15	–
3		मझौला	जिमराहा गांव से कमला बलान पश्चिमी तटबंध तक	रंजीत कुमार राय पे0– रामउदय राय, ग्राम– जिमराहा	–	15	–
4		मझौला	महादेव मठ से उजुआ डाकघर तक	सत्यनारायण मुखिया पे0– बुच्ची मुखिया ग्राम–महिसौत	–	15	–
5		मझौला	समौरा से कमला बलान तक	नारायण सदा पे0– महावीर सदा, ग्राम– समौरा	–	15	–
6		मझौला	पासवान टोला चौकिया से कमला बलान बांध तक	रामविलाश पासवान पे0– चलित्तर पासवान ग्राम– चौकिया	–	15	–
7		मझौला	बद्री भगत के घर से राम सागर यादव के घर होते हुए नदी किनारे तक	शिवजी सदा पे0– मह्दिर सदा ग्राम– सिमरठोका	–	15	–
8		मझौला	सिमराही से उजुआ तक	नारायण राय पे0– पवित्तर राय ग्राम– सिमरारी	–	15	–
9		मझौला	उसरी घाट से हरिनाही तक	सुरेश साफी पे0– लखन साफी ग्राम– उसरी घाट	–	15	–
10		मझौला	राम नारायण के घर से लक्ष्मी रिषिदेव के घर के बीच कटिंग में	सूर्य नारायण राय पे0– स्व0 रामदेव राय ग्राम उसरी	–	15	–
11		मझौला	राम शंकर राय के घर से चन्द्रशेखर यादव के घर तक	लाल मोहर सदा प0–खुशी लाल सदा ,ग्राम उसरी	–	15	–
12		मझौला	गणेश राय के घर से महेन्द्र पोद्दार के घर तक	कैलाश पोद्दार पे0– ह्रिदय नारायण पोद्दार ग्राम उसरी	–	15	–
13		मझौला	अरराही से कोनिया के बीच	ंकर सदा पे0– कमलेश्वर सदा ग्राम – अररही	–	15	–
14		मझौला	मखनाही से तारनी घाट तक	विकास पासवान पे0– रमेश पासवान ग्राम मखनाही	–	15	–
15		मझौला	केवटगामा से सिसौना तक	रामदेव यादव पे0– निर्धन यादव ग्राम– सिसौना	–	15	–
16	कुशेश्वरस्थान पूर्वी।	मझौला	खेसराहा डीह से कुशेश्वर स्थान जाने वाले कटिंग में	राम चन्द्र यादव पे0– मनराज यादव ग्राम– खेसराहा डीह	–	15	–
17		मझौला	फकदोलिया से धबौलिया तक	रमेश यादव पे0– स्व0– मुनी लाल यादव ग्राम – भरडीहा	–	15	–
18		मझौला	पईपोखर से सिसौना तक	परमेश्वर सदा पे0– मुनीलाल सदा ग्राम – भरडीहा	–	15	–
19		मझौला	धबौलिया मुख्य सडक पर कटिंग स महेन्द्र राय के दरवाजा तक	इन्द्रजीत राय पे0– राम प्रवेश राय ग्राम– धबौलिया	–	15	–
20		मझौला	वार्ड नं0– 11 से बलकावा बाबा स्थान तक	प्रदीप पासवान पे0– साधु पासवान ग्राम – तिलकेश्वर	–	15	–

21		मझौला	सिमरटोका से बांध कटिंग सिमरटोका तक	मनोज हजारी पे0– प्रगास हजारी ग्राम सिमरटोका	–	15	–
22		मझौला	गोलमा से गोलमा डीह के बीच नदी में	प्रेम लाल सदा पे0– मदन सदा ग्राम– गोलमा	–	15	–
23		मझौला	कराईन टोला से तिलकेश्वर शिव मंदिर तक	विशेश्वर मुखिया पे0– कैलू मुखिया ग्राम– तिलकेश्वर	–	15	–
24		मझौला	तिलकेश्वर से सवका टोला तक	चन्ददेव मुखिया पे0– जीवन मुखिया ग्राम– सेवका	–	15	–
25		मझौला	कोलाटोका से कोलाघाट तक	राम चन्द राय पे0– सिता राम राय ग्राम– कोला टोका	–	15	–
26		मझौला	सिमराही उतरवाड़ी टोला से बीच वाला टोला	सिकंदर सदा पे0– कमलेश्वरी सदा ग्राम– सिमराही	–	15	–
27		मझौला	गोलमा चमरटोली से गोरधई तक	रामबली सदा पे0–जगदीश सदा, ग्राम– गोलमा	–	15	–
28		मझौला	तिलकपुर टोला से खलासीन बाबा के स्थान तक	गरीब यादव पे0– रामजी यादव	–	15	
29		मझौला	ईटहर से कमला बलान बांध तक	शिव शंकर सदा पे0– रबी सदा, ग्राम– ईटहर		15	
30		मझौला	भरडीहा से खलासीन तक	सत्यनारायन सहनी पे0– रासे सहनी		15	
31		मझौला	सेवका टोला से सेवका टोला तक	दशरथ मुखिया पे0– दुखा मुखिया ग्राम सेवका		15	
32		मझौला	फकदालिया से दिधियापार तक	देवनारायण राय पे0– शिव नारायण राय		15	
33		मझौला	तिलकेश्वर डीह से मुश्हरी तक	सुरेन्द्र पासवान पे0– विजल पासवान ग्राम– तिलकेश्वर		15	
1	कुशेश्वरस्थान	मझौला	विषहरिया	श्री प्रदीप मुखिया			BRG/1101
2		मझौला	विषहरिया	श्रीमति नीलम देवी			BRG/1099
3		मझौला	बलाठ	श्री मिथिलेश साहु			BRG/1140
4		मझौला	बलाठ	श्री संदीप मुखिया			BRG/1136
5		मझौला	पैकाचराई दिनमों	श्री सुधीर कुमार पासवान			BRG/1100
6		मझौला	झिलोरिया	श्रीमति फुल सदाय देवी			BRG/1142
7		मझौला	नदियामी	श्री सुशील कुमार सिंह			BRG/1187
8		मझौला	मोहिम खुर्द	श्री विजय पोद्दार			BRG/1088
9		मझाला	झझरा	श्री लक्षमण राय			BRG/1089
10		मझौला	वेरी	श्री कारी राम			BRG/1090
11		मझौला	रामवाड़ी	श्री मो0 मधु मियां			BRG/1091
12		मझौला	मरची हिरणी	श्री मोहन राय			BRG/1092
13		मझौला	हिरणी	श्री राम चन्द्र शर्मा			BRG/1093
14		मझौला	हरिनगर	श्री अशर्फी पासवान			BRG/1094
15		मझौला	मिस्सी	श्री राजो खतवे			BRG/1095
16		मझौला	चातर हरिनगर	श्री मो0 जहीर			BRG/1096
17		मझौला	हथड़ा	कुवांन अंसारी			BRG/1097
18		मझौला	काशीमपुर	श्री राधेश्याम यादव			BRG/1098
19		मझौला	हिरणी	श्री कारी कामतो			BRG/1137
20		मझौला	सिमराहा	श्री विरजू यादव			BRG/1138
21		मझौला	घोड़ दौर	श्री विपिन कुमार यादव			BRG/1139
22		मझौला	हरौली	श्री रामा पासवान			BRG/1141
23		मझौला	चिगड़ी	श्री कन्त लाल यादव			BRG/1133
24		मझौला	लालपुर	श्री घुरन सदा			BRG/1134
25		मझौला	झझड़ा	श्री विजली देवी			BRG/1135
26		मझौला	नदियामी	श्री सुशील कुमार सिंह			BRG/1102
27		मझौला	नदियामी	श्री दिगम्बर यादव			BRG/1103

28		मझौला	हरिनगर	श्री तारकेश्वर झा			BRG/1104
29		मझौला	हरौली	श्री मुनेश्वर राम			BRG/1105
30		मझौला	परमानन्दपुर	श्री राम प्रकाश यादव			BRG/1130
31		मझौला	पोखर भिन्डा	श्री कृष्ण कुमार राम			BRG/1106
32		मझौला	राम वाड़ी	श्री संजय कुमार			BRG/1107
33		मझौला	नदियामी	श्री दुखी यादव			BRG/1109
34		मझौला	हथड़ा	श्री होरिल शर्मा			BRG/1110
35		मझौला	हरिनगर	श्री सुधांसु शेखर झा			BRG/1111
36		मझौला	विष्णुपुर	श्री शोभा सदा			BRG/1112
37		मझौला	विष्णुपुर	श्री गांगो पासवान			BRG/1113
38		मझौला	मधुवन	श्री संजय साह			BRG/1114
39		मझौला	मैवी	श्री शंकर मुखिया			BRG/1115
40		मझौला	हथौड़ी	श्री लाल कुमार राय			BRG/1116
41		मझौला	नारायणपुर	श्रीमति जय माला दवी			BRG/1117
42		मझौला	ग्यासपुर	श्री वीरवल यादव			BRG/1118
43		मझौला	परमानन्दपुर दिनमों	श्री सुरेन्द्र कुमार			BRG/1119
44		मझौला	फकिरना	श्री फुल चंद राम			BRG/1120
45		मझौला	सुल्तानपुर	श्री राम उदेश चौपाल			BRG/1121
46		मझौला	हथौड़ी	श्री जय प्रकाश मुखिया			BRG/1122
47		मझौला	मधुवन दिनमो	श्री विकास भारती			BRG/1123
48		मझौला	मधुवन दिनमो	श्री अशोह साह			BRG/1124
49		मझौला	मसान खोन	श्री चलितर मुखिया			BRG/1126
50		मझौला	सुन्दरपुर	श्री मो0 जहांगीर			BRG/1127
51		मझौला	भदौल	श्रीमति खैरून खातुन			BRG/1128
52		मझौला	भदौल	श्रीमति सुधा देवी			BRG/1130
53		मझौला	काशीमपुर	श्री उपेन्द्र यादव			BRG/1131
54		मझौला	बड़गांव	श्री रमेश कु0 सिंह			BRG/1132
55		मझौला	मधुबन	श्री उमेश मुखिया			BRG/975
56		मझौला	वरना	श्री मो0 आलम साह			BRG/971
57		मझौला	हरौली	श्री गोपी कमती			BRG/982
58		मझौला	असमा	श्री दुर्गो पासवान			BRG/963
59		मझौला	हथड़ा गोसनी	श्री मो0 सनाउल्लाह अंसारी			BRG/964
60		मझौला	वरना	श्री शैलेन्द्र कुमार निषाद			BRG/965
61		मझौला	काशीमपुर	श्री अमरेश कुमार यादव			BRG/966
62		मझौला	अकोनमा	श्री मनोज यादव			BRG/968
63		मझौला	खेसराहाघाट	श्री वसंत मुखिया			BRG/967
64		मझौला	नदियामी	श्री मुन्ना कुमार मुखिया			BRG/970
65		मझौला	वहोरवा	श्री सत्य नारायण यादव			BRG/969
66		मझौला	वरना	श्री मो इरफान अहमद			BRG/973
67		मझौला	सुन्दरपुर	श्री मो0 अली इमाम			BRG/972
68		मझौला	सकिरना	श्री गंगा पासवान			BRG/974
69		मझौला	वरना	श्री मो0 आकिफ			BRG/977
70		मझौला	हिरणी	श्री रामचतन प्रसाद			BRG/978
71		मझौला	मोहिम खुर्द	श्री सिन्टु कुमार चौधरी			BRG/980
72		मझौला	विषहरिया	श्री धर्म देव मुखिया			BRG/979
73		मझौला	हथड़ा गोठानी	श्री मो0 अनवारूल हक			BRG/981
74		मझौला	उदा दिनमों	श्री सुरेश मुखिया			BRG/961

75		मझौला	उदा दिनमों	श्री मदन मोहन साहु			BRG/960
76		मझौला	उदा दिनमों	सिकिन्दर यादव			BRG/959
77		मझौला	विष्णुपुर	श्री धर्मेन्द्र पासवान			BRG/958
78		मझौला	मोहिम खुर्द	श्री अनिल कुमार साहु			BRG/957
79		मझौला	परमानन्दपुर	श्रीमति मंजू देवी			BRG/956
80		मझौला	हथड़ा	श्री कैलाश सहनी			BRG/955
81		मझौला	चिगड़ी	श्री तेज नारायण मुखिया			BRG/954
82		मझौला	भदौल	श्री जीवछ मियां			BRG/953
83		मझाला	बलहा	श्री विश्वनाथ साहु			BRG/952
84		मझौला	उदा	श्री कृष्णा यादव			BRG/951
85		मझौला	जाकरपुर	श्री राम उदगार मुखिया			BRG/950
86		मझौला	परमानन्दपुर	श्री चन्द्र किशोर यादव			BRG/949
87		मझौला	गोपालपुर	श्रीमति संजू देवी			BRG/947

ऊचे स्थलों एवं शरणस्थलों की सूची

क्र0	अंचल का नाम	पंचायत का नारम	स्थान का नाम	क्षमता
1	दरभगा	शिशो प0	म0 वि0 शिशो कन्या	1500
		शिशो प0	उ0 म0 वि0 मखनाही	1500
		शिशो प0	म0 वि0 केतुका	1500
		शिशो प0	म0वि0 शिशो	1000
		कंशी	म0 वि0 कंसी, चक्का	1500
		शिशो प0	म0वि0 शिशो	1000
		शिशो पूर्वी	प्र0वि0 शिशो	1000
		शहवाजपुर	शिशो हाल्ट	1000
		बासदेवपुर	प्रा0वि0 बासदेवपुर	500
		रानीपुर	म0वि0 बेला	500
		सारामहमद	आयुर0कालेज मोहनपुर	2000
		कवीरचक	म0वि0कवीरचक	1000
		धोई	सामु0भवन धोई/दिवारी	1000
		खुटवारा	गौसा घाट स्व0केन्द्र	1000
		बिजुली	एकभींडा पोखर भवानीपुर	1000
		बलहा	काकरघाटी स्टेशन	1000
		छोटाईपट्टी	बड़ी पोखर भिंडा, म0वि0भिंडी सामु0भवन भिंडी	2000
		दुलारपुर	प्रो0क0वि0 दुलारपुर	4000
		लोआम	लोआम मदसा	500
		मुरिया	म0वि0 ठकुरनियॉ	1000
		अदलपुर	सामु0 भवन अदलपुर	500
		भालपट्टी	पोखरभिंडा दक्षिणभाग	1000
		खरूआ	सुन्दरपुर रेलवे गुमती	1000
		अतिहर	संस्कृ0उ0वि0 अतिहर	1500
		सोनकी	म0वि0 सोनकी, हल्का कचहरी सोनकी	1500
		घोरघट्टा	प्रा0वि0 पांता	1000
		नैनाघाट	मदरसा नैनाघाट	1000
2	बहादुरपुर	ज्लवार	मध्य विधालय, कमरौली	1500
			रेज्ड प्लेटफॉर्म, कमरौली	
			मध्य विधालय, टेऊँगा	
			प्राथमिक विधालय, जलवार	
		सिमरा नेहालपुर	हेलीपैड, बॉधबस्ती	
			मध्य विधालय, लालशाहपुर	
			पोलिटेक्नीक कॉलेज का हॉस्टल	
		मनियारी	मध्य विधालय, गनौली	
			मध्य विधालय, मनियारी	

			मध्य विधालय, शोभन	
			प्राथमिक विधालय, तेलिया पोखर	
		खराजपुर	पंचायत सरकार भवन, खराजपुर	1500
			मध्य विधालय, सिनुआरा	
		तारालाही	तारालाही मकतब या मध्य विधालय, तारालाही	7000
		ओझौल	मध्य विधालय, ओझौल	7000
			प्राथमिक विधालय, बल्लापुर	
		बाजितपुर	लोहिया चरण सिंह महाविधालय, बाजितपुर	5000
		दिलावरपुर	कर्पूरी ठाकुर महाविधालय	5000
		बहादुरपुर देकुली	मध्य विधालय, देकुली	3500
			आई0टी0आई0, रामनगर	
			महिला आई0टी0आई0 रामनगर	
		हरिपट्टी	मध्य विधालय, गंगापट्टी	5000
		पिरड़ी	मध्य विधालय, कमलपुर	1500
			मध्य विधालय, घोरघट्टा	
		बरूआरा	मध्य विधालय, बरूआरा	
			उ0म0वि0 परड़ी मकतब	
			मध्य विधालय पिंगी	
		मेकनाबैदा	मध्य विधालय , कपछाही	
			प्राथमिक विधालय, टीकापट्टी	
			मध्य विधालय, कुट्टी टोल	
		टीकापट्टी देकुली	मध्य विधालय, टीकापट्टी	500
			मध्य विधालय, डगरशाम	
		उघरा	उच्च विधालय, उघरा	5000
			मॉडल विधालय, उघरा	
		खैरा	मध्य विधालय, खैरा	3500
		रामभद्रपुर	मध्य विधालय, रामभद्रपुर	3500
			मध्य विधालय, श्रीदिलपुर	
			मध्य विधालय, श्रीराम पिपरा	
			मध्य विधालय, जीवनपट्टी	
		बसतपुर	मध्य विधालय, बसतपुर	3500
			मध्य विधालय, कोकट	
			मध्य विधालय, उसमामठ	
		उघरा महापारा	पंचायत सरकार भवन, दाईंग	1500
			मध्य विधालय, महापारा	
			प्राथमिक विधालय, सतघारा	
			प्राथमिक विधालय, दरगाहपुर	
			प्राथमिक विधालय, सहनी टोल	
		बिउनी अंदामा	मध्य विधालय, बिउनी अंदामा	3500
		कुशौथर	मध्य विधालय, कुशौथर	3500
			मध्य विधालय, योगियारा	
		प्रेमजीवर	मध्य विधालय, प्रेमजीवर	
		डरहार	गर्ल्स पोजेक्ट, हाई स्कूल	
		डरहार	प्राथमिक विधालय, गोविन्दपुर	3500
3	हायाघाट	मल्हीपट्टी उतरी	म0वि0 मल्हीपट्टी	5000
		मल्हीपट्टी दक्षिणी	सोनेलाल यादव के घर के पास बलहा	5000
		चन्दनपट्टी	चंचल नगर महदई पोखर का भिण्डा, चंचल नगर	2000
		मझौलिया	पुस्तकालय भवन मझौलिया का प्रागंण	2000
		आनंदपुर सहोरा	उ0वि0 आनंदपुर	5000
		पतोर	पंचायत भवन, पतोर	2500
		सिधौली	ब्रहमस्थान अनार कोठी, पावन हाउस के बगल में।	4000
		श्रीरामपुर	बुनियादी विद्यालय, श्रीरामपुर	3500
		मिर्जापुर	मध्य विद्यालय, मिर्जापुर (बसहा)।	5000
		सिरनिया पश्चिमी विलासपुर	वाटरवेज बॉध विलासपुर एवं बाढ़ राहत प्लेटफार्म स्टेशन, हायाघाट	4000
		सिरनिया पूर्वी रूस्तमपुर	बाढ़ राहत प्लेटफार्म स्टेशन हायाघाट, एवं सिरनिया चौक, अकराहा घाट।	3500

		पौराम	प्राथमिक विद्यालय, पौराम	5500
		रसलपुर	रेलवे लाईन चक्का टोल के पास	5000
		घोषरामा	वाटरवेज बाँध, हायाघाट।	5400
4	हनुमाननगर	नेयाम छतौना	1) उ0म0वि0 नेयाम,	750
			2) प्रा0वि0 कन्या भवानीपुर	300
			3) उ0म0वि0 गोरहारी	300
		अरैला	1) रेज्ड प्लेटफॉर्म बसुआरा	300
			2) उ0मा0वि0 बसुआरा	500
			3) प्रा0वि0 हुसैनाबाद	300
		मोरो	1) आदर्श उच्च वि0 मोरो	500
			2) उ0म0वि0 रतनपुरा	350
			3) बुनियादी विद्यालय, मोरो	500
		पटोरी	1) उच्च विद्यालय, कोलहन्टा पटोरी	1500
			2) बेसिक स्कुल कोलहन्आ पटोरी	500
		गोदाईपट्टी	1) उ0म0 विद्यालय, रामपुर	750
			2) उ0म0वि0 माधोपुर पंडौल	350
			3) बुनियादी विद्यालय गोदाईपट्टी	750
		रूपौली	1) उ0म0वि0 विशौल	300
			2) बुनियादी वि0 रूपौल	500
		नरसरा	1) जटमलपुर घाट	500
			2) उ0म0वि0 नरसरा	500
			3) प्रा0वि0 फुलवरिया डीह	300
		गोढ़ैला	1) मध्य विद्यालय, गोढ़ैला	600
			2) प्रा0वि0 चन्दौली	500
			3) म0वि0 पोअरिया	500
		रामपुरडीह	1) मध्य विद्यालय काली	500
			2) प्राथमिक विद्यालय रामपुरडीह	350
			3) मध्य विद्यालय रामपुरडीह	500
			4) प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया	300
		पंचोभ	1) देव ना0 उ0 विद्यालय, पंचोभ	1000
			2) उ0 मध्य विद्यालय हरिचन्दा	500
			3) प्राथमिक विद्यालय महेशपट्टी	500
			4) उ0मध्य विद्यालय महनौली	300
		गोढ़ियारी	1) मध्य विद्यालय गोढ़ियारी	750
			2) प्रा0 विद्यालय उद्योपट्टी	500
			3) प्राथमिक विद्यालय करीमगंज	300
		सिनुआरा	1) उ0म0वि0 सिनुआरा	1000
			2) उ0 मध्य विद्यालय हिछौल	500
		थलवारा	1) वाटरवेज सिरनियाँ ब्रहमोतरा चौक	1500
			2) उ0 मध्य विद्यालय, सिरनिया	500
			3) म0 विद्यालय थलवारा	500
			3) उच्च विद्यालय थलवारा	750
5	बहेड़ी	अटहर उतरी	प्रा0 वि0 केरवाकोईट	1000
		अटहर उतरी	प्रा0 वि0 दाईग	500
		अटहर उतरी	म0 वि0 अटहर डीह	500
		अटहर उतरी	म0 वि0 अटहर गोठ	500
		अटहर दक्षिणी	पंचायत सरकार भवन	1000
		अटहर दक्षिणी	प्रा0 वि0, कमलपुर	500
		अटहर दक्षिणी	उ0 म0 वि0 अटही	500
		अटहर दक्षिणी	उपस्वास्थ्य केन्द्र सिजराही अटही	500
		अटहर दक्षिणी	हरिजन दरवाजा, बलांठ	500
		अटहर दक्षिणी	प्रा0 वि0, बघौल	1500
		अटहर दक्षिणी	प्रा0 वि0 गेवाल	1000
		हथौड़ी दक्षिणी	कन्या उच्च वि0	500
		बलिगॉव	उ0 उच्च वि0	600
		बलिगॉव	उ0 म0 वि0 बलिगांव	1000
		रमौली गुजरौली	म0 वि0 मंगही	1000

		सुसारी तुर्की	उ0 वि0 सुसारी	1000
		सुसारी तुर्की	म0 वि0 तुर्की	1000
		सुसारी तुर्की	म0 वि0 महुली	500
		सुसारी तुर्की	प्रा0 वि0 नन्दापट्टी	500
		हावीडीह उतरी	प्रा0 वि0 दुर्गीचक	5000
		हावीडीह उतरी	म0 वि0 कमलपुर	1000
		हावीडीह उतरी	म0 वि0 बसकट्टी	1000
		हावीडीह उतरी	प्रा0 वि0 चनमाना बरसांग	1000
		हावीडीह उतरी	प्रा0 वि0 हनुमाननगर	1000
		हावीडीह उतरी	म0 वि0 कमार पोखर	1000
		हावीडीह उतरी	प्रा0 वि0 बेला मुसहरी	1000
6	सिंहवाड़ा	सनहपुर	पंचायत भवन सनहपुर	1000
		राजो	मध्य विद्यालय राजो	1000
		कटका	पंचायत भवन कटका	1000
		निस्ता	मध्य विद्यालय निस्ता	1000
		हरिहरपुर पूर्वी	मध्य विद्यालय निकासी टोल	5000
		हरिहरपुर पश्चिमी	पंचायत भवन हरिहरपुर पश्चिमी	5000
		टेकटार	रेलवे स्टेशन टेकटार	2000
		कलिगाँव	मध्य विद्यालय कलिगाँव	500
		अस्थुआ	उच्च विद्यालय अस्थुआ	500
		शंकरपुर	(1) पंचायत भवन शंकरपुर, (2) मध्य विद्यालय.....	500
		भरवाड़ा	पंचायत भवन भरवाड़ा	500
		मनिकौली	मध्य विद्यालय गोट टोल मनिकौली	500
		भरहुल्ली	मध्य विद्यालय कलवाड़ा	500
		भवानीपुर	मध्य विद्यालय भवानीपुर	500
		सिंहवाड़ा उत्तरी	उच्च विद्यालय सिंहवाड़ा	1500
		सिंहवाड़ा दक्षिणी	प्रखंड मुख्यालय, सिंहवाड़ा	2000
		कटासा	पंचायत भवन कटासा	2000
		सिमरी	मध्य विद्यालय सिमरी	1000
		रामपुरा	कन्या उच्च विद्यालय रामपरा	1000
		बनौली	रेज्ड प्लेट फार्म बनौली	1000
		भराठी	मध्य विद्यालय कुमरपट्टी	1000
		माधोपुर बस्तवारा	मध्य विद्यालय माधोपुर	1000
		अरई बिरदीपुर	उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिरदीपुर	1000
		सढ़वारा	रेज्ड प्लेट फार्म सढ़वारा	1000
		हरपुर	बुनियादी विद्यालय हरपुर	1000
7	जाले	सहसपुर	घोघराहा चौक सहसपुर रेलवे स्टेशन चन्दौना	4000
		जोगियारा	रेलवे स्टेशन जोगियारा	5000
		जाले उत्तरी	जलेश्वरी स्थान	4000
		जाले पूर्वी	मध्य विद्यालय गरड़ी	4000
		जाले पश्चिमी	जलेश्वरी स्थान	4000
		जाले दक्षिणी	जलेश्वरी स्थान	3000
		रेवढ़ा	रेवढ़ा स्कूल	2000
		कतरौल बसंत	मध्य विद्यालय बसंत	4000
		कछुआ	मध्य विद्यालय कछुआ	4000
		दोघड़ा	पंचायत भवन दौघड़ा	2000
		काजीबहेरा	मोदी पोखर	4000
		देवड़ा बंधौली	रेलवे स्टेशन बंधौली	5000
		मुरैठा	रेलवे स्टेशन मुरैठा	2500
		मस्सा	रेज्ड प्लेटफार्म मस्सा	3500
		करवातरियानी	झखेरिया पोखर	2000
		ढढ़िया बेलवारा	बहुरी पोखर का भिण्डा	2000
		कमतौल	रेलवे स्टेशन कमतौल	4000
		राढ़ी उत्तरी	जहाँगीर टोल ब्रह्मस्थान	3500
		राढ़ी पूर्वी	मध्य विद्यालय ततैला	2000
		राढ़ी दक्षिणी	मध्य विद्यालय बिहारी	4000
		राढ़ी पश्चिमी	महदई चौक	4000

		रतनपुर	दुर्गास्थान रतनपुर	5000
		ब्रह्मपुर पूर्वी	मध्य विद्यालय ब्रह्मपुर	2000
		ब्रह्मपुर पश्चिमची	मध्य विद्यालय पोनहद	5000
		अहियारी उत्तरी	अहिल्या स्थान	4000
		अहियारी दक्षिणी	अहिल्या स्थान	3500
8	केवटी	मोहम्मदपुर	तेलिया पोखर, मोहम्मदपुर	500
		मझिगामा	प्रा0 वि0 मझिगामा	500
		पिण्डारूच	मोहन मठ, पिण्डारूच	3000
		खिरमा	उच्च विद्यालय, खिरमा	2000
		केवटी	उच्च विद्यालय, बनवारी पट्टी	2000
		बरही	म0 वि0 बरही	3000
		नयागाँव	उच्च विद्यालय, रैयाम	2000
		माधोपट्टी	म0वि0, माधोपट्टी	3000
		केवटी	कन्या उ0वि0, केवटी	2000
		माधोपट्टी	रेज्ड पलेटफार्म, माधोपट्टी	2000
		मझिगामा	रेज्ड पलेटफार्म, मझिगामा	500
		ननौरा	रेज्ड पलेटफार्म, हनुमाननगर	500
		लालगंज	रेज्ड पलेटफार्म, बाढ पोखर	500
9	तारडीह	ठेंगहा	रेजेड पलेटफार्म, ठेंगहा	2000
		बैका	रेजेड पलेटफार्म, तारडीह	3000
		महथौर	रेजेड पलेटफार्म, पुतई	3000
		पोखरभिण्डा	रेजेड पलेटफार्म, पोखरभिंण्डा	2000
		भोरपुर नारायणपुर	रा0 उ0 विद्यालय, भोरपुर	2000
		महथौर	मिडिल स्कूल, पुतई	2000
		ठेंगहा	रेजेड पलेटफार्म, कठरा	3000
		विशहथ–बथिया	यु0 बी0 मकतब, बथिया	3000
		कठरा	म0 वि0 कठरा पूर्वी	2000
		इजरहाटा	प्र0 वि0, रही टोला, चक्का	2000
		कुर्शो मछैता	उ0 वि0, कुर्सो मछैता	3000
		लगमा	पंचायत भवन, लगमा	3000
		कैथवार	पंचायत भवन, कैथवार	3000
10	मानीगाछी	उजान	उच्च विधालय उजान	3500
		गंगोली कनकपुर	मध्य विधालय उजान	3000
		कत्मा बहुअरवा	अत्क्रमित मध्य विधालय बहुअरवा	500
		ब्रहमपुरा भटपुरा	ट्राईसम भवन मनीगाछी	500
		माँउवेहट	रेज्डप्लेटफार्म माँउवेहट	3500
		टटुआर	ट्राईसम भवन मनीगाछी	500
		बघांत	मध्य विधालय बंघात	500
11	बेनीपुर	तरौनी	बड़की पोखर भिण्डा, तरौनी	5000
		अमठी	रेड प्लेटफॉर्म, अमैठी	1500
		शिवराम	मध्य विद्यालय, शिवराम	3000
		रढ़ियाम	मध्य विद्यालय, रढ़ियाम	1500
		माधोपुर	मध्य विद्यालय, माधोपुर	2000
		गणेश बनौल बलनी	प्राथमिक विद्यालय, बलनी	1500
		जरिसों	रेड प्लेटफॉर्म, कल्याणपुर	1500
		डखराम	सामुदायिक भवन, डखराम	1000
		महिनाम	रेड प्लेटफॉर्म, मलौल मुसहरी	1000
		सज्जनपुरा	मध्य विद्यालय, सज्जनपुरा	1000
		रमौली	मध्य विद्यालय, रमौली	1000
		पोहद्दी	प्रा0 वि0 पोहद्दी, मुसहरी टोल	500
		बसुहाम	तुप्ति स्थान बसुहाम टेंगही मुसहरी के समीप	500
12	अलीनगर	अधलोआम	मध्य विद्यालय,रामपुरउदय	4000
		लहटा तुमौल सुहथ	पंचायत भवन लहटा	3500
		गरौल	मध्य विद्यालय,गरौल चक्का	3500
		हनुमाननगर	रेज्ड प्लेटफॉर्म,हनुमाननगर	4000
		धमुआरा धमसाईन	मिल्लत हाई स्कुल,रूपसपुर	4000
		हरियठ	पंचायत भवन हरियठ	3500

		मोतीपुर	मध्य विद्यालय मोतीपुर	3500
		मोहीउद्दीनपुर पकड़ी	बुनियादी विद्यालय,मिल्की	3500
		हरसिंगपुर	मध्य विद्यालय जयन्तीपुर	4000
		नावानगर नरमा	मध्य विद्यालय नरमा	4000
		अलीनगर	उर्दु मध्य विद्यालय अलीनगर	4000
13	बिरौल	सुपौल	मदरसा सुपौल	5000
		बिरौल	रेलवे प्लेटफार्म	3000
		कमरकाला	चामूघरारी	3000
		कमरकाला	डीह कोयलाजान	2000
		कहुआ	म0बि0 कहुआ	2000
		भवानीपुर	दुर्गास्थान कमलपुर	3000
		रोहाड़ महमुदा	प्रा0 वि0 सोनवेहट	5000
		साहो	पंचायात भवन साहो	2000
		देकुलीजगन्नाथपुर	सामुदायिक भवन जगन्नाथपुर	3000
		सोनपुर पघारी	रेज्ड प्लेटफॉम सोनपुर	1000
		लदहो	समुदायिक भवन कटैया लदहो	2000
14	घनश्यामपुर	बुढैव इनायतपुर	रेज्ड प्लेटफॉर्म बाउर	400
		बुढैव इनायतपुर	नवटोलिया में पुर्नवास सिलि पर	400
		बुढैव इनायतपुर	कनकी मुसहरी	500
		लगमा	रेज्ड प्लेटफॉर्म दोहथा	400
		लगमा	लगमा मुसहरी बांध	500
		लगमा	हरिजन दरवाजा	400
		घनश्यामपुर	बदिया टोल	400
		गनौन	रेज्ड प्लेटफॉर्म गनौन	400
		ब्रहमपुरा मसवासी	रेज्ड प्लेटफॉर्म मसवासी	400
		पोहद्दीबेला	उ0 विद्यालय पोहद्दीबेला	1600
		जयदेवपट्टी	रेज्डप्लेटफॉर्म जयदेवपट्टी (यूनिसेफ)	700
		जयदेवपट्टी	रेज्डप्लेटफॉर्म जयदेवपट्टी	400
		तुमौल	रेज्डप्लेटफॉर्म गोढ़ैल	400
		तुमौल	रेज्डप्लेटफॉर्म जयदेवपट्टी (यूनिसेफ)	300
15	गौड़ाबौराम	कसरौर बेलवाड़ा	म0वि0 विशनपुर	3000
		बौराम	म0वि0 बौराम	3000
		बौराम	रेज्ड प्लेट फार्म बौराम	2000
		गौड़ामानसिंह	रेज्ड प्लेट फार्म भूसकोल	2000
		गौडामानसिंह	म0वि0 गौड़ामानसिंह	3000
		कुमैई भदौन	म0वि0 कुमैई	3000
		नदैई	रेज्ड प्लेट फार्म नदैई	2000
		मनसारा	रेज्ड प्लेट फार्म फोरसाही	2000
16	किरतपुर	रसियारी पौनी	कोशी पश्चिमी तटबंध, कमला पूर्वी तटबंध तथा रेज्डप्लेट फॉर्म पौनी।	3500
		किरतपुर	कोशी पश्चिमी तटबंध, कमला पूर्वी तटबंध ।	1000
		झगरूआ	कमला पूर्वी तटबंध तथा रेज्ड प्लेट फॉर्म झगरूआ।	4000
		झगरूआ तरवाड़ा	कोशी पश्चिमी तटबंध	1000
		कबाल ढॉगा	कोशी पश्चिमी तटबंध एवं कमला पूर्वी तटबंध तथा रेज्ड प्लेट फॉर्म कुबौल।	4000
		नरकटिया भंडरिया	कोशी पश्चिमी तटबंध ।	500
		जमालुपर	कोशी पश्चिमी तटबंध एवं कमला पूर्वी तटबंध तथा रेज्ड प्लेट फॉर्म जमालुपर।	4000
		खैसा जमालपुर	कोशी पश्चिमी तटबंध एवं कमला पूर्वी तटबंध ।	500
17	कुशेश्वस्थान	औराही	पंचायत भवन औराही	500
		हरिनगर	म0 वि0 आसो, म0 वि0 हरिनगर	400
		भदहर	महरी डीह मुसहरी टोला	400
		बेरी	रेज्ड प्लेट फार्म सुलतान पुर, अमोल डीह पशुपालन केन्द्र	500
		मसानखोन	रेज्ड प्लेट फार्म बलहा, मघ्य विद्यालय बलहा मघ्य विद्यालय मसानखोन, प्राथमिक विद्यालय भदौल	1000
		हिरणी	म0 वि0 हिरणी, कन्या म0 वि0 हिरणी	300
		विषहरिया	रेज्ड प्लेट फार्म नरॉच, उ0 म0 विद्यालय मोहिम खुर्द	400

		हरौली	मध्य विद्यालय हरौली	500
		गोठानी	म0 वि0 समैला	300
		बड़गावॅ	गढपर, मध्य विद्यालय बड़गावॅ	500
		बरना	म0 वि0 समैला	300
		पकाही झझड़ा	रेज्ड प्लेट फार्म झझड़ा, मध्य विद्यालय झझडा	400
		चिगड़ी सिमराहा	म0 वि0 घोरदौर	400
		दिनमो	म0 वि0 पैकाचराई, म0 वि0 मधुबन	200
18	कु0स्थान पू0	ईटहर	म0वि0 ईटहर	400
			उ0म0वि0, बरनियाँ	500
		भिण्डुआ	उ0म0वि0, भिण्डुआ	250–300
			म0वि0, पिपड़ा	250–300
			उ0म0वि0 श्रीपुर गोबराही	100–200
			मदरसा भवन, पकड़िया	50–60
			समुदायिक भवन, करोतबा	50–60
		कु0स्थान, उ0	रेज्ड प्लेटफॉर्म, कु0स्थान	300–500
		कु0स्थान, द0	रेज्ड प्लेटफॉर्म, धबौलिया	500
			रेलवे बाँध, भलुका, खलासीन	3000–5000
		सुघराईन	रेज्ड प्लेटफॉर्म, सुघराईन	250–300
		महिसात	रेज्ड प्लेटफॉर्म, सिसौना (महिसौत)	250–300
			रेलवे बाँध, महिसौत	1000
		केवटगामा	म0 वि0 केवटगामा	250–300
		उसड़ी	नया पंचायत भवन, उसड़ी	100–150
		तिलकेश्वर	गोरधई घाट, दुर्गा स्थान, तिलकेश्वर	500–700
			महादेव मन्दिर, तिलकेश्वर	250–300
		उजुआ सिमरटोका	रेज्ड प्लेटफॉर्म, महादेवमठ	250–300

ख. निजी नावों की सूची

क्र0	अंचल का नाम	नाव मालिक का नाम	कार्यस्थल	आकार	अनुमानित क्षमता
1	सदर दरभंगा	श्री संतोष सहनी	मुशहरी टोल कंशी से भुईया स्थान तक	मध्यम	15
2		श्री रामा सहनी	एन.एच.–57 से झरका टोल तक कंशो	मध्यम	15
3		श्री प्रगास सहनी	काली मंदिर से नया टोल कंशी	मध्यम	15
1	बहादुरपुर		ओझौल	मध्यम	7
2			पिरड़ी		1
3			मनियारी		6
4			सिमरा नेहालपुर		1
5			तारालाही		6
6			उघरा महापारा		2
7			बिउनी अंदामा		0
8			जलवार		0
9			मेकनाबैदा		0
1	हायाघाट	रौदो सहनी	सिरनिया के विभिन्न घाट पर	मध्यम	
2		फूल कुमारी देवी			
3		मनोज कुमार यादव			
4		मो0 इरशाद अहमद			
5		सुनिल यादव			
6		टून टून कुमार यादव			
7		मो0 दुलारे			
8		कारी सहनी			
9		अनिरूद्व यादव			
10		प्रमेश्वर यादव			
11		राम अषिश यादव			
12		भूटू यादव			
13		शनित देवी			

14		रंजित कुमार शर्मा			
15		बिजली यादव			
16		राम सकल यादव			
17		असेसर यादव			
18		मो0 इरशाद			
19		गोविन्द कुमार यादव			
20		मो0 आरीफ			
21		बेचन यादव			
22		सीताराम यादव			
23		महेन्द्र यादव			
24		दशइ यादव			
25		राजेश कुमार यादव			
26		शम्भू नाथ यादव			
27		मो0 दाउद			
28		दिनेश कुमार यादव			
29		योगेश्वर राम			
30		रामबाबू सहनी			
31		शिव प्रसाद सहनी			
32		रेखा देवी			
33		मो0 खालिद			
34		संजय यादव			
1	हनुमाननगर	राम भरोस राय			
2		अब्दुल खालीक			
3		मो0 मोसिद अख्तर			
4		केदार प्रसाद ठाकुर			
5		खुर्शिद आलम			
6		प्रभू राय			
7		सरोज कुमार मिश्र			
8		धर्मेन्द्र चौधरी			
9		चन्द्रमणी चौधरी			
10		अशर्फी दास			
11		कारी सहनी			
12		नेवा सहनी			
13		भाग नारायण सहनी			
14		रामवृक्ष सहनी			
15		राज किशोर यादव			
16		अनील चौधरी			
17		नन्दकिशोर चौधरी			
18		संजीत चौधरी			
19		राम सागर सहनी			
20		गोपाल चोधरी			
21		सखुधन राम			
22		मदन राय			
23		रफी अहमद			
24		किशोरी राय			
25		उपेन्द्र राय			
26		प्रहलाद यादव			
27		सुदिश यादव			
28		ज्वाला साह			
29		सुन्नर सहनी			
30		सीरी सहनी			
31		तेतर सहनी			
32		जयशंकर चोधरी			
33		मूनयून चौधरी			
34	हनुमाननगर	जुलूम सहनी			
35		सुनील कुमार खैधर			
36		फलवदन देवी			
37		झुलन सहनी			
38		राम सजन राय			
39		श्री लाल प्र0 यादव			
40		राजगीर सहनी			

41		उदगार दास			
42		विष्णु राय			
43		सूरज सहनी			
44		महेन्द्र सहनी			
45		राम नरेश सिंह			
46		राज नारायण सहनी			
1	मनीगाछी	रौशन कुमार मुख्या	गंगौली ठीका टोल		
2		फगुनी मुखिया	गगौली ठीका टोल		
3		दानी मुखिया	गंगौली ठीका टोल		
4		कारी मुखिया	उजान		
5		बिन्देश्वर मुखिया	उजान		
6		कुशेश्वर मुखिया	उजान		
7		बाबुजी मुखिया	उजान		
8		बारिश मुखिया	उजान		
9		राजेन्द्र मुखिया	उजान		
10		धनेश्वर मुखिया	कटमा		
11		रामहित मखिया	कटमा		
1	तारडीह	श्री मखन महतो	राजाखरवार	मध्यम	15.
2		श्री भाम्भू ना0 महतो			
3		श्री जयलाल महतो			
4		चन्द्रशेखर आजाद			15.
5		भयाम सुन्दर महतो			
	बेनीपुर	पंचू सहनी	छोटा लवाणी चौक से जरिसों		10
		जामुन सहनी	त्रिमुहानी पी0डब्लू0डी0 सड़क से शंकर लोहार तक	छोटा	10
		रामचंद्र सहनी	फतुलाहा से पक्की सड़क तक		10
		विनोद सहनी	त्रिमुहानी मुसहरी से पेट्रोल पम्प तक		10
		दशरथ सहनी	लवणी घाट से हरजन टोला होते हुए लवाणी तक		10
		चौधरी सहनी	फतुलाहा से कल्याणपुर तक	छोटा	10
		शिवजी सहनी	फतुलाहा से उतरवारी टोल तक		10
		गढ़ाई सहनी	जरिसों से दक्षिण चमरटोली तक		10
		बालेशवर सहनी	त्रिमुहानी पी0डब्लू0डी0 सड़क से मिडिल स्कूल तक		10
		रामप्रसाद सहनी	त्रिमुहानी		10
		योगेन्द्र यादव	कुथना चौक से पिपड़ा दोहर तक		10
		विमल किशोर यादव	पिपड़ा दोहर से मुरान चौक तक		10
		विन्दे सहनी	कन्हौली सज्जनपुरा	बड़ा	25
		रामकिशोर सहनी	कन्हौली सज्जनपुरा		25
		सियाराम सहनी	कन्हौली सज्जनपुरा		25
1	घनश्यामपुर	अजीज राईन	पांकीपट्टी मुख्यधार	बड़ी	30
2		श्री शिवेन्द्र मंडल		छोटी	15
3		श्री जनक पासवान		बड़ी	30
4		श्री भुवने वर मंडल		छोटी	15
5		श्री सत्तन मंडल		छोटी	15
6		श्री कमल यादव		बड़ी	30
7		श्री विन्दे वर यादव		बड़ी	30
8		श्री जुगुत शर्मा		बड़ी	30
9		श्री ठक्को यादव		छोटी	15
10		श्री मनटुन मुखिया		छोटी	15
11		श्री जनक साह		बड़ी	30
12		श्री झोटकी मुखिया		छोटी	15
13		श्री बच्चन कुमार झा		बड़ी	30

14		नीलाम्बर झा		बड़ी	30
1	गौड़ाबौराम	बंगट कमती	आधारपुर	मध्यम	20
2		सुशील कुमार सहनी	गौड़ामानसिंह		20
3		जिन्नत नदाफ	बघरासी		20
4		रामसोगारथ पासवान	कन्हैई		20
5		रामदव मुखिया	कन्हैई		20
6		बलदेव मुखिया	कन्हैई		20
7		रामेश्वर मुखिया	आधारपुर		20
8		वकार अहमद	बौराम		
9		वकील पंडित	कन्हैई		
10		कुशश्वर मुखिया	कसरौड़ करकौली		
11		ललित कमती	आधारपुर		
12		नितिश मंडल	नदैई		
13		भुलो मुखिया	बगरासी		
14		मो0 मोजीबुर रहमान	बौराम		
15		रामकुमार मुखिया	गौड़ामानसिंह		
16		दाय रानी देवी	गौड़ामानसिंह		
17		उपेन्द्र साहु	बघरासी		
18		जमीर अंसारी	कन्हैई		
19		अनिल कमती	आधारपुर		
20		आनन्द कमती	आधारपुर		
21		मो0 जमीर	मनसारा		
22		श्याम कमती	आधारपुर		
23		राम प्रसाद सदा	मनसारा		
24		सूलेन्द्र मंडल	नदैई		
25		लालन मंडल	गौड़ामानसिंह		
26		दशरथ मुखिया	गौड़ामानसिंह		
27		राजा बाबु मुखिया	गौड़ामानसिंह		
28		राज कुमार चौपाल	नदैई		
29		गांगो मुखिया	बघरासी		
30		शंकर मुखिया	बघरासी		
31		मंगल महतो	बघरासी		
32		जोगी सदा	कुमैई भदौन		20
1	किरतपुर	पवन पासवान	ग्राम भुभोल कोशी नदी में ।	छोटी	10
2		हीरा लाल सहनी	मुसहरिया घाट कोशी नदी में ।	बड़ी	25
3		जोखन मुखिया	मोहनीयॉ होते हुए कमला बनाल हरजन टोल तक।	छोटी	10
4		लुकमान	कुबौल ग्राम में मुस्लिम टोल में।	छोटी	10
5		यामनन्दन राय	लक्ष्मीनिया ककोरवा तिलयुगा नदी में ।	छोटी	10
6		जुही खातुन	झगरूआ मुसहरी गाछी से कुबौल तेबाली सड़क में।	छोटी	10
7		राम सोगारथ पासवान	ग्राम भुभौल पुनवार्स से तेतरी विद्यालय तक ।	छोटी	10
8		मो0 खलील	जहानाबाद से कोशी बांध तक ।	छोटी	10
9		मोलहु मुख्या	ग्राम छिलकोरा कोशी नदी में ।	बड़ी	25
10		मो0 हकीम	कोशी बांध से खैसा ब्रहमस्थान तक।	बड़ी	25
11		मोहम्मद अली	पुर्नवास हरिजन टोला होते हुए कोशी बांध तक।	बड़ी	25
12		कृपाल यादव	भंडरिया ग्राम से पूरब कारी यादव के घर से विद्यालय तक।	बड़ी	25
13		लक्ष्मण मुखिया	कोशी बांध से मुसहरिया ग्राम तक।	बड़ी	25
14		शिवन्दर चौपाल	ग्राम कदवाड़ा से कोशी नदी में।	बड़ी	25
15		गणेशी सदा	ग्राम नरकटिया कोशी नदी में।	बड़ी	25
16		दुर्गा सहनी	जमालपुर कोशी नदी में।	बड़ी	25

17		राज किशोर राय	रधुनाथपुर कोशी नदी में।	बड़ी	25
18	किरतपुर	अनरूद्ध चौपाल	ग्राम कदवाड़ा से पश्चिम कोशी नदी में।	बड़ी	25
19		विजय यादव	तरवाड़ा धाट कोशी नदी में ।	बड़ी	25
20		गुजन राम	ग्राम बघरस से चमार टोली कमला बांध तक।	छोटी	10
21		राजनाथ यादव	ग्राम पौनी गहुआ नदी में।	छोटी	10
22		विरेन्द्र कमार यादव	पौनी ग्राम में ठाकुर के घर से विद्यालय तक।	छोटी	10
23		राम बालक राय	कोशी नदी में ।	छोटी	10
24		उमेश सदा	सत्य नारायण यादव के घर से छछै स्कूल तक।	छोटी	10
25		राम बाब बहादुर यादव	लक्ष्मीनिया कोशी नदी में।	बड़ी	25
26		शमशुल रैन	ग्राम भुभौल में कोशी बांध से मुस्तक के घर तक।	छोटी	10
27		राम पासवान	कोशी नदी में।	छोटी	10
28		युनुस	अलीमुद्दीन के घर से उतरवाड़ी टोल तक।	छोटी	10
29		कमल यादव	मुसहरिया से पूर्नवास तक।	छोटी	10
30		त्रिधन राय	रामपुर से कोशी बांध तक।	छोटी	10
31		पवन मुखिया	कोशी बांध से मुसहरिया ग्राम तक।	छोटी	10
32		कुशे चौपाल	झगरूआ रनपरती सिमरी इदगाह तक।	छोटी	10
33		नारायण मुखिया	मुसहरिया मलाह टोल से कोशी बांध तक।	छोटी	10
34		राम प्रसाद चौपाल	सिमरी दक्षिणी चौपाल टोल से कटिंग होते हुए उतरी चौपाल टोल तक।	छोटी	10
35		अनवार अहमद	कमला बलान नदी में।	छोटी	10
36		सदानन्द सिह	रधुनाथपुर से पश्चिम कटिंग में।	छोटी	10
37		सोन यादव	ग्राम– तरवाड़ा उच्च वि0 से चमरटोली से कोशी बांध तक	बड़ी	25
38		देवनरायण यादव	अमृतनगर झगरूआ कोशी नदी में	छोटी	10
39		ओमप्रकाश मुखिया	ग्राम– वरदीपुर से यज्ञ सील से छभ 17 तक	छोटी	10
40		हेमचन्द्र पासवान	अशोक चौधरी के दरवाजा से मुन्नो चौधरी के खेत तक कोशी नाला में।	बड़ी	25
1	कुशेश्वरस्थान पूर्वी	दिलीप कुमार राय	विशुनियाँ डिहवार बाबा स्थान से नदी में	छोटी	10
2		कैलू सदा	जिमराहा घाट नदी से ईटहर गाँव तक	छोटी	10
3		रामप्रसाद राय	गढ़ैपुरा कटिंग में	छोटी	10
4		रामउदगार चौपाल	छाड़ा पट्टी से केवटगामा तक	छोटी	10
5		विनोद कुमार	पकरिया मुसहरी टोला से प्राथमिक विद्यायल पकरिया होते हुए ओली के घर तक	छोटी	10
6		अरूण कुमार यादव	करोतबा चौक से खेसराहा डीह तक	छोटी	10
7		छोटेलाल मुखिया	बुढ़वा बलाट से पिपरा घाट तक	छोटी	10
8		जगदीश सदा	श्रीपुर गोबराही मुसहरी से पाथमिक विद्यायल पकरिया तक	छोटी	10
9		उमेश यादव	पकरयिा महादलित टोला से गढ़िया पकरिया यादव टोल तक	छोटी	10
10		दुखीलाल मुखिया	डिहमल टोल से शिवशंकर राय के	छोटी	10

			दरवाजा तक		
11		अशोक सदा	कुंज भवन से फुलझाड़ी बाँध तक	छोटी	10
12		नारायण राय	महादेव मंठ से उजुआ तक	छोटी	10
13		गणेशी राय	महादेव मंठ से तेगच्छा तक	छोटी	10
14		राजेन्द्र सदा	कोदरा टोल से गैजोरी तक	छोटी	10
15		दिलीप पासवान	अस्पताल घाट से मखनाही तक	छोटी	10
16		मो0 इलियास	तरबन्ना मुर्गी फॉर्म से धरमपुर तक	छोटी	10
17		मो0 निजाम	प्रखण्ड – अंचल के पदाधिकारी/सरकारी कर्मियों के क्षेत्र भम्रण हेतु सुरक्षित।	बड़ी	25
18		महेन्द्र सदा	ब्रहमोतरा से केवटगामा मंदिर तक	छोटी	10
19		लालो सदा	सलमगढ़ मुसहरी टोल से कुशेश्वरस्थान तक	छोटी	10
1	कुशेश्वर स्थान	सुनील यादव	तासमन पट्टी से शनिचरा तक	मध्यम	15
2		अरविन्द यादव	भुसकुरवा से पकाही तक		15
3		उपेन्द्र सदा	छपकाही से 81 नं0 मुख्य सड़क तक		15
4		हरेराम यादव	पकाही से झझड़ा तक		15
5		ठीठर यादव	सिमराहा (अकोनमा) महादलीत टोले से चिगड़ी तक		15
6		पंवन पासवान	घौड़दौर पासवान चौक से शाहपुर से झझड़ा तक		15
7		कमल साहु	परकोलिया करहे तटवन्द से करेहनदी तक		15
8		गौड़ी शंकर यादव	शाहपुर से झझड़ा तक		15

अंचलवार गोताखोर की सूची

क्र0	अंचल का नाम	गोताखोर का नाम	पता	मोवाईल नंबर
1	सदर दरभंगा	बिरजु सहनी	कबीरचक	9709491978
2		बिरजु सहनी	कबीरचक	9570720664
3		रौकी सहनी	कबीरचक	6299297128
4		योगेन्द्र सहनी	कबीरचक	9546667128
		गोपाल सहनी	कबीरचक	6204440640
5		डबलू सहनी	कबीरचक	7870160448
6	बहादुरपुर	श्याम सुंदर मांझी	दरगाहपुर	9162113327
7		श्यामनाथ महासेठ	दाईंग	7256009235
8		नरेश मुखिया	दाईंग	6204205004
9		श्री निरंजन कुमार सहनी		8809131400
10		विकास कुमार सहनी		9709774855
11		अवधेश मुखिया		6200148438
12		अरूण मुखिया		9327319547
13		राज कुमार सहनी		9507029882
14		संतोष यादव		7654596640
15		पिंकेश कुमार यादव		9798019144
16		महेश सहनी	भटानी	9955170532
17		राम उदेश्य मुखिया	भटानी	8969305775
18	हायाघाट	रामचन्द्र सहनी उम्र–62	पिता–जनक सहनी, इनामात	8292043570
19		शम्भू सहनी उम्र–36	पिता–रामचन्द्र सहनी, इनामात	8292043570
20		राजेन्द्र सहनी, उम्र–62	पिता–सोन सहनी, इनामात	7903815645
21		श्रीकान्त सहनी, उम्र–42	पिता–राम अशीष सहनी, इनामात	9016075474
22		नरेश सहनी उम्र–31	पिता–गणेश सहनी, इनामात	9507837836
23		दिपक कुमार सहनी, उम्र–29	पिता–राम बहादुर सहनी, इनामात	6204862978
24		अरूण कुमार सहनी, उम्र–32	पिता–डामा सहनी, इनामात	9065048020
25	हनुमाननगर	श्री उमेश राय	अरैला	9199215410
26		श्री कैलाश राय	मोरो	9934410064
27		श्री राज किशोर राय	मोरो	7352644098
28		श्री ब्रहमदेव राय	मोरो	9570409734
29		संजीत कुमार सिंह	सिनुआरा	9661650625
30		शिवशंकर सदा	सीमा मुसहरी	9525457493
31		अकलू सदा	सीमा मुसहरी	8678808233
32		मेहरी सहनी	अम्माडीह	9279425785
33		धर्मेन्द्र कुमार यादव	मोरो	9525651974
34		बलवीर आनंद	मोरो	9771440237
35		बिरजु कुमार पासवान	मोरो	7079337157
36		राकेश कुमार बैठा	मोरो	9709422297
37		रौशन पांडे	मोरो	7079337178
38		अमरजीत कुमार	अरैला	8229828780
39		विनय कुमार यादव	अरैला	8581049310
40		श्रवण कुमार यादव	अरैला	7664801194
41		रोहित कुमार बैठा	अरैला	9708112485
42		राकेश सहनी	अरैला	9708777021
43		अजय कुमार राय	नेंयाम छतौना	7654515221
44		राम विनय राय	नेंयाम छतौना	7739172559
45		उत्तिम सहनी	गोढैला	9060359341
46		रौशन सहनी	गोढैला	9661761961
47		मंगल सहनी	गोढैला	7050033849
48		त्रिलोकी सहनी	गोढैला	9471694740
49		सुधीर पासवान	अरैला	7352765084
50		चन्देशर पासवान	अरैला	7304916553
51		गौतम कान्त चौधरी	पंचोभ	7631230515
52	बहेड़ी	करूनेश कुमार चौधरी	पंचोभ	8298398860
53		भुवन मुखिया	हथोड़ी	9709847364

54		नरेश मुखिया	केरवाकोट	9931573038
55		बुद्धदेव मुखिया	अटहर भेल	9135669452
56		सुरेन्द्र मुखिया	गैवाल	7492886610
57		कन्हैया मुखिया	गैवाल	9086011404
58	सिंहवाड़ा	श्री त्रिवेणी सहनी	ग्राम– फुलथुआ	9709743742
59		श्री फूल सहनी	ग्राम– फुलथुआ	8809650959
60		श्री संताष कुमार सहनी	ग्राम– फुलथुआ	9507512457
61		श्री ललित पासवान	ग्राम– फुलथुआ	9729011764
62		श्री फकीरा सहनी	ग्राम– फुलथुआ	8227977982
63		श्री विनोद सहनी	ग्राम– फुलथुआ	8678894204
64	जाले	छोटे कुमार पासवान	ब्रह्मपुर	7352448238
		मदन कुमार दास	ब्रह्मपुर	9973572426
65		मंजय कुमार पासवान	ब्रह्मपुर	8051939514
66		लक्ष्मण बैठा	दोघड़ा	8518941411
67	केवटी	अरूण सहनी	मिल्की मोहम्मदपुर	9534458227
68		शिवकुमार सहनी	मिल्की मोहम्मदपुर	9534458227
69		महेन्द्र सहनी	मिल्की मोहम्मदपुर	9133929756
70		शिवनन्दन सहनी	मिल्की मोहम्मदपुर	7370861819
71		नथुनी सहनी	मिल्की मोहम्मदपुर	8409995588
72	मनीगाछी	अरूण सहनी	मिल्की मोहम्मदपुर	7654615150
73		विरजू कुमार राम	राजे	7531860971
74		सत्य ना0 राम	राजे	7070822692
75		चन्दन कुमार महतो	राजे	8877725922
76		प्रमोद कुमार महतो	कनोखर	7559320753
77		मोहन राम	मॉउबेहट	7481896280
78		राम प्रकाश राम	मॉउबेहट	7779816834
79		दिनेश कुमार सदाय	नजरा मोहम्मदा	9693276147
80		प्रमोद कुमार	गंगौली–कनकपुर	9661593686
81		सुमित कुमार	कटमा–बहुअरवा	8051574083
82	तारडीह	पंकज कुमार	बाजितपुर	8051836220
83		सिताराम मुखिया	मदरिया	9653236014
84		घुरण मुखिया	मदरिया	7549878998
85		हरखु मुखिया	मदरिया	7541017067
86		मनसी मुखिया	मदरिया	7541017067
87		भीखर मुखिया	मदरिया	7549878998
88		जीवन मुखिया	कठरा	9771941907
89		ललन मुखिया	कठरा	7631598335
90		सीताराम मुखिया	कठरा	9973748430
91		सीताई मुखिया	कठरा	7543862485
	बेनीपुर	दयाराम साफी	पोहद्दी बेनीपुर	
		यदु सहनी	पोहद्दी बेनीपुर	
		बधियार सहनी	पोहद्दी बेनीपुर	
		बुधन सहनी	पोहद्दी बेनीपुर	
92		महेन्द्र सहनी	पोहद्दी बेनीपुर	
93	अलीनगर	संजय मुखिया	शिव शंकर मुखिया अलीनगर	7667295012
94		अमन कुमार	राम पुकार मुखिया	6204501399
95		ओम प्रकाश मुखिया	अनिल मुखिया, अलीनगर	7739387525
96		पवन मुखिया	सुधन मुखिया	95033766734
97		फुलेश्वर मुखिया	स्व0 पत्ती मुखिया, अलीनगर	9731289083
98		श्रमण कुमार मुखिया	ललन मुखिया,अलीनगर	8084810990
99		लाल कुमार मुखिया	राम प्रसाद मुखिया, अलीनगर	9525158687
100		अमरजीत मुखिया	बद्री मुखिया, अलीनगर	7295048135
101		मोहन प्रकाश मुखिया	उपेन्द्र मुखिया, अलीनगर	6206164283
102		ओम प्रकाश मुखिया	योगेन्द्र मुखिया, अलीनगर	7280822695
103	बिरौल	पचकौड़ी मुखिया	उछटी	6202071762ण00
104		दीपक मुखिया		7715958984
		म्भू मुखिया	सुपौल	9155109043

		महाजन मुखिया		91022355170
		धर्मवीर मुखिया	रोहार महमुदा	6206751497
		पंचु मुखिया	पटनियाँ	7464064490
105		शिवजी मुखिया	कमरकला	8521289293
106		त्रुधन सहनी	लदहो	8709586207
107		तेतर मुखिया	पोखराम द0	800263109
108		हरदेव मुखिया	ईटवाशिवनगर	8260319831
109		ललचन मुखिया	सोनपुर पघारी	9546676126
110		रंजीत मुखिया		9930806153
111		मधुकर मुखिया	बौराम	8928623607
112		माजे मुखिया	बौराम	7091300951
113		बकर मुखिया	बौराम	8104829273
114		शिव कुमार मुखिया	बौराम	9262524706
115		रमण मुखिया	बौराम	
116		राम दत्त कुमार शर्मा	विष्णुपुर	7782979368
117		मनोज शर्मा	कुनौनी	7667879783
118		कृष्ण कुमार पंडित	कुनौनी	9113163503
119		विजय पासवान	कुनौनी	9006266737
120		शिवजी मुखिया	कुनौनी	9973747064
121	गौड़ाबौराम	श्याम शर्मा	कुनौनी	9661729300
122		सिकेन्द्र मुखिया	रहिटोल	6205402249
123		घनश्याम मुखिया	रहिटोल	9326623948
124		लालन मंडल	चतरा	8210690120
125		अशोक मुखिया	चतरा	7781883402
126		जगदीश मुखिया	चतरा	9572450099
127		सत्तो सहुनी	चतरा	7667440098
128		गंगा प्रसाद यादव	चतरा	8969849455
129		बिकाउ मुखिया	चतरा	9973245880
130		अजीत कु0 शर्मा	रहिटोल	8920704584
131		प्रमोद प्रसाद शर्मा	रहिटोल	7368983055
132		सुभाष कु0 शर्मा	रहिटोल	8368871573
133		राजा बाबू मुखिया	रहिटोल	6200397697
134		संजीव मुखिया	पुनाच	9050636753
135		दयानद मुखिया	पुनाच	9934304617
136		सरोज कुमार मुखिया	पुनाच	9508175183
137		फुलचन्द्र मुखिया	पुनाच	8809256200
138	घनश्यामपुर	रमण कुमार यादव	चतरा	7739923742
139		चन्द्र कान्त मुखिया	चतरा	7739923742
140		धमेन्द्र सदा	पुनाच	8969117216
141		हरिचन्द्र यादव	चतरा	8757928655
142		अशोक मुखिया	पुनाच	6200762765
143		दूलार चन्द्र मुखिया	कुनौनी	6361492804
144		जुगेश्वर मुखिया	कुनौनी	9572047098
146		श्री रजनीकान्त राय	उजुआ सिमरटोका	7667684652
147		श्री मनिश कुमार	उजुआ सिमरटोका	9546535441
148		श्री सुजित राय	उजुआ सिमरटोका	9523891449
149		श्री कुन्दन कुमार	उजुआ सिमरटोका	6200965856
150		श्री सुनील राय	उजुआ सिमरटोका	8102477082
151		श्री ऋृशि कुमार	तिलकेश्वर	9817111769
152	कुशेश्वरस्थान पूर्वी	श्री अजित कुमार	तिलकेश्वर	7479867604
153		श्री परमजीत कुमार	तिलकेश्वर	9304795342
154		श्री राकेश कुमार	तिलकेश्वर	7652854560
155		श्री कुन्दन कुमार कुणाल	तिलकेश्वर	9472166607
156		श्री हरेकृश्ण कुमार	तिलकेश्वर	9939751461
157		श्री देवेन्द्र सदा	तिलकेश्वर	8709918514
158		श्री जयराम सदा	तिलकेश्वर	7766857924
159		श्री कामेश्वर सदा	तिलकेश्वर	6201635421

160		श्री नुनु पासवान	कुशेश्वरस्थान उत्तरी	8757430459
161		श्री गोविन्द पासवान	कुशेश्वरस्थान उत्तरी	9523443167
162		श्री जयराम पासवान	कुशेश्वरस्थान उत्तरी	8407082903
163		श्री बिरेन पासवान	कुशेश्वरस्थान उत्तरी	7349939816
164		श्री चन्दन पासवान	कुशेश्वरस्थान उत्तरी	8920369642
165		श्री कन्हैया कुमार	कुशेश्वरस्थान उत्तरी	8434334661
166		श्री अरविन्द कुमार राम	कुशेश्वरस्थान उत्तरी	9431801141
167		मो0 निजाम	कुशेश्वरस्थान दक्षिणी	7250836716
168		श्री अनिल पासवान	कुशेश्वरस्थान दक्षिणी	9566661524
169		श्री गौतम प्रसाद सिंह	कुशेश्वरस्थान दक्षिणी	9570800658
170		मो0 नौशाद	कुशेश्वरस्थान दक्षिणी	8002246539
171		श्री रविन्द्र यादव	सुधराईन	9534627881
172		श्री पंकज कुमार मिश्र	सुधराईन	9033797046
173		श्री मुकेश कुमार चौपाल	सुधराईन	9525932121
174		श्री मंतोश कुमार यादव	सुधराईन	8051273230
175		श्री छोटू कुमार	सुधराईन	9128821649
176		श्री वीरेंदर यादव	सुधराईन	8051273230
177		श्री इंदु मुखिया	केवटगामा	7541020054
178		श्रो रंजित सदा	केवटगामा	6201220322
179		श्री अमरजीत यादव	केवटगामा	9570658400
180		श्री सुशील कुमार	ईटहर	8540995247
181	कुशेश्वरस्थान	श्री रमेश पासवान	ईटहर	7765852187
182		श्री सुरेश सदा	ईटहर	9508206046
183		मो0 नजीर	भिण्डुआ	7050727573
184		श्री मोनू कुमार	भिण्डुआ	6287126568
185		श्री राजकिशोर सदा	भिण्डुआ	9572640561
186		श्री पप्पू कुमार यादव	भिण्डुआ	6201483152
187		श्री अनिल यादव	भिण्डुआ	7257836893
		सुनील कुमार यादव	भिण्डुआ	8757124204
188		त्रुधन यादव	भिण्डुआ	
189		सुभाष कुमार	परसंडा	9973625020
190		सुख सागर मुखिया	पकाही	
192		गौड़ी सदा	रामबारी	9801559237
193		राम बिलास राम	विष्णुपुर	8873740382
195		विष्णुदेव माँझी	पकाही	
196		देव नारायण यादव	लड़नी	
197		रामशीष यादव	बतसपुर	
198		इन्द्र नारायण यादव	मधुवन	9470438090
199		छब्बु यादव	कमलावाड़ी	
200		लक्ष्मी यादव	दिनमो	
201		रामोतार यादव	ानिचार	
202		भिखो यादव	सिमराहा	
203		सियाराम सदा	घौरदौड़ा	
204		गंगेश मुखिया	मसानखोन	9430645340
205		अर्जुन पासवान	सोहरवा	
206		कपिल पासवान	सेहरवा	
207		सरेश पासवान	सोहरवा	
208		हरेराम मुखिया	माखानखोन	9113318766
209		चन्दन साह	खान बलहा	
210		दिलीप राम	हरौली	
211		मुसहरू पासवान	पचहारा बुजुर्ग	
212		सूर्य नारायण साहू	मनौरीपूर	
213		अमर राम	गोपालपूर	
214		मन्नीलाल चौपाल	वरगांव	
215		देवन पासवान	नारायणपुर	
216		रामस्वरूप सदा	तारसो	
217		रघुनाथ मुखिया	बलाठ	

218		हरिलाला मुखिया	लठीधारा	
219		अरूण मुखिया	रहुआ	9006178734
220		त्रुधन यादव	नदियामी	8421062672
221		राम बहादुर	नदियामी	8084182420
222		सुचित चौपाल	नदियामी	9708774133
224		संजय मुखिया	मोरकाही	9939993597
232		लक्ष्मी यादव	दिनमो	9771614633
233		इन्द्र नारायण यादव	मधुवन	9006161036
237		छोटे राय	मिस्सी	9939993597
238		श्रीचन मुखिया	खेतास कलना	
244		बिलैत साफी	हरिनगर	9934844653
245		राजेन्द्र यादव	चातर	9199040617
246		शंभु पासवान	कछुआ	7739605938
247		रामस्वरूप सदा	तारसो	7549527449
248		जय लाल यादव	झगरूआ तरवारा	729247322
249		राम प्रसाद यादव	झगरूआ तरवारा	9981568195
250		विजय यादव	झगरूआ तरवारा	6200786726
251		गरीव नन्दन पासवान	झगरूआ तरवारा	9135673707
252		अरविन्द कुमार यादव	झगरूआ तरवारा	6201789915
253		उमेश राम	कुवौल ढांगा	9525160158
254		जय राम तांती	कुवौल ढांगा	9507587478
255		कमलेश कुमार मुखिया	रसियारी पौनी	7463092575
256		पंचु चौपाल	रसियारी पौनी	6207983917
257	किरतपुर	बहादुर सदा	रसियारी पौनी	7461816035
258		छोटकन सदा	रसियारी पौनी	9631546704
259		भिखारी सदा	रसियारी पौनी	7759862740
260		पवन सदा	रसियारी पौनी	8226887592
261		राम प्रवेश साहु	नरकटिया भंडारिया	9570369792
262		दिलीप कुमार सिंह	किरतपुर	8084309591
263		चन्दन कुमार	किरतपुर	7292852313
264		सुनील कुमार	किरतपुर	9709492363
265		अमरजीत कुमार	किरतपुर	8057660708
266		राज किशोर राय	खैसा जमालपुर	6299454440

3.2.1.3 बाढ प्रबंधन के संदर्भ में

- एडी0आर0एफ0 टीम द्वारा प्रभावित प्रखंडो में 01 जून से 07 जून, 2022 तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजित किया जाता है।
- बाढ़ प्रबंधन हेतु सभी उपलब्ध संसाधनों की सूची BSDRN (http://bsdrn.bsdma.org/Frontend/equipDistrict) पर अद्यतन किया जाता है।

उपलब्ध संसाधन

- देशी नाव (सरकारी) – 224
- इन्फ्लैटेबल मोटर वोट – 02
- पॉलीथीन शीट्स – 41365
- टेन्ट – 177
- लाईफ जैकेट – 182
- सेटेलाईट फोन – 05

○ **प्रशिक्षित मानव संसाधन**

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अन्य संस्थानों के सहयोग से समय–समय पर गोताखोर, कुशल तैराक एवं अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

○ **जागरूकता कार्यक्रम**

- प्रतिवर्श 01 से 07 जून के बीच बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस सप्ताह के दौरान जिला भर में जन जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम यथा होर्डिग, समाचार पत्रों में बाढ़ से बचाव के उपायो का प्रकाशन, रैली, पेंटिग प्रतियोगिता एवं मॉक ड्रिल आदि विशेष रूप से आयोजित किये जाते है।
- विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के तहत् बच्चों को एवं NDRF/SDRF/Fire Services के माध्यम से जनमानस में जागरूकता पैदा किया जाता है।

3.3.2 भूकम्प

दरभंगा जिला भूकम्पीय जोन V में अवस्थित है। भारत–नेपाल सीमा के नजदीक होने के कारण भूकम्प से यह जिला अति संवंदनशील है। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि एवं भूकम्परोधी भवनों के निर्माण में तकनीकी ज्ञान (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों) में कमी के कारण खतरे की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। जैसा कि भूकम्पों में देखा गया है कि भूकम्प में जानमाल की क्षति होने के कई कारक हैं जैसे कि -

- **भूकम्प आने का समय**
- **निर्माण का प्रकार**
- **मकान के छत का प्रकार**

3.3.2.1 जिला में क्षति का अनुमान : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना द्वारा प्रकाशित रिर्पोट के अनुसार 1934 के भूकम्प की तीव्रता की काल्पनिक पुनरावृत्ति के तहत जिला में क्षति का अनुमान निम्न प्रकार है :

District (Seismic Zone V)	Number of Census houses of different Types and their Vulnerability						Number of Houses (N) under various Damage Grades				Estimated Damages			
	nA(H)	nB(M)	nC1 (L)	nC2 (L)	Type X (VL)	Total	NG5	NG4	NG3	NG2	Loss of Human Lives		Re-construction	Repairing
											Unfavorable	Favorable		
Darbhanga	**127,383**	**547,499**	**4,954**	**7,636**	**285,631**	**973,103**	**87,319**	**266,454**	**301,410**	**31,787**	**15,702**	**5,025**	**353,772**	**333,197**
Jale	8,323	38,816	247	830	14,452	**62,668**	8,043	21,596	18,146	431	1,359	435	29,640	18,576
Singhwara	10,453	41,359	398	881	14,978	**68,069**	9,362	23,421	19,796	512	1,531	490	32,783	20,308
Keotiranway	6,947	41,746	168	616	16,999	**66,476**	7,648	22,688	18,827	314	1,356	434	30,336	19,141
Darbhanga	18,085	94,614	668	1,502	21,097	**135,966**	18,504	52,045	43,452	868	3,196	1,023	70,549	44,320
Manigachhi	7,386	33,773	219	332	14,455	**56,165**	7,070	18,788	15,631	220	1,189	380	25,858	15,852
Tardih	2,398	15,858	228	121	14,125	**32,730**	2,785	8,563	7,117	140	503	161	11,348	7,257
Alinagar	5,292	18,087	148	92	12,987	**36,606**	4,455	10,391	8,678	96	706	226	14,845	8,774
Benipur	8,366	38,220	220	619	13,496	**60,921**	8,005	21,285	17,799	336	1,346	431	29,290	18,135
Bahadurpur	9,930	35,748	462	408	17,388	**63,936**	8,540	20,444	17,217	348	1,369	438	28,983	17,565
Hanumannagar	4,083	19,294	252	316	15,526	**39,471**	408	4,992	14,834	3,626	185	59	5,400	18,460
Hayaghat	4,370	20,418	224	233	11,296	**36,541**	437	5,319	15,687	3,733	197	63	5,756	19,420
Baheri	11,685	46,622	280	394	17,347	**76,328**	1,169	13,426	35,910	8,375	503	161	14,594	44,285
Biraul	11,696	41,566	210	512	16,232	**70,216**	1,170	12,929	32,124	7,654	488	156	14,098	39,778
Ghanshyampur	3,576	18,253	142	215	14,155	**36,341**	3,613	10,056	8,374	143	621	199	13,670	8,517
Kiratpur	617	4,771	30	77	15,204	**20,699**	786	2,550	2,116	43	146	47	3,336	2,159
Gora Bauram	5,807	15,837	508	107	16,369	**38,628**	4,487	9,432	8,094	246	680	218	13,919	8,340
KusheshwarAsthan	6,027	17,008	281	258	17,236	**40,810**	603	6,221	13,262	3,407	239	76	6,824	16,669
KusheshwarAsthan Purbi	2,342	5,509	269	123	22,289	**30,532**	234	2,307	4,347	1,296	89	29	2,542	5,643

Type-**A:** Mud/Un-burnt Brick, Stone not packed with Mortar, Stone Packed with Mortar.
Type-**B:** Burnt Brick
Type-**C1:** Wood
Type-**C2:** Concrete
Type-**X:** Grass/ Plastic/ Bamboo etc, Plastic/ Polythene, G.I./ Metal/ Asbestos sheets and 'any other material'.

Damage grades : Classification of Damage to Buildings

- **G5** : Grade 5 - *Total damage* (Total collapse of the buildings)
- **G4:** Grade 4 - *Destruction* (Gaps in walls; parts of buildings may collapse; separate parts of the buildings lose their cohesion; and inner walls collapse.)
- **G3** : Grade 3 - *Heavy damage* (Large and deep cracks in walls and plaster; fall of chimneys)
- **G2** : Grade 2 - *Moderate damage* (Small cracks in walls and plaster; Fall of fairly large pieces of plaster; Pantiles slip off; Cracks in chimneys; Parts of chimney fall down)
- **G1** : Grade 1 - *Slight damage* (Fine cracks in plaster; fall of small pieces of plaster)

Source: Damage scenario under hypothetical recurrence of 1934 earthquake intensities in various districts in Bihar, August 2013, BSDMA, Patna

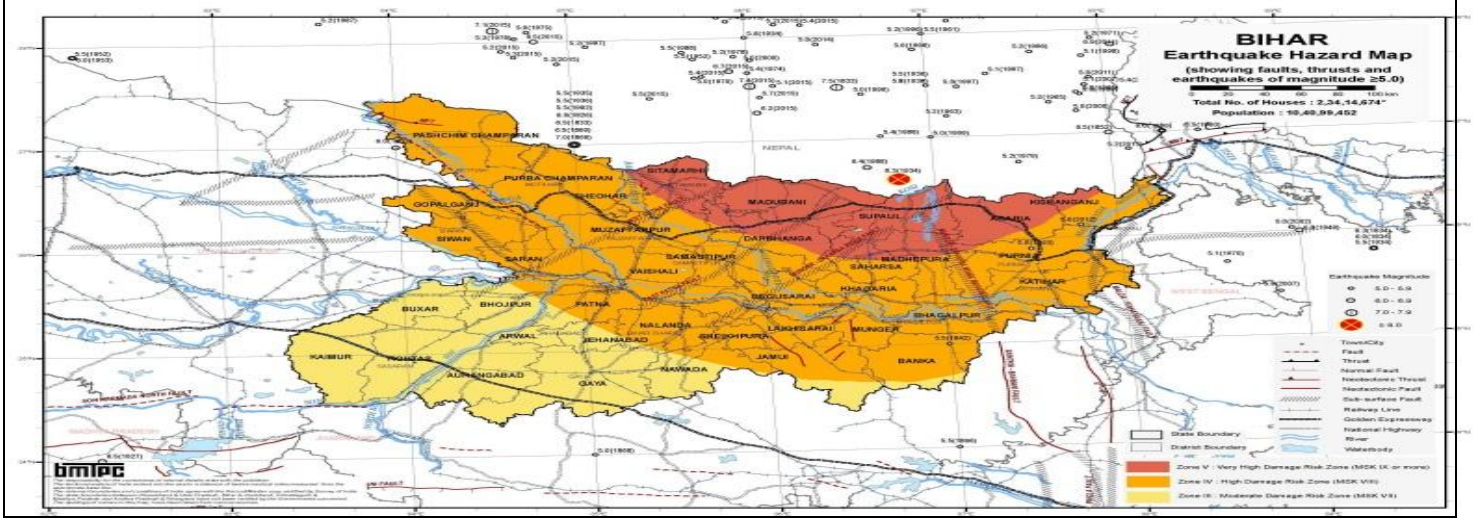

3.3.2.2 जिले में भूकम्प का इतिहास

बिहार में आये बड़े भूकम्पों यथा

- दिनांक 23.10.1833– केन्द्र भारत नेपाल सीमा,
- दिनांक 07.10.1920–बिहार उत्तर प्रदेश सीमा,
- दिनांक 15.01.1934– केन्द्र भारत नेपाल सीमा,
- दिनांक 11.01.1962– केन्द्र भारत नेपाल सीमा,
- दिनांक 21.08.1988–केन्द्र भारत नेपाल सीमा एवं
- दिनांक 25, 26 अप्रैल 2015–केन्द भारत–नेपाल सीमा

से जिला भी प्रभावित रहा है।

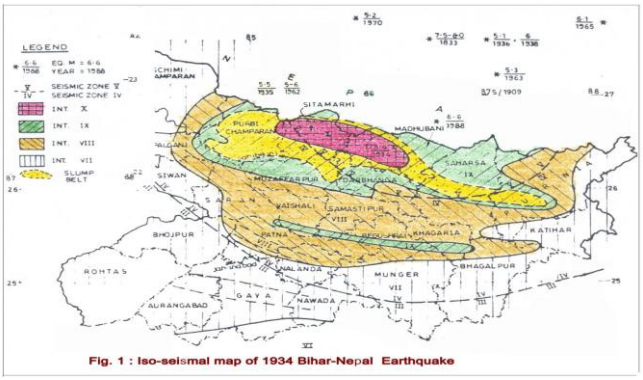

Fig. 1 : Iso-seismal map of 1934 Bihar-Nepal Earthquake

3.3.2.3 भूकम्प के संदर्भ में :

- बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के सहयोग से प्रखण्डवार कुल 508 राज्यमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रशिक्षण। सूची प्राधिकरण के बेवसाइट www.bsdma.org पर उपलब्ध है।
- बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के सहयोग से कुल 57 अभियंताओं को भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रशिक्षण। सूची प्राधिकरण के बेवसाइट www.bsdma.org पर उपलब्ध है।
- भवन निर्माण सामग्री विक्रेताओं को भूकम्परोधी भवन निर्माण सामग्री के संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम।
- National Center for Seismology, Ministry of Earth Sciences क द्वारा Seismological एवं VSAT equipments अंधराठाडी प्रखण्ड के गौर पंचायत के पंचायत सरकार भवन में स्थापित किये जाने है।
- प्रत्येक वर्ष 15 से 21 जनवरी के मध्य भूकम्प सुरक्षा सप्ताह, विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार एवं NDRF/SDRF के माध्यम से समय–समय पर मॉकड्रील द्वारा बच्चों एवं अन्य व्यक्तियों को जागरूक किया जाता है।
- जिला में उपलब्ध संसाधनों की सूची BSDRN (http://bsdrn.bsdma.org/Frontend/equipDistrict) पर अद्यतन किया गया है।

3.3.3 सूखा

जिला मानसून के परिवर्तन के कारण बाढ़ अथवा सूखा जसी आपदाओं से भी प्रभावित रहता है। जिला में कृषि से संबंधित विवरणी हेक्टेयर में इस प्रकार है।

Geographical Area	Forest Area	Land put to Non-Agriculture use				Barren Unculturable Area	Permanent Pastures & Grazing Land	Land under Misc. tree crops & groves not included in net area sown	Culturable waste Land	Total Non- Agricultural Land	Net Sown Area	Gross crop area	Crop intensity
		Land Area	Water		Total								
			Parenial	Temporary									
254077	0	44335	9357	7365	61057	1297	136	12460	126	106594	147483	171924	1.17

सूखा जैसी आपदा का मुख्य कारण वर्शापात में कमी, सिंचाई के साधनो यथा नहर नलकूप आदि का उचित प्रबंधन नहीं होना हैं। नहरो के अंतिम छोड़ तक पानी का नहीं पहुँच पाना तथा अधिकतम नलकूपो का बंद रहना सूखे की स्थिति को और भयानक बना देते है।

3.3.3.1 सूखे के संकेतक

- वर्षा का कम होना, समय पर नहीं होना या वर्षा की अपर्याप्तता लगातार बने रहना।
- भू–जल स्तर में नियमित रूप से लगातार गिरावट आना।
- पानी के अभाव में फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ना और अंततः बर्बाद हो जाना।
- तालाबों एवं जलाशयों मे पानी का कम होना तथा नित्य जल स्तर का गिरना।
- फसल लगाने पर प्रतिकूल स्थिति में फसल का नहीं लग पाना।

3.3.3.2 सूखे से प्रभावित क्षेत्र एवं प्रभावः

अपने भौगोलिक संचरना एवं उपलब्ध संसाधनों की स्थिति के कारण दरभंगा जिले के तीनों अनुमण्डल सूखे से प्रभावित होते है। इस सूखे के कारण निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है।

1. पेयजल संकट
2. भू–जल स्तर में गिरावट
3. फसल क्षति

सूखे के कारण कई अंचलों में कुआँ, आहार, तलाब एवं नल सूख जाते है जिसके कारण पशु तथा फसल बूरी तरह से प्रभावित होते है। मैदानी ईलाका होने क कारण दरभंगा जिले में भू–जल स्तर काफी निचे नहीं जाता हैं जिसके कारण मानव को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। परन्तु सिंचाई की उचित साधन नहीं होने के कारण फसलों को व्यापक क्षति होती है।

3.3.3.3 वर्षापात की स्थितिः

विभिन्न वर्षो का वर्षापात आकड़ा (2017–22)

क्र0 सं0	वर्ष	जुन		जुलाई		अगस्त		सितम्बर	
		सामान्य	वास्तविक	सामान्य	वास्तविक	सामान्य	वास्तविक	सामान्य	वास्तविक
01	2017	156.70	64.6	296.50	428.95	285.1	401.58	186.30	78.63
02	2018	169.9	79.7	280.09	183.9	288.8	178.63	186.30	80.49
03	2019	156.70	87.1	296.50	383.0	285.10	126.31	186.30	3381.04
04	2020	156.70	294.8	296.50	492.6	285.10	174.77	186.30	274.06
05	2021	156.82	380.44	296.50	250.7	285.10	296.69	186.30	53.18
06	2022	156.70	143.0	296.50	164.1	285.10	157.5	186.30	179.7

3.3.4 वज्रपात/ठनका :

वज्रपात, वायुमंडल की विशेष परिस्थिति में बादलों एवं पृथ्वी की सतह के बीच होने वाला क्रमिक व लगातार विद्युत प्रवाह है। इस विद्युत प्रवाह की वजह से वायुमंडल में उपर से नीचे तक एक तीव्र प्रकाश के साथ तेज आवाज (गर्जन) उत्पन्न होती है। इस विद्युत प्रवाह को बिजली गिरना या ठनका के रूप में भी जाना जाता है। विद्युत प्रवाह की वजह से पास की वायुमंडलीय हवा का तापमान करीब 30,000 Kelvin (53,5400F - 29726,850F) तक हो जाता है। इतने ज्यादा तापमान की वजह से विद्युत प्रवाह के रास्ते में आने वाली हवा के आयतन में अचानक काफी विस्तार होने से तेज गर्जना के साथ आवाज उत्पन्न होती है। इस विद्युत प्रवाह के सम्पर्क में आने से जन–माल की क्षति हो सकती है।

वज्रपात जिसे सामान्य भाषा में ठनका भी कहा जाता है एक ऐसी प्राकृतिक आपदा उभर कर आयी है जिसके बिहार राज्य में प्रत्येक वर्ष बहुत अधिक संख्या में जान माल की क्षति हो रही है। मानसून के दौरान होने वाले प्रमुख आपदा, बाढ़, डूबने से मृत्यु, सर्पदंश एवं ठनका आदि में ठनका अधिक घातक हो रही है। ऐसे तो मानसून का आगमन खुशहाली लाती है और खेती से जुड़े लोग अपने कार्यों में लग जाते है। परंतु मौसम एवं सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी क अभाव से लोग खेतों में काम करने वाले लोग अक्सर ठनका के शिकार बन जाते हैं। अध्ययनकर्त्ताओं के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहे Extreme Weather conditions का भी ठनका की घटनाओं में वृद्धि होने में अहम योगदान है।

वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा कई पहल की गयी है, जिसमें 'इन्द्रवज्र' मोबाइल एप एवं समुदाय स्तर पर जन जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम शामिल है। 'इन्द्रवज्र' मोबाइल एप के माध्यम से लोगों को ठनका के संभावित समय/स्थल के बारे में 30 – 40 मिनट पहले ही जानकारी मिल जाती है, जिससे कि वे ठनका गिरने के पूर्व सुरक्षित जगह पर पहुंच सकें।

राज्य/जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अन्य संबंधित हितधारकों के सहयोग से मौसम एवं वज्रपात से बचाव के संबंध में (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ताकि जान–माल कर क्षति न हो।

3.3.4.1 वज्रपात से जिला में हुई मृत्य

विगत वर्षों में वज्रपात/ठनका की घटना बढ़ी है। इससे मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जान–माल की क्षति ज्यादा देखने को मिली है। वज्रपात की घटनाओं में हो रही वृद्धि को जलवायु में हो रहे परिवर्तन के कारण भी माना जा सकता है। विगत 07 वर्षों में जिला में वज्रपात से हुई मानव मृत्यु का प्रखंडवार विवरण निम्न प्रकार है :–

वज्रपात से हुई मृत्यु (मानव)का प्रखण्डवार विवरणः–

	Jale	Singhwara	Keotiranway	Darbhanga	Manigachhi	Tardih	Alinagar	Benipur	Bahadurpur	Hanuman nagar	Hayaghat	Baheri	Biraul	Ghanshyampur	Kiratpur	Gora Bauram	Kusheshwar Asthan	Kusheshwar Asthan Purbi	Total
वर्ष –2022	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	**3**
वर्ष –2021	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	**7**
वर्ष –2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	0	0	0	**7**
वर्ष –2019	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
वर्ष –2018	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	2	1	**8**
वर्ष –2017	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	**4**
वर्ष –2016	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	**6**

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, दरभंगा।

3.3.4.2. वज्रपात से बचाव के उपाय

❖ घर के अंदर वज्रपात से बचने के लिए क्या करें

- यदि आप घर के अंदर हैं और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है तो तत्काल सभी इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। केवल स्विच ऑफ करने से काम नहीं चलता। डिस्कनेक्शन जरूरी है।
- खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर दें। खुले बरामदे और छत पर ना जाएं।
- ऐसी हर चीज से दूर रहें जहां करंट आने की संभावना है। रबड अथवा प्लास्टिक की चप्पले पहने।
- धातु स बने पाइप, नल, फव्वारा, वाश बेसिन आदि के संपर्क से दूर रहे।

❖ घर के बाहर आकाशीय बिजली से बचने के लिए क्या करें

- वृक्ष बिजली को आकर्षित करते हैं। इसलिए मौसम खराब होने पर उनके पास ना जाएं।
- ऊंची इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय न लें।
- समूह में खड़े होने के बजाय अलग– अलग हो जाएं।
- किसी निर्मित भवन में आश्रय लेना बेहतर है।
- यदि आप किसी वाहन में है तो मौसम खराब होने पर भी उसी में बने रहे।
- खुली छत वाले वाहन की सवारी न करें।
- धातु से बने वस्तुओं का उपयोग न करें।
- बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा तार की बाड़ और मशीन आदि से दूर रहें।
- तालाब और जलाशयों से दूर रहें।
- यदि आप पानी के भीतर हैं, अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं।

3.3.5.3. वज्रपात से संबंधित प्रश्नोत्तर

- वज्रपात का पूर्वानुमान कैसे लगाएं

  यदि आकाशीय बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं व त्वचा में झुनझुनी होने लगे तो फौरन नीचे झुककर कान बंद कर लें। क्योंकि यह इस बात का सूचक है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है।

- वज्रपात के शिकार व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कैसे करें

  बिजली का झटका लगने पर जरूरत के अनुसार व्यक्ति को सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन यानि कृत्रिम सांस देनी चाहिए। तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

- क्या मोबाइल फोन पर बिजली गिर सकती है

  मोबाइल फोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और स्मार्टफोन में काफी पावरफुल एंटीना होता है जो तरंगों को अपनी और आकर्षित करता है। तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह देते हैं कि बादलों की गड़गड़ाहट होने पर यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर बिजली गिरने की संभावना है तो आपको तत्काल अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए।

- आकाशीय बिजली कब गिरती है

  आकाशीय बिजली हमेशा धरती से ऊष्मा मिलने के बाद गिरती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि जिन स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरी, वहां घटना से पहले तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। यानी कि यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर उमस बहुत ज्यादा है और अचानक बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है तो समझ लीजिए कि आप खतरे में हैं।

3.3.6 डुबने से होने वाली मृत्यु :

जिला एक बहु आपदा प्रवण क्षेत्र है। जहां प्राकृतिक जनित एवं मानव जनित आपदाएं होती रहती है। जिला में नदियों, पोखरों एवं अन्य जल स्त्रोतों की अधिकता होने के कारण डुबने से होने वाले घटनाओं की संवेदनशीलता बनी रहती है। जिला में डूबने से हुई मृत्यु की घटना जो एक मानव जनित आपदा है का विवरण इस प्रकार है :

डूबने से हुई मृत्यु (मानव)का प्रखण्डवार विवरणः–

	Jale	Singhwara	Keotiranway	Darbhanga	Manigachhi	Tardih	Alinagar	Benipur	Bahadurpur	Hanumannagar	Hayaghat	Baheri	Biraul	Ghanshyampur	Kiratpur	Gora Bauram	Kusheshwar Asthan	Kusheshwar Asthan Purbi	Total
वर्ष –2022	2	6	3	5	1	4	4	5	6	4	3	11	7	3	7	6	2	8	**87**
वर्ष –2021	5	5	8	15	4	5	8	3	4	2	2	0	8	6	4	2	5	3	**89**

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, दरभंगा।

3.3.6.1 डूबने से होने वाली मौतों के निम्न कारण प्रमुख हैः

• **जलप्रपात के पास असावधानी बरतना। जलाशाय में निगरानी एवं पर्यवेक्षण की कमी।**	• **बचाव के कौशल यथा तैराकी आदि या अन्य बचाव के तरीके की जानकारी का अभाव।**
• **डूबने के दौरान उस व्यक्ति का बचाव करने में वहाँ उपस्थित समूह/व्यक्तियों की असमर्थता।**	• अचानक नदी की गहराई का अधिक हो जाना। • सेल्फी लेने के दौरान चूक।
• **तैरना नहीं आना।** • **नाव परिचालन के क्रम में निरीक्षण की कमी।**	• जलाशाय में बच्चों पर ध्यान नहीं देना। • नाविकों द्वारा सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन नहीं करना।

3.3.7 अगलगी :

बिहार सरकार ने आग को स्थानीय आपदा के रूप में चिन्हित किया है। जोखिम एवं संवेदनशीलता के दृश्टिकोण से अगलगी प्राकृतिक आपदा होने के साथ साथ मानव जनित आपदा भी है। जिला में अप्रैल से जून माह तक भीशण गर्मी पड़ती है। गर्मी के इन महीनों मे जब पछुआ हवा बहती है तो समान्यतः अगलगी की घटनाएं काफी बढ़ जाती है। अगलगी की घटनाओं से जान–माल की क्षति के साथ–साथ संसाधनों, कृषि, आजीविका, तथा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। अगलगी की घटनाएं ग्रामोण एवं भाहरी क्षेत्रों में एक जैसे नहीं होते हैं। भाहरों में अगलगी मुख्यतः शॉर्ट–सर्किट एवं विद्युत उपकरणों के खराब रखरखाव के कारण जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः बढ़ते तापमान के दौरान पछुआ हवा के समय लोगों के द्वारा सावधानियों पर ध्यान न देने आदि से होता है।

3.3.7.1 खतरे का आकलन :

प्रायः हर वर्ष अप्रैल से जून तक के महीनों में धीरे–धीरे तापमान में वृद्धि, कम नमी, तेज वायु तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग की प्रबल संभावना बनी रहती है। जिला में आग से ज्यादातर खतरा ग्रामीण इलाकों में फूस, खपरैल और कच्चे मिट्टी की सहायता से बने झोपड़ियों को रहती है। फसल कटने के बाद खेत में छोड़े गये डंठल, भूसौल में रखा गया भूसा तथा चूल्हे पर धान उसनने के क्रम में अगलगी की संभावना को खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। खेत में 'हारवेस्टर' के जरिए फसल काटने के बाद छोड़े गये डंठल को नष्ट करने के लिए आग लगाने से भी अगलगी का खतरा बना रहता है।
जिला के उपनगरीय इलाकों में असुरक्षित रसोई घर से आग लगने की घटना घटित होती रहती है। वहीं निजी एवं सरकारी भवनों तथा कार्यालयों में पुराने जीर्णशीर्ण तारो के कारण विद्युत के शार्ट सर्किट से आग लगने की घटना होती रहती है। अग्निकांड की घटना किसी भी जगह हो सकती है इसलिए, इसे कम करने तथा इससे निपटने हेतु हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा अगलगी की घटनाएँ अत्यधिक होती हैं, क्योंकि वहाँ घरों के छत लकड़ी एवं बाँस तथा पुआल से बने होते हैं।

3.3.7.2 : अगलगी के मुख्य कारण

❖ जिला में अगलगी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :

- बिजली का शॉर्ट–सर्किट होना।
- विद्युत–उपकरणों के उपयोग में लापरवाही।
- तेज हवा चलने पर बिजली के लूज तारों के टकराने से उत्पन्न चिंगारी।
- भवनों में अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों का अभाव।
- गैस सिलिंडर से गैस का रिसाव।
- बीड़ी/सिगरेट पीने के बाद बिना बुझााए फेक देना।
- मवेशी घर में मच्छर भगाने हेतु धुआँ करने के लिए जलाई गई आग को बिना बुझाएं ही छोड़ देना।
- पछुआ हवा के दौरान हवन आदि करते समय लापरवाही।
- चूल्हे की आाग को बिना बिना बुझाएं ही छोड़ देना।
- फसल कटनी के बाद खेतों में छोड़े गए डंठलों में आग लगा देना।
- प्रज्ज्वलनशील पदार्थो का अव्यवस्थित रूप से भंडारण।

3.3.7.3 : जिला में अग्निकांड संबधी आंकड़े :

अग्निकांड से हुई मृत्यु (मानव)का प्रखण्डवार विवरणः–

	Jale	Singhwara	Keotiranway	Darbhanga	Manigachhi	Tardih	Alinagar	Benipur	Bahadurpur	Hanuman nagar	Hayaghat	Baheri	Biraul	Ghanshyam pur	Kiratpur	Gora Bauram	Kusheshwar Asthan	Kusheshwar Asthan Purbi	Total
वर्ष –2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
वर्ष –2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
वर्ष –2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
वर्ष –2019	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
वर्ष –2018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	5
वर्ष –2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
कुल योग	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	2	0	3	3	0	15

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, दरभंगा।

जिला में अग्निशमन हेतु निम्नलिखित वाहन उपलब्ध है :

अग्निशमन स्टेशन– 01	फायर टेन्डर–02	एम0टी0वाहन–17

3.3.8 गर्मी/लू

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार अगर किसी समय सामान्य तापक्रम से 4.5–6.4 डिग्री अधिक हो तो उसे भीषण गर्मीया लू की संज्ञा दी जाती हैं। मैदानी इलाकों में जब तापमान लगातार 40^0 सेन्टीग्रेड से ज्यादा बना रहे तो हम उसे भीषण गर्मी या लू की स्थिति कहत है। जिला मई माह में अपने भौगोलीक संरचना एवं जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी/लू जैसी प्रकृतिक आपदा से प्रभावित होता रहा है, जिसके कारण मानव एवं पशु स्वास्थ्य के साथ–साथ कृशि भी प्रभावित होती रही है।

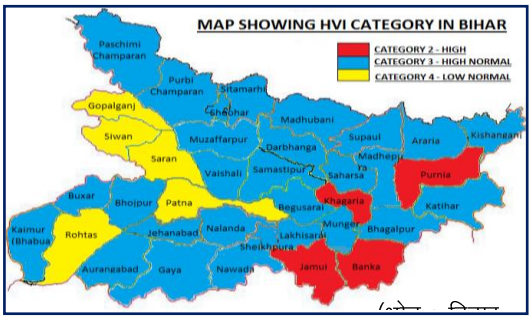

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रकाशित बिहार का जिलावार तापमान मानचित्र दर्शाता है कि जिला में अबतक संकलीत अधितम उच्चतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेन्टीग्रेट पाया गया है। तथा अधितम औसत तापमान 37 से 39 डिग्री सेन्टीग्रेट के बीच (मई महिने में) पाया गया है। तापक्रम संबंधित यह डाटा बतलाता है कि जिला में लू एवं गर्मा सबंधी जोखिम बना रहता है। भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान, गांधीनगर ने एक संयुक्त अध्ययन में देश के सभी जिलों का भीषण गर्मी तथा उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का मानचित्र (HVI–Hazard Vulnerability Index) तैयार किया है। इस मानचित्र को तैयार करने में उन जिलो की जनसंख्या, सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण एवं पर्यावरणीय मद्दों का ध्यान में रखा गया है। इस सर्वे के अनुसार जिला श्रेणी–3 में आता है, जो सामान्य से कम माना जायेगा।

3.3.8.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

इस जिला के सभी प्रखण्ड गर्मी/लू से प्रभावित होते है। उश्णलहर के कई दिनों से लेकर कई सप्ताह तक बने रहने के कारण निम्नलिखित समुह ज्यादा प्रभावित होते है।

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
- संवेदनशील आयु समूह । (वृद्ध, बच्चे, कमजोर स्वास्थ्य वाले, लम्बी अवधि के बीमार)
- संवेदनशील महिलाएँ – गर्भवती एवं छोटे बच्चों वाली।
- इस गमी और लू के कारण मानव एवं पशु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याऍ (शरीर के अंगों में ऐंठन, अचेत होना आदि) उत्पन्न होती है। बढ़े तापमान के कारण स्कूल तथा कॉलेज जाने वाले युवा वर्ग भी प्रभावित होते है।

3.3.8.2 गर्मी/लू के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित बिहार हीट वेभ एक्शन प्लान 2017 के निर्देशों के अनुरूप सभी हितधारकों में जागरूकता पैदा करने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण/जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
- स्थानीय सोशल मिडिया एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से गर्मी/लू से बचाव हेतु क्या करे क्या न करे की सूचना का प्रचार–प्रसार किया जाता है।
- सर्वाजनिक स्थानों पर होर्डिग लगाया जाता है।

3.3.9 शीतलहर

- जब सामान्य न्यूनतम तापमान 100C या उससे अधिक पाया जाता है एवं न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान से 70C कम हो तो उसे शीतलहर की श्रेणी में रखा जाता है। साथ यदि तापमान 00C से कम हो जाय या रबी फसल के लिए असामान्य स्थिति हो तो इसे पाला कहते है।
- दरभंगा जिला में सामान्यतः दिसम्बर से जनवरी के बीच तापमान में व्यापक कमी आती है जो कभी–कभी शीतलहर/पाला का रूप ले लेती है।

3.3.9.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

- शीतलहर और पाला से अपने भौगोलिक संरचना के कारण सम्पूर्ण दरभंगा प्रभावित होता है। मानव एवं पशु के स्वास्थ्य एवं कृषि को बड़े पैमाने पर क्षति पहुँचती है। शीतलहर में सबसे ज्यादा गरीब, निःसहाय एवं आवासहीन व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग, वृद्ध अथवा कमजोर स्वास्थ्य वाले, कृषि उत्पादन एवं पशुधन, चिरस्थायी रूप से बीमार ज्यादा प्रभावित होते है।

3.3.9.2 शीतलहर/पाला के प्रबंधन के संदर्भ में में उपलब्ध संसाधन

जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखण्डों में चिन्हित स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है।

- निःसहाय एव आवासहीन व्यक्तियों के आवासन के लिए राहत केन्द्रों का संचालन किया जाता है।
- सोशल मिडिया एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से शीतलहर/पाला से बचाव हेतु क्या करे क्या न करे की सूचना का प्रचार–प्रसार किया जाता है।
- सर्वाजनिक स्थानों पर होर्डिग लगाया जाता है।

3.3.10 सड़क दुर्घटना

जिला को प्रभावित करने वाले मानव जनित आपदाओं में सड़क दुर्घटना एक प्रमुख आपदा है। घनी आबादी के बीच से गुजरने वाली सड़कों पर दुर्घटनायें ज्यादातर होती है। जिला में 02 पथ प्रमण्डल (दरभंगा पथ प्रमंडल एवं बेनीपुर पथ प्रमंडल) दोनों पथ प्रमंडल के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न मार्गों का विवरण इस प्रकार है :–

Road Statistic of MDR & SH

Sr. No.	Division	Name of the Road	Total Length (in Km)
1	Darbhanga	Darbhanga-Samastipur Road	16.000
2	Darbhanga	Darbhanga-Kuseshwarasthan Road	14.000
3	Darbhanga	Darbhanga- Kamtaul- Basaitha-Madhwapur Road	32.000
4	Darbhanga	Widening & Strengthening of Laheriasarai Tower to Laheriasarai station via DM residence, RCD office, Circuit House and District Judge residence Road	2.310
5	Darbhanga	Widening & Strengthening for Allalpatti chowk to Rahamganj chowk and Gangasagar Pokhar via Marwari college gate	2.050
6	Darbhanga	Widening & Strengthening work in Anandpur-Sadhopur-Bansdih Road (Length 9.928 Km)	9.928
7	Darbhanga	Kamtaul To Ahilyaasthan EPC	3.230
8	Darbhanga	IRQP work of Sirua to Nimaithi via Khaira Kujji Korigama Road	8.100
9	Darbhanga	ननौरा से मोहम्मदपुर पथ।	6.850
10	Darbhanga	कमतौल–जोगियारा पी0डब्ल्यू0डी0 पथ से एस0एच0–97 (बजरंग चौक बेदौली) भाया एच0ई0 विद्यालय, जोगियारा।	2.850
11	Darbhanga	अशोक पेपर मिल से विदेश्वर स्थान एन0एच0–57 पथ।	11.335
12	Darbhanga	दरभंगा अन्तर्गत देकुली से सिसौनी पथ (0 से 21.570 कि0मी0)	21.570
13	Darbhanga	दरभंगा अन्तर्गत मुरिया–भालपट्टी– नैनाघाट पथ (0 से 14.465 कि0मी0)	14.465
14	Darbhanga	दरभंगा अन्तर्गत हाजीपुर से छतवन पथ (0 से 9.065)	9.065
15	Darbhanga	शैनी चौक से डगरशाम–कपछाही– अम्मापट्टी सतघरा भाया दाईन–देकुली– सिसौनी– उघरा पथ के 0 से 14. 10 पथ निर्माण कार्य।	14.100
16	Darbhanga	शहबाजपुर–भौलका–करहटिया पथ के 0 से 5.20 पथ निर्माण कार्य।	5.160
17	Darbhanga	चिकनी–शिवराम–लुलुआ चौक–वाजितपुर देवना पथ भाया कुम्हरौल पथ।	29.541
18	Darbhanga	हायाघाट–अशोक पेपर मिल पथ।	3.950
19	Darbhanga	एन०एच० खिरमा से जलवाड़ा, असराहा, बिस्फी पथ।	10.500
20	Darbhanga	तारसराय–रैयाम पथ के शंकरपुर, रामपुर, छच्छा होते हुए फलकाही पथ।	3.500
21	Darbhanga	एन०एच०–57 गौसाघाट से धोईघाट पथ निर्माण विभाग सड़क तक।	3.500
22	Darbhanga	Baheri PWD to Sirua via Bhachhi Ujaina Road	9.410
23	Darbhanga	Hathauri Kothi PWD to Baheri PWD Road	5.500
24	Darbhanga	Taralahi-Simri Road	11.712
25	Darbhanga	Kamtaul-Pani Tanki Road	20.467
26	Darbhanga	Bharwara (Lalpur chowk) to Chamundaasthan Road	5.120
27	Darbhanga	Rajwara-Tarauni to Fardaha-Itharwa- Ammi-Majhigama Road	14.800
28	Darbhanga	Ekmighat to Kilaghat Road	4.000
29	Darbhanga	University Thana to Harahi Pond in territory of Darbhanga city	0.490
30	Darbhanga	Road and RCC Drain from Hasan Chowk to Poor Home via Raj Kumar Ganj in territory of Darbhanga city	0.950
31	Darbhanga	Ahilya Asthan to Gautam Kund Road	5.950
32	Darbhanga	Rasiyarighat-Warnapur Road	10.000
33	Darbhanga	Bishanpur-Aterbel Road	16.000
34	Darbhanga	Jalley-Aterbel Road km 0 to 26.20)	26.200
35	Darbhanga	Jalley-Ghogharaha chatti Road	5.500
36	Darbhanga	(PBM) Road	10.437
37	Darbhanga	(VIP) Road	5.539
38	Darbhanga	Bishanpur-Aterbel (Old Alignment) Sarwara chowk-Araila Road	2.630
39	Darbhanga	Araila-Kanojarghat Road	5.800
40	Darbhanga	NH-57 to Aterbel via Simri Road	3.000
41	Darbhanga	Jale-Aurai Road	3.000
42	Darbhanga	Jale-Jogiyara-Makiya Road	7.500
43	Darbhanga	Kamtaul-Bharwara Road	12.500
44	Darbhanga	Ashok Paper Mill Road	4.000
45	Darbhanga	Laheriasarai Tower To Railway Station Road	0.650
46	Darbhanga	G.N. Ganj to Sweet Home Road Road	0.670
47	Darbhanga	L.N. Mishra Road	3.800
48	Darbhanga	Shubhash Chowk to Khankah Road	0.900
49	Darbhanga	Mirzapur Chowk to Mahavir Mandir Road	0.840
50	Darbhanga	Vidyapati Chowk to Income Tax Chowk Road	1.200

51	Darbhanga	C.M. Art college to Donar Railway Gumati Road	2.700
52	Darbhanga	Bus Stand To singh Darwaja Road	1.500
53	Darbhanga	Jatmalpur-Hayaghat-Hathauri Road	7.000
54	Darbhanga	Shivdhara-Mohammadpur Road	8.900
55	Darbhanga	Ekmighat-Shobhanpur Road	9.650
56	Darbhanga	Kamtaul-Jogiyara Road	10.650
57	Darbhanga	Manigachhi-Bathiya Road	9.600
58	Darbhanga	Rosara-Shiwajinagar-Bariyahi-Baheri Road.	1.300
59	Darbhanga	Bathiya-Narayanpur Road	11.400
60	Darbhanga	Bathiya-Narayanpur Road	4.106
61	Darbhanga	Old Alignment NH-57 near Jiwachhghat via Muriya to Kanakpur (Ekvinda to Sarisavpahi on old alignment of NH-57)	8.700
62	Darbhanga	Navratanpur to Kanhauli road	0.500
63	Darbhanga	Narayanpur-Belour road	6.500
64	Darbhanga	Chatti Chowk to Fekla Road	6.000
65	Darbhanga	Bedauli to Brahmpur Hatt via Ratanpur Road	5.000
66	Darbhanga	Bathiya-Putai Road	3.000
67	Darbhanga	Allalpatti Chowk to Ganj via Bhairavpatti Road	2.100
68	Darbhanga	Dhoi Ghat to Khutwara Road	4.250
69	Darbhanga	Jatmalpur-Hayaghat-Hathauri Road	16.200
70	Darbhanga	Gaushaghat Bhuskaul Loam Road	16.730
71	Darbhanga	Delhi More to Ekbhinda Road	2.040
72	Darbhanga	Sakri Bahera Road	8.000
73	Darbhanga	Sakri Chini Mill Patahan Kawai Road	5.600
74	Darbhanga	D B no -4	1.200
75	Darbhanga	Navrathanpur Kanhauli Road	1.600
76	Darbhanga	Tarsarai Muriya Raiyam	12.800
77	Darbhanga	NH-57 to Manigachi Road	1.540
78	Darbhanga	Jhanjarpur Bahera Road (km 0 to 9)	8.000
79	Darbhanga	Delhi more Ehbhinda Road	9.880
80	Darbhanga	Keoti Raiyam Road	7.500
81	Darbhanga	Aunsi Raiyam Road	5.000
82	Darbhanga	Darbhanga-Baheri-Singhiya-Rosera Road	2.00
83	Darbhanga	Darbhanga-Baheri-Singhiya-Rosera Road	23.50
84	Darbhanga	हवाई अड्डा से बरही	9.500
85	Darbhanga	W/S work of Mahatma Gandhi College to Alinagar PWD Road, Kharga chowk Sahni Chowk via. Parmeshwar Chowk to Bela Durga Mandir, PWD Road, north of PTC Chahardiwari to Railway line and Parmeshwar Chowk to Polytechnic More PWD Road	2.200
86	Darbhanga	W/S of PWD L.N. Mishra Road vairoliaya Niwas to Dakshin Nagar Thana L N Mishra PWD Road via Parwa GAddi, Naka No. 04, Kela gaddi, Shivaji Chowk & Mashraf Bazar chowk Shivaji Chowk to Gami Departmental Store (Near PWD Road) via North of Doctor Rambabu khetan.	1.550
87	Darbhanga	W/S work of Museum Gumati VIP Road to J.P. Chowk via Gyan Bharti Public School Vidyapati Chowk-Gyan Niketan Public School-West Laxmisagar Durga Mandir to Gas Godam Chowk to Vidyapati Chowk- west over bridge Railway crossing (Near PWD over bridge)	1.730
88	Darbhanga	W/S work of Darbhanga Tower to Bhagat Singh Chowk, Pansari Petrol Pump to Mirzapur chowk, Darbhanga Tower to Raja Babu Petrol Pump, Hasan Chowk, Lalbagh Post Office, PWD Road NCC to Bhogendra Jha Chowk PWD Milan Point, Lalbagh Post office to Pansari Petrol Pump, Bhagat Singh Chowk to CM Science College, PWD main gate to east Mushashah School, behind of nagar Nigam via. Marwari school to PWD L.N. Mishra road	2.700
	Darbhanga Total	88	664.70

LIST OF ROAD UNDER RCD, ROAD DIVISION, BENIPUR			
Sr.	NAME OF ROAD	LENGTH	TYPE OF ROAD
ROAD LIST OF STATE HIGHWAY			
1	Darbhanga Kusheshwar Asthan Road Km 15.0 to 64.00 (SH-56) Road	50.00	SH-56
ROAD LIST OF MAJOR DIST ROAD			
2	Sakri - Bahera Road (Km 09 to Km 15.85)	7.85	MDR
3	Bahera - Baheri Road (Km 0 to 3.30)	3.30	MDR
4	Ashapur - Alinagar Road Km (0 to 1.8 & Km 12.90 to 15)	3.90	MDR
5	Benipur - Bishanpur Road Km (0 to 12.50)	12.50	MDR
6	Shivnagarghat - Ghanshyampur Road (Km 2.85 to 18.0)	15.15	MDR
7	Rasiyari H. L. Bridge & Approach	0.95	MDR
8	Thenga - Mahinam Road Km (0.0 to 22.40)	24.40	MDR
9	Thengaha H. L. Bridge & Approach	0.80	MDR
10	Mahthour - Goroul - Nari - Biroul Road Km (0.00 to 8.50)	8.50	MDR
ROAD LIST OF COMPLETED MAJOR DIST ROAD			
11	Balance work of Benipur-Biroul singhia via pipara road km 10 to 13.10	3.10	MDR
12	MDR Road Pali to Ganaun-Aashi-Bangarhatta Road	14.106	MDR
13	Bahera-Jhanjharpur to Rampur Udai to Suhath-Harihath-Andauli via Aashapur-Alinagar Road to Basba Chowk	11.95	MDR
14	Putai-Ijarhatta milky road	10.71	MDR
15	Mathor Garoul chakka alinagar narma-Nari-Biroul Hatgachhi road	19.126	MDR
16	Kalali chowk Balaha chowk to masankund road (7.92 to 10.9)	3.00	MDR
17	Dharaura Chowk to Maujampur-Bajidpur-Rampur-Udai Road	11.640	MDR
18	Manigachi to Bauharwa Road	5.500	MDR
19	Pohaddi Bela to Pali Road	3.715	MDR
20	Alinagar to Nadiyami Road	4.000	MDR
21	Shiv Nagar ghat Ghanshyampur Rasiya Road	2.85	MDR
22	Bahera to Kalyanpur Road	5.281	MDR

ROAD LIST OF MAJOR DIST ROAD (UNDER CONSTRUCTION)			
23	Supaul to Bauram Raod	12.220	MDR
24	Hati (SH-56) to Pipra Road	3.950	MDR
25	Rosera Mabbidhala-Sarhachai-Mangalgad-Rajghat-Satighat Road	8.400	MDR
26	Jhanjharpur to Bahera Road	14.400	MDR
27	Ujan (PWD Road) to Kaithbar-Lagma-Kakodha-Machauta-Lalapatti-Parrari-Tumaul-Ghanshyampur Road	21.075	MDR
28	Const. of Kasraur Middle School to Narma chowk via Harsinghpur CRF Road	6.78	MDR
29	Bahera Bazar to Katwasa Road	10.835	MDR
30	Kusheshwar Asthan (SH-56) to Pholtora Ghat road from km 0.00 to 20.80.	20.80	MDR
31	Shankar Lohar (SH-88) to Sisauni (SH-56) Road	21.754	MDR
Total		342.542	

सड़क दुर्घटना से हुई मृत्यु (मानव)का प्रखण्डवार विवरणः–

	Jale	Singhwara	Keotiranway	Darbhanga	Manigachhi	Tardih	Alinagar	Benipur	Bahadurpur	Hanuman nagar	Hayaghat	Baheri	Biraul	Ghanshyam pur	Kiratpur	Gora Bauram	Kusheshwar Asthan	Kusheshwar Asthan Purbi	Total
वर्ष –2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
वर्ष –2021	1	7	6	18	0	0	1	3	9	0	0	1	8		0		3	1	**58**
वर्ष –2020	1	9	8	13	3	0	0	3	7	**2**		0	3		2	2	0	0	**53**
वर्ष –2019	3	6	6	8	4	0	0	2	**4**	2	0	0	2	2	1	2	**2**	0	**44**
वर्ष –2018	0	14	3	1	1	0	0	6	6		0	3	4	0	0	**2**	0	0	**40**
वर्ष –2017	**2**	**1**	3	**3**	0	0	0	0	0	**3**	0	**2**	0	0	0		0	0	**14**
कुल योग		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**		**0**			**0**	

नोटः– जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2022 में 110 सड़क दुर्घटना हुई है।

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, दरभंगा।

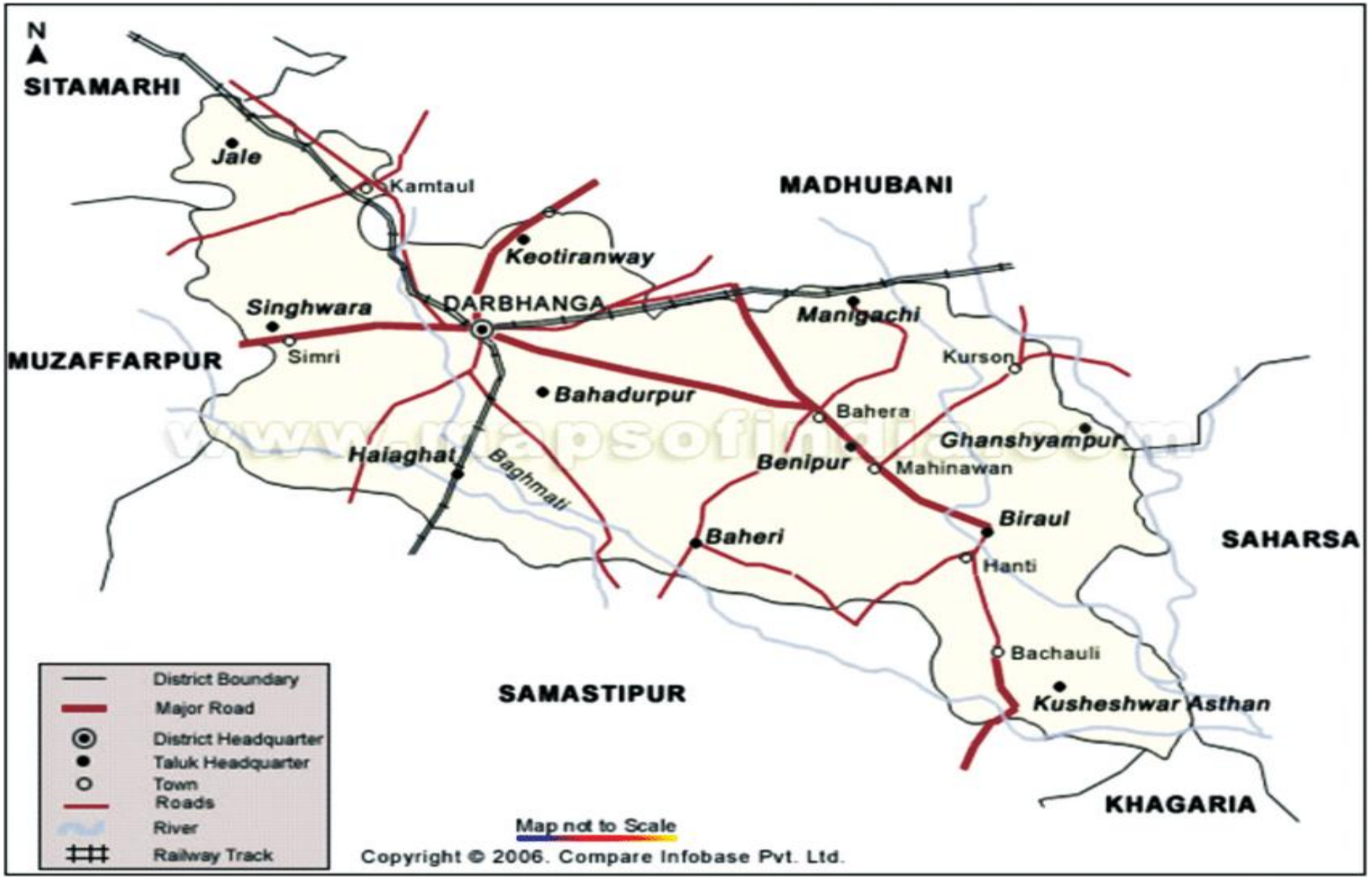
N
SITAMARHI
Jale
Kamtaul
MADHUBANI
Keotiranway
Singhwara
DARBHANGA
Manigachi
MUZAFFARPUR
Simri
Kurson
Bahadurpur
Bahera
Ghanshyampur
Hajaghat
Baghmati
Benipur
Mahinawan
Biraul
Baheri
SAHARSA
Hanti
Bachauli
SAMASTIPUR
Kusheshwar Asthan
KHAGARIA
District Boundary
Major Road
District Headquarter
Taluk Headquarter
Town
Roads
River
Railway Track
Map not to Scale
Copyright © 2006. Compare Infobase Pvt. Ltd.

3.3.10.1 जिले में चिन्हित दुर्घटना जनित स्थलः

चिन्हित दुर्घटना जनित स्थल का विवरण।		
दरभंगा जयनगर स्टेट हाइवे	सिंहवाड़ा दरभंगा रोड	आशापुर–कुशेश्वरस्थान रोड

3.3.10.2 सड़क दुर्घटना के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन

- प्रतिवर्ष जन जागरूकता हेतु आपदा प्रबंधन शाखा, दरभंगा एवं परिवहन विभाग, दरभंगा द्वारा निर्धारित समय पर **सड़क सुरक्षा सप्ताह** का आयोजन किया जाता है।
- पथ निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा ब्लॉक स्पॉट के पास दुर्घटना के रोकथाम हेतु सूचना पटयों Zebra Crossing बनाया गया है।
- समय–समय पर गृह विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों को वाहन चालन के नियमावली का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- दो पहिया वाहनों के चालकों को हेमलेट एवं चार पहिया वाहन के चालकों में सीट बेल्ट के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

3.3.11 सर्पदंश

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना के ज्ञापांक 1213/आ०प्र० दिनांक 24.03.2022 के द्वारा बाढ़ क दौरान बाढ़ जनित कारणों से सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा के श्रेणी में सम्मलित किया गया है। दरभगा जिला भी इस आपदा से प्रभावित होता रहा है। मानसून के समय नदियों एवं तलाबों में अतिरिक्त पानी के कारण सर्प अपने बिलों से बाहर आ कर उच्च और सूखी जगह के तलाश में रहता है, जिसके कारण सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती है।

3.3.11.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

मैदानी ईलाका होने के कारण सम्पूर्ण दरभंगा सर्पदंश से प्रभावित होता है। मानसून अवधि के दौरान सर्पदंश के घटनाओं में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है। सर्पदंश से दोनों मानव एवं पशुओं की क्षति होती है।

सर्पदंश से हुई मृत्यु (मानव)का प्रखण्डवार विवरणः–

	Jale	Singhwara	Keotiranway	Darbhanga	Manigachhi	Tardih	Alinagar	Benipur	Bahadurpur	Hanuman nagar	Hayaghat	Baheri	Biraul	Ghanshyam pur	Kiratpur	Gora Bauram	Kusheshwar Asthan	Kusheshwar Asthan Purbi	Total
वर्ष –2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
वर्ष –2021	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**	**2**	0	0	0		0		0	0	**7**
वर्ष –2020	**4**	**4**	0	0	0	0	0	0	**1**			0	**2**		0	**2**	0	0	**13**
वर्ष –2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**2**	0	**1**	0	0	**4**
कुल योग		0	0	0	0	0	0	0				0	0		0			0	**24**

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, दरभंगा।

3.3.12 भीड/भगदड

जिला के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गौतम कुंड, अहिल्या स्थान, श्यामा मंदिर, विदेश्वर स्थान, कुशेश्वरस्थान, प्रमुख धार्मिक स्थल है जहाँ विशेष समय में भीड़ एवं भगदड़ की संभावाना बनी रहती है। जिला में समय–समय पर बड़े धार्मिक मेले (छठ पूजा, दुगापूजा, मुहर्रम, कार्तिक पूर्णिमा–नहान आदि) का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में भीड़ इक्कठा होने के कारण भगदड़ की स्थिति पैदा हो सकती है।

3.3.12.1 भगदड प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

भगदड़ की स्थिति में जीवन क्षति का, अपंग होने का, प्रियजनों से बिछडने का एवं घायल होने की स्थिति बनी रहती है। जिला में प्रमुख पर्यटन स्थल, बड़े धार्मिक मेला स्थल भगदड़ प्रभावित क्षेत्र के अर्न्तगत आते है। जिला में भगदड़ से अभीतक बड़ी क्षति नहीं हुई है। परन्तु खतरे की संवदनशीलता बनी रहती है।

3.3.12.2 भीड़/भगदड़ के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधनः

- जिला प्रशासन द्वारा भीड़/भगदड़ प्रबंधन हेतु आवश्यकता अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया तैयार किया जाता है।
- सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वाच्छता हेतु विशेष कोशांगों का गठन किया गया है।
- भीड़ प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों का समय–समय पर जागरुक किया जाता है।

3.3.13 महामारी (कोविड–19)

वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्पूर्ण जिला प्रभावित रहा है। इस महामारी ने जिले के आर्थिक, सामाजिक स्थितियों पर गहरा असर डाला है। मानक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व इसके संवेदनशीलता को और बढ़ा देते है।

3.3.13.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

इस महामारी के कारण सम्पूर्ण जिला प्रभावित हुआ है। जिसका विवरण इस प्रकार है :–

क्रमांक	वर्ष	प्रभावितों की संख्या	मृतकों की संख्या
01	2020	3847	56
02	2021	6248	591
03	जुलाई 2022 तक	2789	5

3.3.13.2 महामारी (कोविड–19) के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन :

जिले में स्वास्थ्य संबंधी उपलब्ध संसाधनों (अस्पतालों) का विवरण इस प्रकार है :–

क्र0 सं0	प्रखंड का नाम	स्वास्थ्य उपकेन्द्र की संख्या	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या
1	बेनीपुर	23	4	1
2	बहेड़ी	20	2	1
3	दरभंगा सदर	19	2	1
4	बहादुरपुर	19	1	1
5	हायाघाट	24	5	1
6	जाले	19	2	1
7	मनीगाछी	32	8	1
8	बिरौल	21	2	1
9	घनश्यामपुर	21	4	1
10	किरतपुर	0	0	1
11	कुशेश्वरस्थान	19	4	1
12	केवटी	21	1	1
13	सिंहवाड़ा	23	2	1

उपरोक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर टिकाकरण अभियान चलाया जाता है। साथ ही जन जागरूकता अभियान–सोशल मिडिया, प्रिंट मिडिया, इलेट्रॉनिक मिडिया, जन जागरूकता रथ एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महामारी (कोविड–19) से बचाव हेतु क्या करे क्या न करे की सूचना का प्रचार–प्रसार किया जाता है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा के सहयोग से सभी हितधारकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

3.3.14 चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि

प्राकृतिक आपदा चक्रवाली तूफान/आँधी/ओलावृष्टि आदि वर्ष के शुरूआती महीनों में जिला को प्रभावित करती है। बिल्डिंग मेटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रोमोसन कॉउसिल (बी.एम.टी.पी.सी.) द्वारा जारी ''वलनेरेबिलीटी एटलस ऑफ इंडिया में इस जिले को तेज तूफान झेलने की आंशका वाला जिला बताया गया है।

3.3.14.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

इसके कारण फसल क्षति (खा़द्यान, सब्जी एवं आलू), आवास क्षति (फूस/बांस निर्मित), मानव मृत्यु/पशु मृत्यु/घायल, यातायात एवं संचार सेवा में बाधा, संरचनात्मक ढ़ाँचों को नुकसान एवं जल में वेग उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है। चक्रवाती तूफान (तेज गति हवा) से संपूर्ण जिला प्रभावित होता है।

3.3.14.2 चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन :

- राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र द्वारा चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि आने की पूर्व सूचना उपलब्ध करायी जाती है, जिसे हितधारकों में प्रचारित–प्रसारित किया जाता है।

अध्याय : 4

संस्थागत ढांचा

INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

जिला में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। यहॉ अलग से जिला सड़क सुरक्षा भी गठित है। इसके साथ ही जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के प्रति संबंधित विभागों द्वारा आव यकतानुसार विशेष तैयारी की जाती है। जिला में आपदा प्रबंधन कोशांग एवं जिला आपातकालीन सेवा केन्द्र समाहरणालय भवन में अवस्थित है।

राज्य में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में किये गए कार्यो का विवरणी इस प्रकार है:

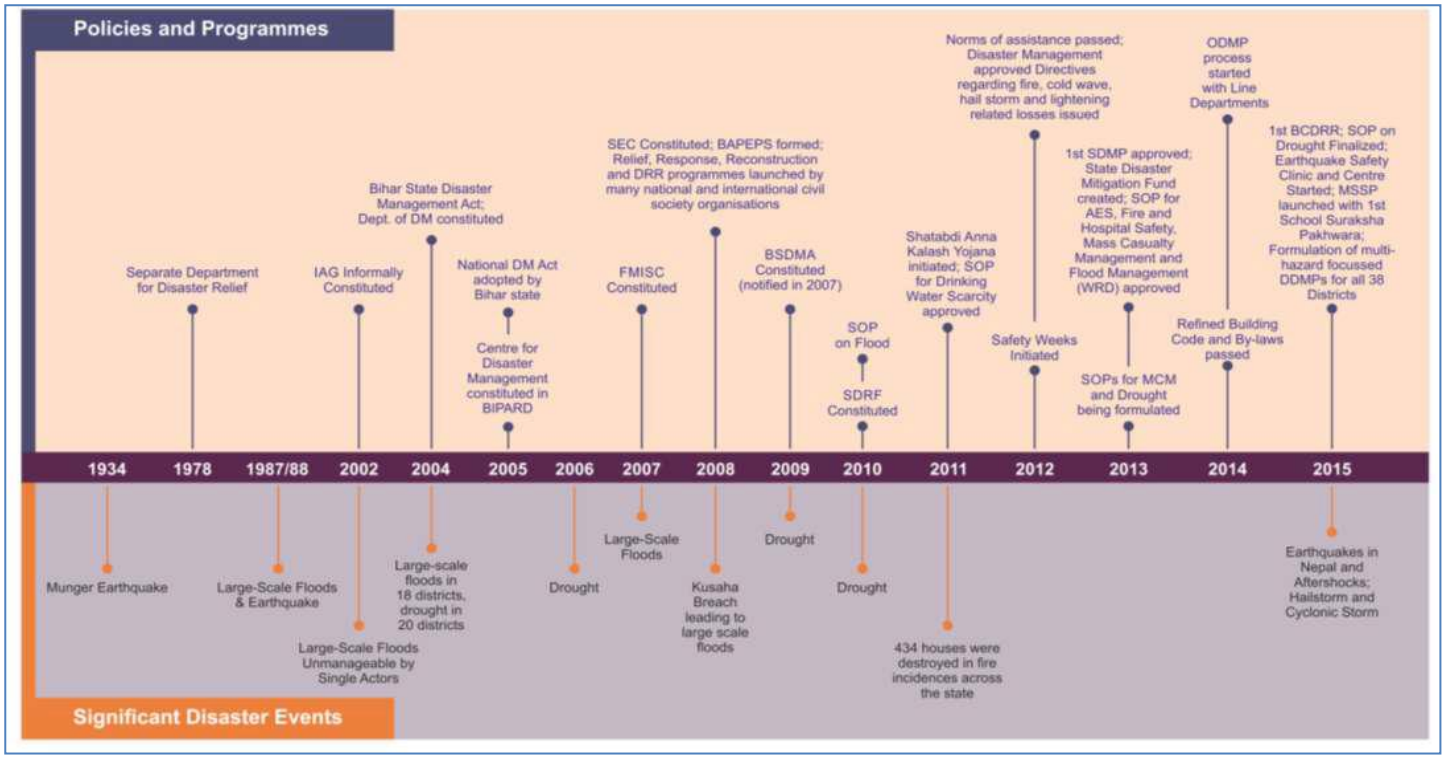

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–41
स्थानीय प्राधिकारों के कृत्य :

41(1) स्थानीय प्राधिकारों, जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए –

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित है।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएँ राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप करेगा।

41(2) स्थानीय प्राधिकार, ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझ।

4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन :

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25(1) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 30.06.2008 को निर्गत राज्यादेश से बिहार के सभी 38 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस आदेश के अनुसार इस प्राधिकरण में निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है।

1. *जिलाधिकारी* – *पदेन अध्यक्ष*
2. *जिला परिषद् के अध्यक्ष* – *सह अध्यक्ष*
3. *पुलिस अधीक्षक* – *सदस्य*
4. *उपविकास आयुक्त* – *सदस्य*
5. *असैनिक शल्य चिकित्सक* – *सदस्य*
6. *वरीय अपर समाहर्ता* – *सदस्य/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी*
7. *जिला वरीयतम अभियंता* – *सदस्य*

4.2 पंचायती राज संस्थाये :

भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपने अपने क्षेत्रों में योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार ने आपदा जाखिम न्यूनीकरण रोड मैप–2030 में ''रिजेलियेंट विलेज'' की कल्पना की है, अतः ग्रामीण स्तर पर ''फर्स्ट रिस्पॉडर'' मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है।

चूँकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत सबसे निचली स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है इसलिए इसे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सशक्त बनाये जाने की जरूरत है। इससे आपदा के पूर्व, दौरान तथा बाद के कार्यो मे पंचायत अपनी अहम भूमिका निभा सकेगी। इन बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बड़े पैमाने पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर उन्हें ''मास्टर ट्रेनर्स'' बनाया है। ''मास्टर ट्रेनर्स'' की सूची प्राधिकरण के बेवसाइट (http://bsdma.org/Training-Workshops.aspx?id=1) पर उपलब्ध है।

4.3 आपदा प्रबंधन से संबंधित संगठन :

■ नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स)

नागरिक सुरक्षा की अधिनियम जो 1968 में संसद से पारित है उसमें 2009 में बदलाव करते हुए नागरिक सुरक्षा को रक्षा मत्रांलय तथा गृह मत्रांलय से अलग करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग क अंतर्गत लाया गया तथा इसे आपदाओं के प्रबंधन, न्यूनीकरण तथा आम लोगों में क्षमतावृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का दायित्व सौपा गया। अधिनियम में नागरिक सुरक्षा की इकाईया जिला स्तर पर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

नागरिक सुरक्षा महानिदे ाालय कायालय, पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य के केवल चार जिले पटना, बेगूसराय, पूर्णिया एवे कटिहार में जिला कोर टीम कार्यरत है। दरभंगा में कोर टीम का विस्तार विचाराधीन है।

■ बिहार राज्य नागरिक परिषद् –

बिहार राज्य नागरिक परिषद् के संदर्भ में पूर्व के सभी संकल्पों को अवक्रमित करते हुए मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार ने अपने संकल्प सं॰ मं0मं.0–02/बिरा0रा0प0–502/03–1218/सी0 दिनांक 14.06.2007 के द्वारा को पुनर्जीवित हुए पुनर्गठित किया है। इसका लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किया गया है –

(क) मानव जनित तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग तथा
(ख) एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता एवं सदभाव कायम रखना।

इसके लिए बिहार राज्य नागरिक परिषद् का संगठन बनाते हुए त्रिस्तरीय संगठन के रूप में पुनर्गठित किया गया जो निम्नवत है :

- *राज्य स्तर पर बिहार राज्य नागरिक परिषद्*
- *जिला स्तर पर जिला नागरिक परिषद्*
- *थाना स्तर पर थाना नागरिक परिषद्*

जिले में तत्काल नागरिक सुरक्षा तथा जिला स्तर एवं थाना स्तर पर जिला नागरिक परिषद् सुदृढ़ करने की आवश्यकता है दोनों ही संस्थाए आपदा की दृष्टि से पूर्व तैयारी, कैम्प संचालन तथा खोज–बचाव के कार्यो में उपयोगो हो सकते है।

■ जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रः

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र जिला मुख्यालय में अवस्थित है। यह 24x7 कार्यरत रहता है। आपातकालीन संचालन केन्द्र में आपातकालीन सहायता कार्य (Emergency Support Function-ESF) हेतु टीम के सदस्यों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध है। टीम के सदस्य, निदेशानुसार सहयोगी एजेन्सियों के साथ जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर चल रहे आपदा प्रबंधन के कार्यों में सहयोग करते हैं। आपदा के दौरान जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को बेहतर तरीके से काम करना अति आवश्यक है। इसके लिए समयानुसार नई तकनीक एवं इससे प्रशिक्षित लाग एवं सुविधाओं का होना आवश्यक है। ई॰ओ॰सी॰ की प्राथमिक जिम्मेदारी है ससमय, सही चेतावनी जारी करना। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, जिला स्तर पर मौसम की पूर्वानुमान करने वाली एजेन्सियों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभागो एवं आम लोगों के लिए चेतावनी जारी करती है। इस प्रकार इसके लिए आवश्यक है कि इसके संचार व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यरत हो।

■ सामान्य समय में आपातकालीन संचालन केन्द्र के कार्य :

जिलाधिकारी के आदे ानुसार, आपातकालीन संचालन केन्द्र में एक प्रशासनिक अधिकारी प्रतिनियुक्त रहते हैं। पदाधिकारी के देख–रेख में केन्द्र सामान्य समय में निम्नांकित कार्यों करता है।

- *सुनिश्चित करना कि आपातकालीन संचालन केन्द्र के सभी यंत्र सक्रिय है तथा कभी भी इसे चालू किया जा सकता है।*
- *लाईन डिपार्टमेन्टस से आपदा प्रबंधन हेतु नियमित तौर पर आकड़ा इकट्ठा करना।*
- *जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।*
- *जिले के आपदा प्रबंधन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।*
- *डाटा बैंक को नियमित अद्यतन करते हुए अभिलिखित करना तथा किसी आपदा की जानकारी/ चेतावनी मिलने पर आपदा मोचन तंत्र (ट्रिगर मेकेनिज्म) को सक्रिय करना।*

■ बिहार अग्निशमन सेवाएं :

अगलगी की घटनाओं की रोकथाम एवं उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आव यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए आव यक है कि व्यक्ति, परिवार, समुदाय एवं विभिन्न हितधारकों द्वारा अगलगी की घटनाओं के प्रति सचेत रहें साथ ही इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार अग्नि ामन सेवाएं, सरकार के अन्य संबंधित विभागों, समुदाय एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से अगलगी की आपदा की रोकथाम एंव न्यूनीकरण हेतु तैयारियों के लिए मार्गदर्शिका तैयार किया गया है।

बिहार अग्नि ामन सेवाएं, आपदा प्रबंधन की एक मौलिक ईकाई है जिसे अग्नि आपदा से बचाव एवं राहत कार्यो के साथ–साथ इससे संबंधित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एव सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम को भी प्रमुखता से करना है। जिला में कुल 1 फायर स्टेशन है। स्टेशन पर विभिन्न प्रकार के वाहन उपलब्ध है।

■ राज्य आपदा मोचन बल :

राज्य के किसी भाग में आपदा के आने पर खोज, बचाव एवं राहत कार्यो के त्वरित निश्पदान के उद्दे य से आपदा पबंधन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या –2/स्था–17–26/2008/698/आ0प्र0, दिनांक 16.3.2010 के द्वारा राश्टोय आपदा मोचन बल के पैटर्न पर राज्य आपदा मोचन बल (State Disaster Response Force – SDRF) की एक बटालियन का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय बिहटा, पटना है। अपने गठन के पश्चात काफी कम अवधि में ही इसने अपने आप को विभिन्न उपकरणों के साथ एक स ाक्त आपदा मोचन बल के रूप में स्थापित किया है। जिला में इसकी एक टीम कार्यरत है।

एस.डी.आर.एफ की टीम ने आपदाओं के दौरान, वि ोश कर बाढ़ अवधि में, बचाव एव राहत कार्यो का सफलतापूर्वक निश्पादन किया है। साथ ही छठ महापर्व, दुर्गा पूजा के दौरान मुर्ति विसर्जन एवं अन्य ऐसे आयोजनों, जहाँ काफी भीड़ एकत्रित होने के कारण भगदड़/डूबने आदि दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है के अवसरों पर भी इस टीम ने आपदा प्रबंधन के दृश्टिकोण से सराहनीय कार्य किया है। इसके अलावे टीम ने आपदा प्रबंधन से संबंधित सामुदायिक प्रशिक्षण एवं जागरूकता के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा

करती है। यह बल शांति काल में विभिन्न समुदाय समूहों, संस्थानों तथा पदाधिकारियों को मॉक–ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित करता है।

■ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण :

बिहार राज्य की अधिसूचना सं0 3449, दिनाकं 06.11.2007 द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–18 के अधीन यथा उपबंधित तथा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथा विनिश्चित कृत्य प्राधिकरण क मुख्य कार्य हैं।

आपदा प्रबंधन की योजनाओं और नीतियों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण, आपदा प्रबधंन विभाग तथा सरकार के अन्य विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ–साथ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क साथ आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्य करता है। इस संदर्भ में वि ाश जानकारी हेतु प्राधिकरण के वेबसाइट (http://bsdma.org/Home.aspx) को देखा जा सकता है।

■ आपदा प्रबंधन विभाग :

बिहार, एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार का नोडल विभाग है, जिसे राज्य के प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन का दायित्व है। यह विभाग आपदाओं एवं इसके जोखिमों से निपटने हेतु तैयारी (Preparedness), रोकथाम (Prevention), भामन (Mitigation), प्रत्युत्तर (Response), सहाय्य (Relief), पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण (Rehabilitation & Reconstruction) हेतु उत्तरदायी है।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार का मुख्य उद्दे य :

- *आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढाँचे को अधिक से अधिक सुदृढ करना।*
- *राज्य में होने वाले आपदाओं के जोखिम को कम करना एवं इससे होने वाले क्षति को कम करने हेतु आव यक कार्य करना।*
- *आपदा की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्य तत्काल और पारद र्ी तरीके से करना।*

इस संदर्भ में विशेष जानकारी हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट (https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html) को देखा जा सकता है।

= = = = = =

अध्याय : 5

आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी के उपाय

PREVENTION, MITIGATION & PREPAREDNESS MEASURES

विभिन्न आपदाओं से होने वाली संभावित क्षति को कम करने हेतु निरंतर आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्य करना होगा ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुख्य उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि निषेधीकरण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्यों को चिह्नित कर लिया जाय, साथ हीं उसके लिए विभागों/संभागों की भी पहचान कर ली जाय। इस अध्याय में विभिन्न हितधारकों को कार्यों की पहचान की गयी है।

- **निवारण/रोक थाम (Prevention) :**

वर्तमान अथवा संभावित आपदा जोखिमों के रोक–थाम हेतु किये जाने वाले कार्रवाई और उठाये गये कदमों को निषेधीकरण कहा जायेगा। यह खतरनाक घटनाओं के संभावित प्रतिकुल प्रभाव से पूरी तरह से बचने की अवधारणा एवं इरादा को व्यक्त करता है।

- **न्यूनीकरण (Mitigation) :**

खतरों के प्रतिकुल प्रभावों, विशेष रूप से कुछ प्राकृतिक खतरों (Natural Hazards) को अक्सर पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन विभिन्न रणनीतियों (Strategies) तथा उपायों (Measures) द्वारा उसके पैमाने (scales) या गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए किये जाने वाले प्रयास को न्यूनीकरण कहा जाता है।

- **तैयारी/तत्परता (Preparadness) :** तैयारी या तत्परता, आव यकता पड़ने पर यथा भीघ्र और उचित रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता को द र्ाता है। इसका उद्दे य आपदा स्थितियों को कु ालतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए आव यक क्षमताओं का निर्माण करना होता है।

5.0 आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड–मैप

तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन सेंडई, जापान में दिनांक 14 से 18 मार्च 2015 तक में आयोजित किया गया जिसमें भारत सहित विश्व के 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सेंडई में हुए इस विश्व सम्मेलन से प्राप्त अनुभव एवं बिहार राज्य के बहु आपदा प्रवण होने के परिपेक्ष्य में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 10.05.2016 को "बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, 2015–2030" का राज्यादेश अधिसूचीत किया गया। आपदा सुरक्षित बिहार (Disaster Resilient Bihar) की परिकल्पना के संदर्भ में रोड मैप में निम्नलिखित चार लक्ष्यों रखे गए हैं :

1. *वर्श 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से मानव क्षति को मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तलना में 75 प्रति ात कम करना।*
2. *वर्श 2030 तक परिवहन संबंधी आपदाओं (सड़क, रेल एवे नाव दुर्घटना) में मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में पर्याप्त (Substantial) कमी करना।*
3. *वर्श 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में 50 प्रति ात कम करना।*
4. *वर्श 2030 तक बिहार राज्य में आपदाओं से होने वाली क्षति में मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में 50 प्रति ात कम करना।*

उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को समयबद्ध (अल्पकालीन–2020 तक मध्यकालीन–2025 तक एव दीर्घकालीन–2030 तक) करते हुए रोड मैप में भामिल किया है। इन क्रियाकलापों को बेहतर क्रियान्वयन हेतु पाँच विभिन्न हिस्सों में बाँटा गया है।

जो इस प्रकार है :

- **सुरक्षित ग्राम** (Resilient Village)
- **सुरक्षित शहर** (Resilient City)
- **सुरक्षित आजीविका** (Resilient Livelihood)
- **सुरक्षित बुनियादी संवाएँ** (Resilient Basic Services)
- **सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ** (Resilient Critical Infrastructure)

- **सुरक्षित ग्राम :** सुरक्षित ग्राम से तात्पर्य है :
  - ग्रामिणों में लोचपूर्ण सुरिक्षत संव्यवहार एवं आदतों (Resilient and safe behaviour) का विकास करना,
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को गाँव की विभिन्न योजनाओं में भामिल करना
  - गाँवों में सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन तथा उसके माध्यम से ग्रामिणों में आपदा जोखिम का विश्लेषण,
  - संचार योजना की जानकारी एवं उसके उपयोग की समझ विकसित करना
  - पूर्व चेतावनी एवं आपातकालीन सेवा तक पहुँच सुनि चत करना।
  - स्थानीय स्तर पर होने वाले विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु ग्रामिणों में लगातार क्षमता विकसित करना।
- **सुरक्षित शहर :** सुरक्षित भाहर से तात्पर्य है :
  - भाहरवासियों में लोचपूर्ण सुरिक्षत संव्यवहार एवं आदतों (Resilient and safe behaviour) का विकास करना,
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को भाहर की विभिन्न योजनाओं में भामिल करना
  - भाहरी में सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन तथा उसके माध्यम से भाहर में आपदा जोखिम का विश्लेषण,
  - संचार योजना की जानकारी एवं उसके उपयोग की समझ विकसित करना
  - पूर्व चेतावनी एवं आपातकालीन सेवा तक पहुँच सुनि चत करना।
  - स्थानीय स्तर पर होने वाले विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु भाहरवासियों में लगातार क्षमता विकसित करना।
- **सुरक्षित आजीविका :**
  - यह साधनों, गतिविधियों और अधिकारों के परस्पर क्रिया के रूप में परिकल्पित है। जिसके द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले लोग ;
    - जोखिमों के विश्लेषण, पूर्व चेतावनी, जोखिमों में कमी, जोखिमों का हस्तांतरण या साझाकरण के माध्यम से आपदाओं एवं इसके कारण तनावों का अनुमान लगा कर सुनियोजित तरीके से इसका सामना कर सकते हैं।
    - प्रभावी योजना के माध्यम से लोग बढ़ी हुई क्षमताओं और अवसरों के साथ उबरने में सक्षम हो सकेंगे।
    - लोग बेहतर रोकथाम के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और जोखिमों के अनुकूल होने में सक्षम हो सकेगें।
    - लोग आजीविका की दृश्टिकोण किसी प्रकार के आपदा जोखिम पैदा किये बिना वैकल्पिक आजीविका क्षमता और संपत्ति विकसित करने में सक्षम होंगे।
- **सुरक्षित बुनियादी संवाएँ :** सुरक्षित बुनियादी संवाएँ से तात्पर्य है :

– स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल एवं बिजली आपूर्ति, स्वच्छता आदि से संबंधित सेवाओं को आपदारोधी (Disaster Resilient) बनाना एवं आपदाओं के समय इन सेवाओं को अनवरत जारी रखने के उपाय को बेहतर बनाना,

– बुनियादी संवाएँ के प्रति आपदा जोखिमों की पहचान कर संबंधित हितधारकों/सेवाओं का आव यकतानुसार क्षमता विकास/निर्माण/वर्द्धन करना

- **सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ :** सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ से तात्पर्य है :
– सड़क, पुल, पुलिया, विद्युत संरचना, तटबंध, दूरसंचार, परिवहन प्रणाली, शिक्षा एंव स्वास्थ्य सेवाएँ आदि महत्वपूर्ण सेवाएँ जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को आपदारोधी बनाने एवं आपदाओं के समय में, इन सेवाओं का अनवरत चालू रखने से है।

5.1 जिला स्तर पर आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी हेतु किए जाने वाले कार्य

उपरोक्त पाँच हिस्सों के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्तर पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले क्रियाकलापों की विवरणी इस प्रकार है:

सुरक्षित ग्राम

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	ग्राम स्तर पर आपदा एवं जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों का ग्राम स्तर के हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शिक्षा विभाग,* • *ग्रामीण विकास विभाग,* • *जल संसाधन विभाग,* • *कृशि विभाग,* • *पशुपालन विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *पंचायती राज संस्थाएँ,* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम
2	सभी हितधारकों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गद र्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।		
3	स्थानीय आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर ग्राम आपदा प्रबंधन योजना (Village Disaster Management Plan) तैयार करना तथा चेकलिस्ट के आधार पर इस योजना का मूल्यांकन करना।		
4	ग्राम चेकलिस्ट के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभागों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजे शन (CSO) के कार्यकर्त्ताओं को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जोखिम सूचित विकास योजना (Risk Informed Development Plan) विषय पर प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करना।		
5	सामुदायिक एवं सार्वजनिक भवन जैसे धार्मिक स्थल, पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, आगनवाड़ी केन्द्र, मोबाइल टावर आदि में वज्रपात/ठनका से बचाव हेतु कंडक्टरों की स्थापना को बढ़ावा देना।		
6	आपदाओं की तैयारियों के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन		
7	जागरूकता अभियान/कार्यक्रम को बढ़ावा देना		
8	राजमिस्त्रियों के लिए आपदारोधी भवन निर्माण, गोताखोरों के लिए खोज एवं बचाव, आगंनवाड़ी सेविकाओं के लिए आपदाओं में क्या करें क्या न करें, ए.एन.एम., के लिए सी.पी.आर, होमगार्ड के लिए अफवाह प्रबधन जैसे विषय पर विशेष प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम को बढ़ावा देना		

सुरक्षित ग्राम

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
9	ग्रामिणों के बीच जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, फसल, प ुधन आदि के बीमा को लेकर गहन अभियान को बढ़ावा देना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजे ान, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शिक्षा विभाग,* • *ग्रामीण विकास विभाग,* • *जल संसाधन विभाग,* • *कृशि विभाग,* • *पशुपालन विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *पंचायती राज संस्थाएँ,* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्नि ामन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग प्रशिक्षित स्वयंसेवक*	जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम
10	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।		
11	बाढ़ को लेकर उच्च जोखिम (High Risk) वाले गाँवों की पहचान कर बेहतर योजना (Planning) तैयारी (Preparedness) एवं प्रतिक्रिया (Response) आदि के लिए परिदृ य आधारित बाढ़ मानचित्र (Scenario based inundation map) विकसित करना।		
12	आपदाओं, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है जैसे बाढ़, वज्रपात, अगलगी, सड़क दुर्घटना, आदि को रोकने उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पहले से ही सुरक्षा के उपायों का अपनाने का कार्ययोजना तैयार करना।		
13	गाँवों में (खास कर सूखा प्रभावित) मनरेगाा के अंतगर्त जल संरक्षण एवं जल संचयन प्रणाली के निर्माण को सुनि चत करना।		
14	पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनि चत करना।		
15	वैकल्पिक खेती के रूप में बागवानी संबंधी गतिविधियों का बढ़ावा देना।		
16	युवाओं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और निःशक्तजन को भाामिल करते हुए सड़क सुरक्षा समिति का गठन कर, सुरक्षा संबंधी काया को बढ़ावा देना।		
17	सुरक्षित यात्रा के लिए सड़क के किनारे उचित एवं मानक साइनेज का होना सुनिश्चित करना।		
18	नाव दुर्घटना के कारण होने वाले क्षति के प्रति नाव चालकों और समुदाय के लोगों को मॉडल नाव सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूकत करना।		
19	गर्मा के दिनों में पछुआ हवा चलने से पहले, आग की घटनाओं के रोकथाम एवं इसे नियंत्रित करने के लिए चेकलिस्ट के आधार पर उचित तैयारी सुनिश्चित करना।		
20	आपदाओं के दौरान उचित देखभाल हो सके, इसके लिए बच्चों, बीमार, वृद्ध, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की सूची तैयार कर उसे अद्यतन करते रहना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आव यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।

सुरक्षित शहर

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	भाहर स्तर पर आपदा एवं जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों का ग्राम स्तर के हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, भाहर स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *भाहरी विकास एवं आवास विभाग,* • *भाहरी विकास विभाग* • *शिक्षा विभाग,* • *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *भाहरी स्थानीय निकाय* • *योजना एवं विकास विभाग* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	• *भाहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र*
2	सभी हितधारकों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदशन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।		
3	स्थानीय आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर भाहरी आपदा प्रबंधन योजना (City Disaster Management Plan) तैयार करना तथा चेकलिस्ट के आधार पर इस योजना का मूल्यांकन करना।		
4	चेकलिस्ट के आधार पर संबंधित विभागों/संस्थाओं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजशन (CSO), एन.जी.ओ. आदि के कार्यकर्त्ताओं को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जोखिम सूचित विकास योजना (Risk Informed Development Plan) विषय पर प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करना।		
5	सामुदायिक एवं सार्वजनिक भवन जैसे धार्मिक स्थल, कार्यालय भवन, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, कॉलेज, मोबाइल टावर, मॉल आदि में वज्रपात/उनका से बचाव हेतु कंडक्टरों की स्थापना को बढ़ावा देना।		
6	आपदाओं की तैयारियों के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन		
7	जागरूकता अभियान/कार्यक्रम को बढ़ावा देना		
8	अभियंताओं, वास्तुविदों, संवेदकों, राजमिस्त्रियों, गृहस्वामियों के लिए आपदारोधी भवन निर्माण से संबंधित विषय पर विशेष प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम को बढ़ावा देना		
9	भाहरी क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) के तंत्र के प्रमुख तत्वों जैसे प्राकृतिक जल निकाय (नदी, तालाब, पोखर, नाला आदि), वृक्षारोपण क्षेत्र, वन एव आर्द्रभूमि आदि की पहचान करना एवं ये सुनिश्चित करना कि इसका अतिक्रमण न हो। ऐसे मृत हो चुके प्राकृतिक संसाधनों/तत्वों के रेस्टॉरेशन के लिए योजनाबद्ध तरीके से आव यक कार्य करना।		
10	भाहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खतरनाक उद्योगों (Hazardous Industries) को चिन्हित करना एवं कारखना स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार "ऑन साइट" और "ऑफ साइट" आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया हो तथा इस योजना के अनुमोदनापरांत सत्त अभ्यास कार्य एवं समय समय पर मॉक ड्रील का आयोजन सुनिश्चित करना।		
11	भाहरी क्षेत्रों में बाढ़ एवं जल जमाव के खतरे, उपलब्ध जल संसाधन, जल निकासी प्रबंधन प्रणाली (Draniage Mgmt System) के साथ साथ प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न (Natural Draniage System) तथा भाहरी बाढ़ एवं जल जमाव पर इन सभी के प्रभाव का व्यापक अध्ययन एवं विश्लेषण करना।		

सुरक्षित शहर

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
12	बाढ़ को लेकर उच्च जोखिम (High Risk) वाले क्षेत्रों की पहचान कर बेहतर योजना (Planning) तैयारी (Preparedness) एवं प्रतिक्रिया (Response) आदि के लिए परिदृश्य आधारित बाढ़ मानचित्र (Scenario based inundation map) विकसित करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजे न, भाहर स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *भाहरी विकास एवं आवास विभाग,* • *भाहरी विकास विभाग* • *शिक्षा विभाग,* • *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *भाहरी स्थानीय निकाय* • *योजना एवं विकास विभाग* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	• *भाहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र*
13	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।		
14	बाढ़ एवं जल जमाव के जोखिम विश्लेषण (Risk Analysis) के आधार पर भाहर के संवेदनशील क्षेत्रों में वॉटर पंपस (Water pumps) और पम्पिंग स्टेशन की आव यकता का आकलन करना		
15	भाहरी क्षेत्रों में उचित स्थानों पर वेस्ट वॉटर एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ रिसाइक्लिंग प्लांट को स्थापित करना तथा प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न (Natural Draniage System) के साथ इसे एकीकृत करना।		
16	जोखिम विश्लेषण (Risk Analysis) एवं जोखिम सूचित योजना (Risk Informed Planning) जैसे विषयों पर संबंधित विभाग/संस्थाओं के अधिकारियों की व्यापक प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करना।		
17	नियमित अंतराल पर विभिन्न आपदाओं विशेषकर आग एवं भूकम्प का मॉक ड्रिल एवं विभिन्न एस.ओ.पी. और गाइडलाइंस का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। आवश्यकतानुसार, विभिन्न एस.ओ.पी. और गाइडलाइंस का समीक्षा कर संशोधन करना।		
18	भाहरी क्षेत्रों में उपयुक्त अग्निशमन उपकरणों और दमकल गाड़ियों को सुनिश्चित करना।		
19	भूकम्प की घटना के बाद मानव एवं पशु भावों काएवं ढांचागत मलबे (Infrastructural Debris) का निपटान (Disposal) के लिए क्षेत्र विशेष की पहचान कर चिन्हित करना।		
20	भाहरी क्षेत्रों में आपदा से बचाव हेतु प्रभावी सूचना एवं जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है : • *विभिन्न आपदाओं के लिए सुरक्षा सप्ताह का वृहद स्तर पर आयोजन।* • *समय समय पर समाचार पत्रों, टीवी, एफ.एम रेडियो और सोशल मीडिया पर जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा।* • *जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति (घर, वाहन आदि), वाणिज्यिक प्रतिश्ठानों आदि के लिए समुदायों को बीमा कराने हेतु प्रोत्साहित करना।*		
21	आपदाओं, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है जैसे बाढ़, वज्रपात, अगलगी, सड़क दुर्घटना, आदि को रोकने उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पहले से ही सुरक्षा के उपायों का अपनाने का कार्ययोजना तैयार करना।		
17	सुरक्षित यात्रा के लिए सड़क के किनारे उचित एवं मानक साइनेज का होना सुनिश्चित करना।		
22	पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।

सुरक्षित आजीविका :			
क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	मौजूदा और संभावित आजीविका समूहों जैसे कि लीची, फूल, सब्जी, मखाना, मधुबनी पेंटिंग, कपास, रेशम, अगरबत्ती, मत्स्य पालन, पोल्ट्री आदि के लिए आपदा एवं जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों का संबधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ आपदा जोखिम विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजे न, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शिक्षा विभाग,* • *ग्रामीण विकास विभाग,* • *जल संसाधन विभाग,* • *कृषि विभाग,* • *पशुपालन विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *पंचायती राज संस्थाएँ,* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम
2	आपदा जोखिम विश्लेषण के उपरांत संबंधित हितधारको द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।		
3	आपदा के संदर्भ में विशिश्ट फसल पैकेज और तकनीकों के विकास में अनुसंधान एवं विकास (Research & Development) के कार्यो को समर्थन एवं बढ़ावा देना। ऐसे कार्यो को वि वविद्यालयों की प्रायोगिक भूमि में न कर, किसानों की भूमि पर प्रदर्शित करने को प्रोत्साहित करना।		
4	आजीविका से संबंधित कृशि, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट, बागबानी, पशुधन आदि के लिए नवाचारों एवं विस्तार प्रशिक्षण (Innovation & Extention training) के प्रदर्शन हेतु संबंधित हितधारकों द्वारा फील्ड स्कूल के स्थापना को बढ़ावा देना।		
5	कृशि उपज के भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना एवं इसके उचित रख रखाव को बढ़ावा देना।		
6	संबंधित विभागों की वार्शिक योजनाओं को तैयार करते समय आपदा एवं जलवायु जोखिम विश्लेषण (Disaster and climate risk analysis) को अनिवार्य रूप से इसमें भाामिल करना।		
7	बाढ़ या अत्यधिक वर्शा के दौरान मवेशियों की बीमारियों को रोकने के लिए मानसून पूर्व मवेशियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना।		
8	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों एवं पशुधन को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।		
9	ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध पशुधन से संबंधित डेटाबेस को तैयार करना एवं इसे नियमित रूप से अपडेट करना।		
10	स्थानीय आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार ग्राम आपदा प्रबंधन योजना (Village Disaster Management Plan) तथा इसके चेकलिस्ट के आधार पर इस योजना का मूल्यांकन में आजीविका को सम्मिलित करना।		
11	चेकलिस्ट के आधार पर संबंधित विभागों/संस्थाओं के सहयोग से आपदारोधी आजीविका के संदर्भ में स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण एवं उसका क्षमतावर्द्धन करना।		
12	सार्वजनिक बुनियादी ढाचे (Public Infrastructure) और सामुदायिक संपत्तियों (Community assets) की तत्काल मरम्मति को प्राथमिकता देना।		

सुरक्षित आजीविका :

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
13	आपदा के संदर्भ में सुरक्षित आजीविका से संबंधित अच्छी प्रथाओं एवं सफल केस स्टडी को साझा करना एवं प्रोत्साहन देना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शिक्षा विभाग,* • *ग्रामीण विकास विभाग,* • *जल संसाधन विभाग,* • *कृशि विभाग,* • *पशुपालन विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *पंचायती राज संस्थाएँ,* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग प्रशिक्षित स्वयंसेवक*	जिल, प्रखण्ड एवं ग्राम
14	बंजर भूमि (Wasteland) विकास, चारा विकास, चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी और आर्द्र भूमि (Wetland) आदि से संबंधित गतिविधियों/कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।		
15	अचानक बाढ़ (Flash flood) के जोखिमों को कम करने के लिए जल निकासी विकास योजनाओ को बढ़ावा देना।		
16	राज्य कौशल विकास मिशन के सहयोग से युवाओं और महिलाओं के कौशल निर्माण और उद्यमिता विकास पर विशेष ध्यान देने हेतु कार्यक्रम को बढ़ावा देना।		
17	उपनगरीय एवं भाहरी क्षेत्रों में अपंजीकृत छोटे उत्पदाकों, विक्रेताओं और व्यापारियों के पंजीकरण हेतु तंत्र विकसित करना।		
18	आजीविका के अवसरों के आकलन में ग्राम पंचायतों एवं भाहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण, आजीविका मूल्यांकन तथा मुआवजे के प्रावधान के कार्यान्वयन और निगरानी को बढ़ावा देना।		
19	आपदाओं, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सके एवं जिससे आजीविका प्रभावित होती हो जैसे बाढ़, वज्रपात, अगलगी, सड़क दुर्घटना, आदि को रोकने उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पहले से ही सुरक्षा के उपायों का अपनाने का कार्ययोजना तैयार करना।		
20	लोगों के बीच जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, फसल, पशुधन आदि के बीमा को लेकर गहन अभियान को बढ़ावा देना।		
21	जागरूकता अभियान/कार्यक्रम को बढ़ावा देना		
22	पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।		
23	वैकल्पिक खेती के रूप में बागवानी संबंधी गतिविधियों का बढ़ावा देना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।

सुरक्षित बुनियादी सेवाएँ :

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	बुनियादो सेवाओं से संबंधित सस्थानों जैसे कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, आदि के संरचना निर्माण के दिशानिर्देशों (Guidelines) एवं डिजाइनों की समीक्षा कर बहु आपदा जोखिम (Multi disaster risk) की दृश्टि से संरचनात्मक सुरक्षा तत्वों का भाामिल होना सुनिश्चित करें।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, शहर स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शहरी विकास एवं आवास विभाग,* • *शहरी विकास विभाग* • *शिक्षा विभाग,* • *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *भाहरी स्थानीय निकाय* • *योजना एवं विकास विभाग* • *योजना विभाग* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम
2	स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का संबधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ जोखिम विश्लेषण करना।		
3	जोखिम विश्लेषण के उपरांत संबंधित हितधारकों द्वारा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।		
4	रेसिलिएंस इंडेक्स के आधार पर वर्तमान स्थितियों का निर्धारण करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का आकलन करना।		
5	निर्माण के कार्य आपदारोधी (भूकम्प/आग/ठनका आदि) के साथ साथ दिव्यांगजनों एवं पर्यावरण के अनुकूल हो को सुनि चत करना।		
6	विभिन्न श्रेणी जैसे मैटरनिटी, आर्थोपेडिक्स, चाइल्ड हेल्थ, डायग्नोस्टिक्स आदि के अनुसार निजी, ट्रस्ट एवं सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की पहचान करना।		
7	वेक्टर जनित एवं जल जनित बीमारियों सहित जैविक खतरों के प्रबंधन हेतु एस. ओ. पी. तैयार कर उसके अनुसार कार्यान्वयन करना।		
8	संबंधित विभागों की वार्शिक योजनाओं को तैयार करते समय आपदा एवं जलवायु जोखिम विश्लेषण (Disaster and climate risk analysis) को अनिवार्य रूप से इसमें भाामिल करना।		
9	आपदाओं दौरान प्रभावितों को पीने योग पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।		
10	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों एवं पशुधन को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।		
11	ठोस एवं तरल अपि ाश्ट प्रबंधन (Solid & Liquid Waste Mgmt) के लिए एक प्रभावी कार्य योजना सुनि चत करना।		
12	आपदा प्रबंधन के संदर्भ में मानदंडों (Norms), दिशानिर्देशों (Guidelines), एस. ओ. पी. आदि के कार्यान्वयन पर सेवा प्रदाताओं, तकनीशियनों, पी. आर.आई एवं यूएलबी के कर्मियों तथा एसएचजी एवं अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण का संचालन सुनिश्चित करना।		
13	विभिन्न हितधारकों विशेष कर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एवं एन.जी.ओं के मदद से मॉक ड्रिल, आइ.इ.सी. सामग्रियों, विज्ञापनों, नुक्कड़ नाटकों आदि के माध्यम से सुरक्षित बुनियादी सेवाओं पर सत्त जन जागरूकता सुनिश्चित करना एवं इसे बढ़ावा देना।		
14	सार्वजनिक बुनियादी ढाचे (Public Infrastructure) और सामुदायिक संपत्तियों (Community assets) की तत्काल मरम्मति को प्राथमिकता देना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।

सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ :

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	अत्याव यक आधारभूत संरचनाओं को प्रभावित करने वाले मौजूदा एवं संभावित आपदा जोखिमों का संबधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ आपदा जोखिम विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजशन, शहर स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शहरी विकास एवं आवास विभाग,* • *शहरी विकास विभाग* • *शिक्षा विभाग,* • *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *भाहरी स्थानीय निकाय* • *योजना एवं विकास विभाग* • *योजना विभाग* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक सेवक*	जिल, प्रखण्ड एवं ग्राम
2	आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर आधारभूत संरचनाओं के सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक उपाय जैसे पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण, पुनर्निर्माण आदि के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।		
3	आधारभूत संरचनाओं कार्यो (Operational functions) के लिए नियमित अंतराल पर परीक्षण एवं मॉक ड्रील का आयोजन सुनिश्चित करना।		
4	आधारभूत संरचनाओं के कार्यन्वयन (Execution) से पहले प्रस्तावित कार्य निर्माण का जोखिम प्रभाव विश्लेषण (Risk Impact Analysis) को अनिवार्य बनाना।		
5	आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक मार्गो के साथ मौजूदा रोड नेटवर्क का मैप तैयार करना एवं लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाने के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन विकसित करना।		
7	बाढ़ नियंत्रण एस.ओ.पी. तथा तटबंध प्रबंधन दिशानिर्देश को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।		
8	बुनियादी ढांचे (Infrastructure) की बैकअप और पुनः कार्यक्षमता (regaining) सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की निरंतरता योजना (Infrastructure continuity Plan) विकसित करने हेतु उद्योगों को प्रोत्साहित करना।		
9	खतरनाक उद्योगों (Hazardous Industries) को चिन्हित कर, कारखना स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार "ऑन साइट" और "ऑफ साइट" आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा इस योजना के अनुमोदनापरांत सतत अभ्यास कार्य एवं समय समय पर मॉक ड्रोल का आयोजन सुनिश्चित करना।		
10	जागरूकता अभियान/कार्यक्रम को बढ़ावा देना		
11	पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।

= = = = = =

अध्याय : 6

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण

CAPACITY BUILDING & TRAINING

जिला आपदा प्रबंधन योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन तथा जोखिम निषेधीकरण एवं न्यूनीकरण के कार्यो को बनाये रखने के लिए इसके क्रियान्वयन में नियोजित सभी हितभागी/सह कर्मियों का प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्द्धन करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य हितभागियों तथा नियोजित कर्मियों के कौशल को मजबूती प्रदान करना होगा तथा निपुणता में उत्तरोत्तर वृद्धि करनी होगी। सुचारू आपदा प्रबंधन के लिए सरकार, समुदाय तथा सहयोगी संस्थाओं सभी का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करने पर ही निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना संभव हो सकेगा। प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा के विभिन्न आयामों के प्रति अवधारणा (Concept), जानकारी (Information), कौशल (Skill), दृष्टिकोण (Attitude) तथा व्यक्तिगत गुणवत्ता (Personal Quality) विकसित किया जा सकेगा।

6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण (Institutional Capacity Building) :

सतत के कार्य आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए आव यक है कि आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के लोगों एवं उनके माध्यम ये प्रशिक्षण एवं जागरूकता के कार्य होते रहे। संस्थागत क्षमतावर्द्धन के क्षेत्र में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितधारकों का प्रशिक्षण कार्य लगातार किये जा रहे हैं। प्रशिक्षितो की सूची प्राधिकरण के वेवसाइट (http://bsdma.org/Training-Workshops.aspx?id=1) पर देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहु–आपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढाँचों, अधिनियम नीतियों राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका आपदा प्रबधन हेतु उन्मुखीकरण एवं क्षमतावर्धन के किया जा रहा है जिसे आगे भी आव यकतानुसार संशोधन कर करते रहने की आवश्यकता है। ऐसे क्षमतावर्द्धन कार्यक्रमो से आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पॉस में गति आयेगी। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदायों का बचाव, आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण तथा आपदा पीड़ितों को ससमय साहाय्य उपलब्ध कराने में सहूलियत हो।

6.2 समुदाय आधारित संस्थायें और पंचायत (Community based Organisations & PRIs) :

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 में सुरक्षित गाँव के घटक के अंतर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। इन्हीं कारणों से पंचायतों का आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षित एंव जागरूक होना महत्वपूर्ण है।

स्थानीय समुदाय को ही 'फर्स्ट रिस्पॉडर' के रूप में देखा जाता है इसलिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 'मास्टर ट्रेनर' के रूप में पंचायत के जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया है ताकि ये प्रशिक्षित हा कर अन्य पंचायतों में प्रशिक्षण का काम अनवरत चलाते रहेगें। इस संबंध में बि.रा.आर.प्र.प्रा. द्वारा तैयार मुख्या सरपंच एवं अन्य प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्किता को देखा जा सकता है।

6.3 पेशेवर (Professional) :

इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अभियंताओं एवं राजमिस्त्रीयों को भूकंपरोधी भवन निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षण व्यापक पैमाने पर दिया गया है। सुरक्षित स्कूल, अस्पताल सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में फोकल शिक्षका को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। नाविक तथा गोताखोरों का भी विशेष प्रशिक्षण जिलावार जारी है। साथ हीं प्रशिक्षित लोगों में से ही 'मास्टर ट्रेनर' तैयार किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण का काम सुचारू रूप से चलता रहे। प्रशिक्षुओं द्वारा समाज को इस विषय के प्रति जागरूकता बरतने संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला में कार्यरत अन्य संस्थओं (सरकारी/गैर–सरकारी) के सहयोग से प्रखंडों तथा पंचायतों में इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम कराते रहने की आव यकता बनी रहेगी।

6.4 क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण के प्रस्तावित विषय :

क्षममावर्द्धन विभिन्न स्तरों पर होने वाली एक सत्त प्रक्रिया है।

6.4.1 पंचायत स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	पंचायत स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	• मुखिया • वार्ड सदस्य • सामुदायिक संगठन	1. पंचायत स्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का चित्रण। 2. पंचायत की विकास योजना/ मनरेगा योजना एवं निर्माण के कार्यो में पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 3. खोज, बचाव, प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित प्रशिक्षण। 4. आपदारोधी भवन निर्माण एवं अगलगी की रोकथाम संबंधी मुख्य जानकारी। 5. स्थानीय आपदा एवं इसने बचने के उपाय।
02	• स्कूल/कॉलेज	1. स्कूल आपदा प्रबंधन कार्य योजना विषय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण। 2. आापदाओं से बचाव के उपाय 3. समय समय पर मॉक ड्रील के कार्यक्रम 4. सुरक्षित शनिवार एवं गुरूवार कार्यक्रम का संचालन ।
03	• आंगनबाड़ी सेविका /सहायिका • आशा कार्यकर्त्ता	1. बच्चों का कुपोषण से बचाव। 2. आपदओं के दौरान महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव। 3. आपदा के दौरान कैम्प संचालन।
4	• स्थानीय राजमिस्त्री /शटरींग मिस्त्री/ बार बांईडर/मेठ	भूकंपरोधी भवन निर्माण सत्त जागरूकता, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम

6.4.2 प्रखंड स्तरः प्रखंड स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड तथा इसके क्षेत्र में पड़ने वाले पंचायतों/गाँवों के प्रबुद्ध लोगों को प्रशिक्षण में शामिल किया जा सकता है।

प्रखंड स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	प्रखंड स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	• प्राथमिक सहकारिता साख समिति (पैक्स) • कृषि सलाहकार	1. आपदा, आपदा के प्रभाव एवं आपदा प्रबंधन के उपाय पर प्रशिक्षण। 2. जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभाव की जानकारी। 3. मौसमीय कृषि एवं वैकल्पिक कृषि कार्य। 4. फसल सुरक्षा/बीमा की जानकारी। 5. आपदा की दृष्टि से खेती की जाने वाली फसल की पहचान एवं इसके फायदे।
02	• पंचायत सचिव • विकास मित्र	1. विभिन्न समुदायो का आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण। 2. आंकड़ों का संधारण, नजरी नक्शा/जोखिम, संवेदनशीलता, एवं संभावित खतरों का आकंलन, क्षमतावर्द्धन के उपाय। 3. लेखा संधारण।
03	• ग्राम कचहरी/न्याय मित्र	आपदा प्रभावितों का अनुदान के रूप में पाप्त होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार के साथ प्रशिक्षण।
04	• स्थानीय राजमिस्त्रिों, शटरींग मिस्त्रियों, बार बांईडर आदि	भूकंप रोधी भवन निर्माण संबंधी जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण ।

6.4.3 जिला स्तर :

जिला स्तर पर क्षमतावर्द्धन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम :

क्र॰	जिला स्तर	प्रशिक्षण का विषय
01	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1. आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दायित्व एवं अधिकार। 2. इंसिडेन्ट रिस्पॉस सिस्टम। 3. आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयाम – बहु–आपदा, खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण। (HRVCA) 4. आपदा पूर्व तैयारी शमन, न्यूनीकरण, क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के विषय। 5. संचार माध्यम। 6. राज्य एवं केन्द्रस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एन.डी.आर.एफ. /एस.डी.आर.एफ., पड़ोसी जिले आदि के साथ समन्वय। 7. बोट परिचालन रूल्स, बिल्डिंग वायलॉज, फॉयर सेफ्टी रूल्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि के संबंध में। 8. समय समय पर मॉक ड्रील के कार्यक्रम 9. स्थानीय स्तर पर विभिन्न पे ोवर समुदायों का विषयवार प्रशिक्षण। 10. अभियंताओं/राजमिस्त्रियों/संवेदकों/बार बाईन्डर/शटरींग मिस्त्रियों आदि का भूकंपराधी भवन–निर्माण तकनीक एवं बिल्डिंग वायलॉज पर प्रशिक्षण। 11. विभिन्न आपदाओं के बारे में संबंधित हितधरकों का प्रशिक्षण। 12. जिला में हो रहे एवं होने वाले विकास कार्यो में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के पहलूओं को समावेश करना। 13. जिला आपदा प्रबंधन योजना

6.5. प्रशिक्षित लोगों की सूची एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल (List of Trained Persons & Training Module):

जैसा की पूर्व में वर्णन किया गया है, लगातार प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम से आपदाओं के न्यूनीकरण, रोकथाम तथा पूर्व तैयारी के प्रति समाज के विभिन्न स्तरों पर सजगता लाई जा सकती है। ऐसे प्रशिक्षित लोगों की सूची जिला के बेवसाइट के साथ साथ प्रखण्ड कार्यालय में भी आम जनो के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह दायित्व है कि प्रशिक्षित लोगों को रिस्पॉस कार्य में उपयोग करें।

■ प्रशिक्षित लोगां की सूची (List of Trained Persons) :

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रशिक्षत लोगो की सूची प्राधिकरण के बेवसाइट http://bsdma.org/Training-Workshops.aspx?id=1
- सुरक्षित नौका परिचालन हेतु जिला में प्राशिक्षिण प्राप्त 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।
- बिहार प्रशासनिक सेवा के आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सूची।
- प्रशिक्षण प्राप्त सर्वेक्षकों एवं निबंधकों की सूची।
- भूकंपरोधी निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग तकनीक पर प्रशिक्षण प्राप्त अभियंताओं, वास्तुविदों, संवेदको, राजमिस्त्रीयों की सूची।
- भूकंपरोधी मकान से संबंधित 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।
- मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों हेतु जिले का 'मास्टर ट्रेनर्स' ' की सूची।
- पशुचिकित्सा सेवा पदाधिकारियों द्वारा 'आपदा में पशुओं का प्रबंधन' विषय में प्राप्त प्रशिक्षित लोगों की सूची।

- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतगर्त प्रशिक्षित 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।

■ प्रशिक्षण मॉड्यूल (Training Module) :

- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु (हस्त पुस्तिका–1), बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– 2018
- मैनेजमेंट ऑफ एनिमल–इन–इमरजेंसी– ए भेटनरी हैन्डबुक फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – 2018
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) शिक्षकों/प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका–जनवरी 2018
- राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए सचित्र मार्गदर्शिका–नवम्बर 2017
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर (मुख्या, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका) फरवरी 2018
- सुरक्षित नौका परिचालन हेतु नाविकों एवं नाव मालिकों के लिए प्रशिक्षण मोड्यूल–2017
- नौकाओं के सर्वेक्षण निबंधन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधकों का प्रशिक्षण मॉड्यूंल ।

नोट : उपरोक्त संदर्भ में जिले में उपलब्ध प्रशिक्षित पदाधिकारियों एवं अन्यों सूची तथा विभिन्न विषयों पर तैयार की गई मॉड्यूल बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट (www.bsdma.org) के Our Activities विषय को क्लिक करने के बाद Training शीर्षक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। भविष्य में जिले में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षिण मॉडयूल का सहारा लिया जायेगा, साथ हीं प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची वेबसाईट पर डालना अपेक्षित होगा।

6.6 जागरूकता सृजन (Awareness Generation) :

जागरूकता अभियान के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न सहभागियों, समुदाय सहित को चिन्हित आपदा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुत सुलभ तरीके से संभव है। बिहार के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य बहुत व्यापक तरीके से किया गया है। जागरूकता अभियान विभिन्न आपदा के लिए तैयार आई॰ई॰सी॰ सामग्री, नुक्कड़ नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता, अखबार, होर्डिंग, पैम्पलेट, इंटरनेट, वाट्सएप, रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जोखिम यथा सड़क सुरक्षा, डूबने की घटना, अग्नि, शीतलहर, लू आदि से बचाव हेतु समय–समय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने लाईन विभाग के सहयोग से विभिन्न जागरूकता अभियान (एडवाईजरी) जारी करेगें।

विभिन्न आपदाओ के प्रति संवेदनशील जिला, प्रखंड तथा पंचायत में गठित आपात्कालीन संचालन दल की यह जवाबदेही होगी कि वे हितधारक समूह के प्रतिनिधियो तथा सहायक एजेसिंयों के नोडल पदाधिकारियों को जन–जागरूकता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित तथा प्रशिक्षत करें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षात्मक उपाय बचाव एवं राहत से संबंधित सुझाव–सलाह चक्र चलित (Circulate) किये गये है।

= = = = = =

अध्याय : 7
प्रत्युत्तर योजना
RESPONSE PLAN

आपदा की भुरूआत होने पर इससे निपटने के लिए एक प्रभावी प्रत्युतर योजना का उपलब्ध रहना अत्यंत हितकारी तथा श्रेयस्कर होगा। इस प्रत्युत्तर योजना में ठोस प्रत्युत्तर के संभावित उपाय, क्रियाविधि, सहायक उपस्करो, प्रशिक्षित कर्मियों तथा समन्वित प्रयासो का जो वास्तविकता के धरातल पर सफलता प्रदान करने वाले हो, स्पश्ट उल्लेख रहना अत्यंत आव यक है। प्रत्यत्तरदाता संगठन के दायित्व तथा भूमिका का भी इस योजना में स्पश्ट उल्लेख रहना अत्यंत आव यक हैं। प्रत्यत्तरदाता संगठन के दायित्व तथा भूमिका का भी इस योजना में स्पश्ट उल्लेख किया गया है। आपदा के पूर्व सूचना तथा इसकी व्रीवता तथा विस्तार का अनुमान होते ही मोचन तंत्र स्वतः स्फूर्त कार्रवाई प्रारंभ करे एवं पूर्व निर्धारित भूमि का अदा करने में प्रवृत हो जाय, यह सुनि चत करना भी उतना ही जरूरी है। आपदा मोचन योजना में जिले में जिन आपदाओं की आशंका प्रबंल हो उन सभी आपदाओं के लिए आपदावार सभी आव यक गतिविधियों तथा उनके प्रारंभर करने, जारी रखने तथा पुनर्वापसी के समय का निर्धारण भी किया गया है ताकि कोई चूक न हो जाये।

आपदाऐं, विकास में बाधा डालती है। आपदाओं के प्रबंधन में कार्य करने के लिए प्रशासनिक ढांचे, नागरिक समाज एवं इसके विविध संस्थानों की आवश्यकता होती है। आपदा प्रबंधन में शामिल होने वाले क्रियाकलाप आपदा की प्रकृति एवं प्रकार पर भी निर्भर होते हैं। यह देखा गया है कि आपदाओं के समय में, संसाधनों की कमी के अलावा, विविध एजेंसियों के बीच समन्वयन की कमी होती है तथा विविध हितधारकों के बीच भूमिकाओं की स्पष्टता के अभाव में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि कार्रवाई सुनियोजित हो साथ ही हितधारक प्रशिक्षित हों, तो कार्रवाई सहज एवं प्रभावी होगी।

उपरोक्त के संबंध में राश्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकरा द्वारा Incident Response System (IRS) विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य विविध कार्यभारों (डयूटियों) को पूरा करने के लिए अधिकारियों को पूर्व–पदनामित करना तथा साथ ही साथ उनको उनकी संबंधित भूमिकाओं में प्रशिक्षित करना है।

यह वास्तविक घटना प्रबंधन के दौरान अव्यवस्था तथा संभ्रम/व्याकुलता को कम करने में मदद करता है। यह प्रणाली परिकल्पना करती है कि भूमिकाओं एवं कार्यों को पहले से ही निर्धारित किया जाएगा, कार्मिकों को चिन्हित किया जाएगा तथा उन्हें उनकी संबंधित भूमिकाओं एवं कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रणाली की कई लाभप्रद विशेषताएं हैं जैसे

- कमांड की एकता एवं श्रृंखला,
- संगठनात्मक लचीलापन,
- व्यक्तिगत उत्तरदायित्व / जवाबदेही,
- एकीकृत संचार,
- योजना एवं व्यापक संसाधन संग्रहण, परिनियोजन एवं असंग्रहण,
- सूचना प्रबंधन,
- गतिविधियों का समुचित प्रलेखन,
- मीडिया प्रबंधन एवं
- एजेंसी समन्वयन।

जिला स्तर पर Incident Response System (IRS) के अनुरूप कार्य हेतु Framework

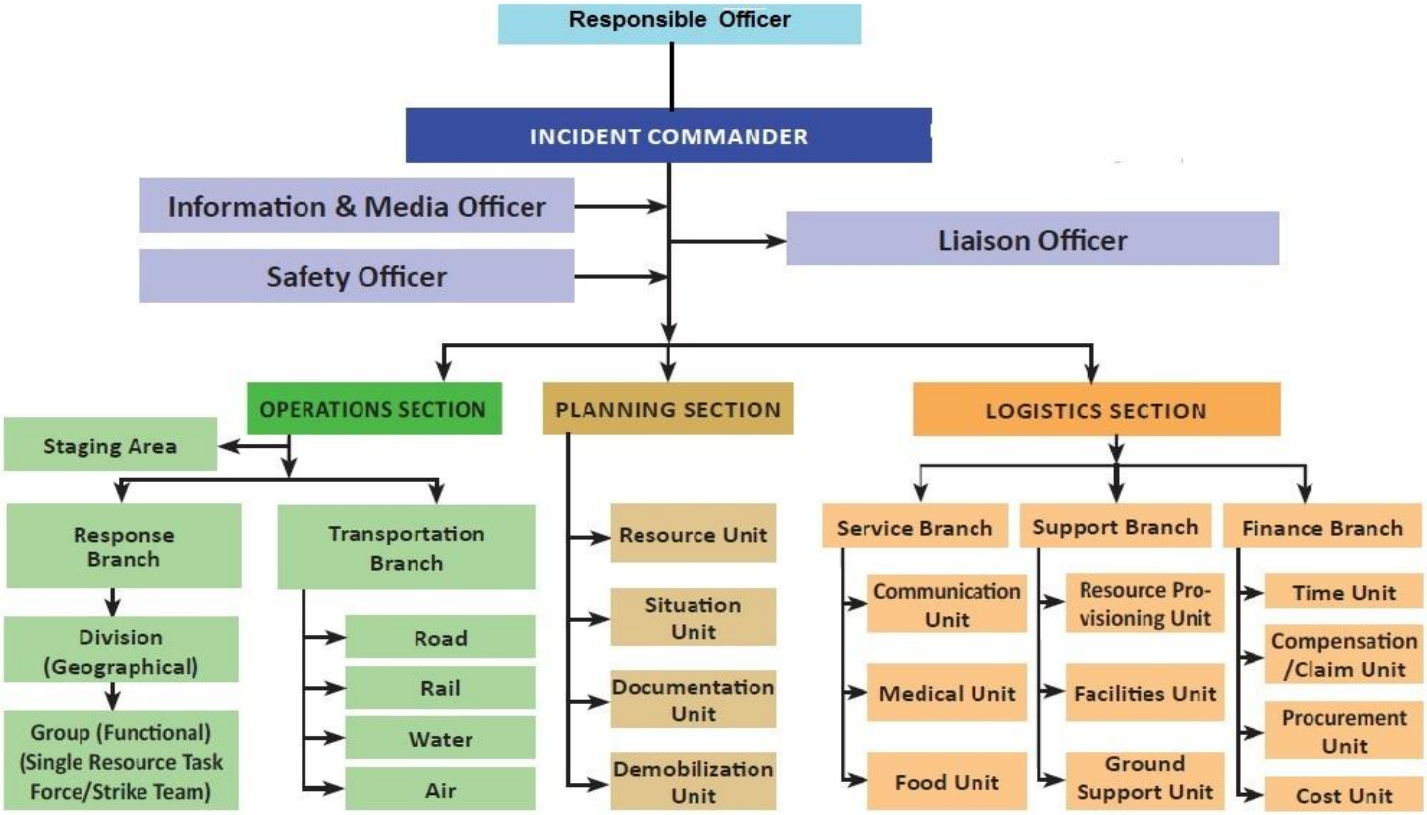

7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया – आपदा कार्यो के संचालन की जबावदेही जिले के जिलाधिकारी को दी गई है। जिलाधिकारी हीं Incident Commander के रूप म कार्यरत होते है। हादसे से जुड़ी कोई भी गतिविधि वगैर जिलाधिकारी के पूर्वानुमति के आरम्भ नहीं किया जा सकता तथा समापन के उपरान्त मानव बल एवं सामग्री की सलामती की सूचना जिलाधिकारी अर्थात Incident Commander को देकर ही हादसा क्षेत्र से बाहर जाना होता है।

Incident Commander

आवश्यकता के अनुरूप, यदि जिलाधिकारी जरूरी समझे तो, उनके द्वारा किसी वरीय समाहर्त्ता को Incident Commander नियुक्त किया जा सकता है। यदि जिले में आपदा कई जगह हा गयी है तो जिलाधिकारी जिले की गंभीरतम तथा सबसे ज्यादा क्षति वाले हादसा स्थल के कमान अधिकारी होग, जबकि अन्य वरीय समाहर्त्ता को दूसरे हादसा स्थल का कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

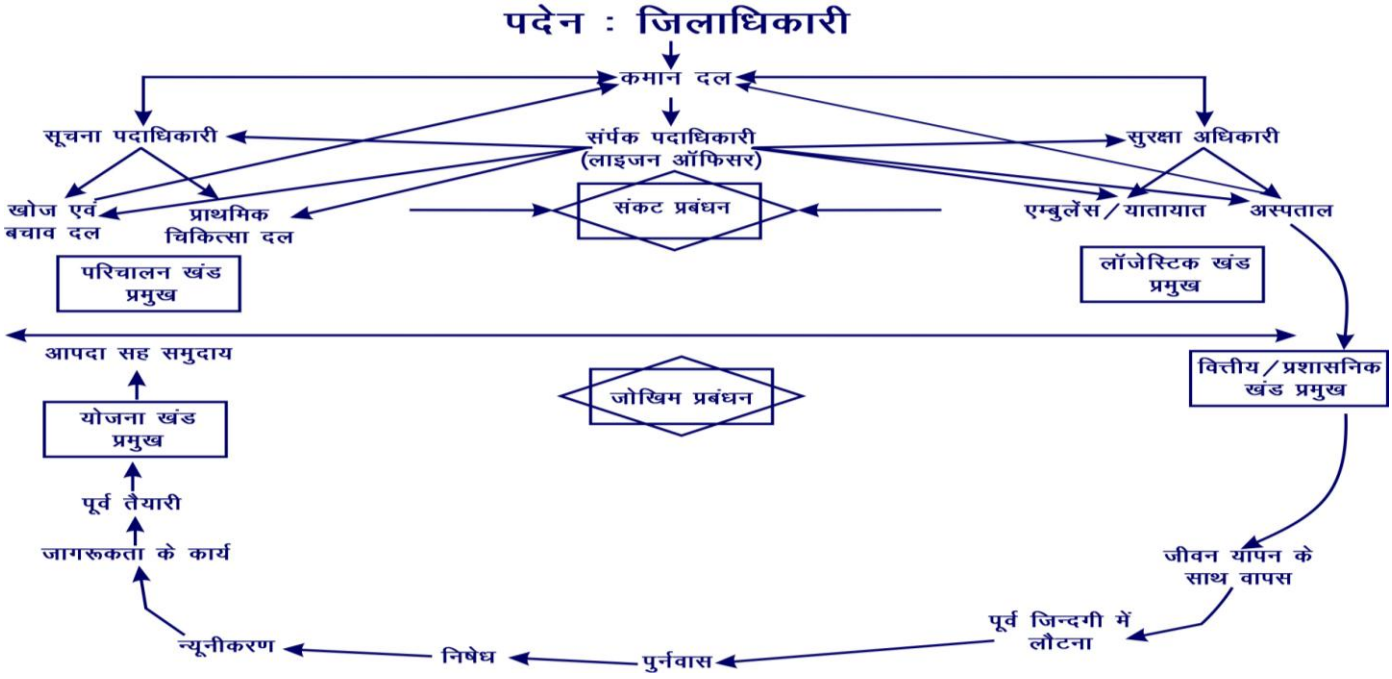

ज्यों ही Incident Commander के रूप में जिलाधिकारी या प्रतिनियुक्त वरीय समाहर्त्ता काम करने लगेगें, त्योंही सभी लाईन डिपार्टमेंट तथा गठित नोडल एजेन्सी सीधे Incident Commander के निर्देश में काम करने लगेगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हादसा हो जाने की स्थिति में हादसा कमांडर द्वारा क्षेत्राधीन किसी भी संसाधन को आपदा से निपटने में लगाया/आदेशित/प्रतिनियोजित किया जा सकता है। **(आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 द्रष्टव्य)**

Incident Commander द्वारा अपने अधीन कई गतिविधियों के लिए पदाधिकारी या प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जा सकत है। प्रत्युत्तर के लिए कई प्रकार के दल तैयार किये जाते है उन्हें यथास्थान प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। ये दल हादसा स्थल पर अपनी पहुँच की सूचना देते हैं, किये गये कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की सूचना देते है और कार्य समापन के बाद सही सलामती एवं कार्य समापन की सूचना देने के उपरांत कमांड अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही हादसा स्थल को छोड़ते है।

विभिन्न सहायक प्रभागों के अंतर्गत काय संचालन प्रभाग (उपप्रभाग– खोज एवं बचाव, प्राथमिक सहायता), उपस्कर एवं रसद प्रभाग (एम्बुलेंस एवं अस्पताल सेवा, राहत आदि), योजना प्रभाग एवं वित्त सह प्रशासनिक प्रभाग होंगे। ये प्रभाग स्वतः काम पर लग जाएगे। इन प्रभागों के प्रभारी अधिकारी को मात्र Incident Commander ही नियुक्त कर सकता है। ये सभी प्रभाग त्वरित गति से काम करने लग जाएगे।

सहायक प्रभाग/उपप्रभाग के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अपर जिला समाहर्त्ता, जिलास्तरीय लाईन डिपाटमेंट के प्रभारी अधिकारी, जिले के वरीय अधिकारी या समकक्ष पदधारक पदाधिकारी के बीच से करेगें। इनकी नियुक्ति के समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अनुमण्डल या प्रखण्ड के सर्वोच्च पदाधिकारियों को इनपदों पर नियुक्त नहीं किया जाए क्योंकि ये ही अपने–अपने स्तर के Incident Commander होते है।

प्रत्येक स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र एक आपातकाल प्रबंधन दल से युक्त होगा ताकि जोखिम न्यूनीकरण के रणनीतियों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई वे कर सके।

7.1.1 Incident Commander का दायित्व :

- आपदा के दौरान अबाधित संचार प्रणाली एवं संचार प्रवाह को बनाये रखना तथा उसके एकीकरण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित रखना,
- आपदा के सम्पूर्ण परिदृश्य को सामने रखते हुए, इसका पूर्ण प्रबंधन करना, सहयोगी एवं सहभागी इकाईयों के एकीकृत एवं समन्वित योजना का नियंत्रण करना एवं प्रतिवेदन की तैयारी,
- विभिन्न हितधारक विभागों/एजेन्सियों को वो चाहे जिला, राज्य या केन्द्र स्तर के ही क्या न हो निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मानक प्रक्रिया के अन्तर्गत उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कार्यों का निष्पादन सुविधानुरूप कर पाए,
- आपदाओं के दौरान सूचना तंत्र जिसके अन्तर्गत सूचनाओं का आदान–प्रदान शामिल है को इस प्रकार दुरूस्त और नियमित रखना ताकि सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके उन्हें रिकार्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके तथा इसके आधार पर स्वीकृति पत्र दिया जा सके,
- आपदा के दौरान खोज एवं बचाव दल को बुलाते हुए उनसे उनके प्रतिनियुक्ति एवं कार्य प्रगति पर सूचना प्राप्त करना,
- राहत शिविर एवं आश्रय स्थल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखना तथा समयानुसार दिशानिर्देश जारी करना,
- आपातकाल के दौरान समुदाय के प्रभावित लोगो के बीच उपलब्ध राहत सामग्रियों के वितरण हेतु प्रबंधन इस प्रकार करना ताकि जरूरत मन्दो तक यह सामग्री पहुँच जाए,
- आपदा के दारान सभी प्रकार के सम्पादित कार्यों का अनुश्रवण करना तथा आपदा के उपरांत भी सम्पन्न हुए कार्यों का अनुश्रवण करना तथा इसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार रखना,
- Incident Response Commander को स्थिति का जायजा लेने हेतु, आपदा प्रभावित क्षेत्र का आकलन करना/स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना,

- प्रभावित क्षेत्र में जोखिम का भी पूर्वानुमान करना तथा प्रभावित होने वाले समुदाय को सूचित करना/संदेश देना,
- आपदाओं के वक्त समुदाय के लिए किए जाने वाली आवश्यक कार्यों की सूचो बनाना ताकि आपदाओं का शमन पुरी तरह किया जा सके,
- आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु पर्याप्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आदेश देना तथा उपरोक्त सूचो संबंधी सूचना उपयुक्त एजेन्सी/व्यक्तियों को देना ताकि प्रत्युत्तर कारवाई किया जा सके,
- तात्कालिक कार्ययोजना का निर्धारण कर आवश्यक तंत्रों को समुचित निर्देश देना,
- एक प्रारम्भिक तात्कालिक कोर कमिटी बनाना,
- आपदा शमन हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन प्रत्युत्तर योजनाओं का निर्धारण हुआ वह किस सीमा तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा की समीक्षा, सुधार, बदलाव तथा आवश्यकतानुसार इसे जिले की कार्ययोजना में शामिल करना, एवं
- प्रत्युत्तर के कार्य समापन के उपरांत सभी संलग्न एजेन्सियों से कार्य समाप्ति एवं सलामती का संदेश प्राप्त कर कार्य समापन की अनुमति को स्वीकृति प्रदान करना।

7.1.2 जिला में हितधारकोंएवं उनकी कार्ययोजना : हितधारकों को उनके कार्य के अनुसार तीन श्रेणीयों में रखा जा सकता है – सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन।

1. **सरकारी लाईन डिपार्टमेंट:** जिले के लिए निर्धारित सरकारी लाईन डिपार्टमेंट की इकाई जिले में है। जिले में कई योजनाएँ चलायी जाती है। ये योजनाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की होती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत बनायी गयी पुस्तिकाओं में सभी सरकारी हितधारकों की कार्ययोजनाओं तथा दायित्वों को दर्शाया गया है, ये सरकारी हितधारक/सभी विभाग जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी बनाए गए है।

2. **समुदाय आधारित समूह :** समुदाय का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टोलों या गाँव में बसे लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मुहल्लों में बसे लोगों से होता है। सामुदायिक समूह इस प्रकार ग्राम पंचायत क प्रति जबावदेह होते है जो सीधे जनता के प्रति जबावदेह होते ह। चुँकि, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति से होती हुई जिला परिषद से जुड़ी होती है जो त्रिस्तरीय एकीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित भाहरी निकायों के प्रतिनिधि आपदा की रोकथाम के विभिन्न चरणों में सहयोगी हो सकते है।

3. **स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन :** विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी हितधारक/स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन, जिले के लोगो के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन में उत्थान के लिए लगी हुई है। यह एजेन्सियाँ ग्राम पंचायत से लेकर समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों यथा शहरी/ग्रामीण, विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के हितों के प्रति सचेष्ट रह कर क्रियाशील होती है। ऐसे कई ग्रुप, जो इस जिले में कार्यरत तो हैं, किन्तु अपने इण्टर समूह ग्रुप से एकीकृत नहीं है तथा सीधे जिले के सम्पर्क में है।

4. व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व निर्माण में उपर वर्णित हितधारक अहम भूमिका निभाते है। उनके जीवन की गुणवता, उनकी गरिमाए उनका समाजीकरण, राजनीतिकरण, आर्थिक विकास में काफी बदलाव आ जाता है। चुंकि सामाजिक आर्थिक घटकों को इसके अन्दर शामिल करने के फलस्वरूप संवेदनशीलता में कमी आती है, इस कारण भी सारे के सारे हितधारक का जुड़ाव जोखिम न्यूनीकरण से स्वतः हो जाता है।

   आपदा से निपटने वाले लोगों का ऐसे समूहों से जुड़ाव होता है। जुड़ाव इस कारण हो जाता है क्योंकि ऐसे हितधारक समूह लागों की क्षमता वृद्धि में ऐसे लोगों का प्रयोग करते है, अतः वे इनके सम्पर्क में होते है। इनसे आपदा प्रत्युत्तर में भी मदद ली जा सकती है।

   ये हितधारक एजेन्सियाँ, आपदा प्रत्युत्तर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुर्नस्थापन का प्रयास करती है। अतः उनके कार्यो की भी व्याख्या यहाँ की जाती है। हितधारक एजेन्सियों के लिए दिशा निर्देशिका है। यदि

ये हितधारक चाहे तो इससे आगे जाकर भी काम कर सकते है, वहीं और वृहद विकास की योजनाएँ तैयार कर सकते है। वे चाहे तो तत्काल मौजूद आपदा प्रबंधन योजना अपनी जरूरत को ध्यान में रख कर बना सकते है। हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि उनके लिए निर्धारित आदेश के आलोक में वे अपनी कार्ययोजना बनाए तथा इसे समुदाय हित में लागू की जाए। जिला आपदा प्रबंधन मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होना चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इस लिए आवश्यक है क्योंकि समय अंतराल में नये हितधारक जिले में आते रहते है।

7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य :

आपदा कि स्थितियों से निपटने के लिये किसी भी आपदा में किए जाने वाले सामान्य कार्य निम्नवत् हो सकते है :–

- पूर्व चेतावनी मिलने पर/आपदा प्रभावित समुदाय से प्राप्त सूचना मिलने पर की स्थिति में जिला के इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा आपदा की तीव्रता का आकलन किया जायेगा। यदि स्थिति असामान्य है तो इससे विभिन्न विभागों एवं सामान्य लोगों को अवगत कराया जायेगा।

(ख) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा प्रत्युत्तर कार्य हेतु आपदा संचालन मानक प्रक्रिया सक्रिय कर नियमित रूप से 24 घंटे कार्य करने वाले आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय किया जायेगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में कार्य करने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

(ग) आपातकालीन संचालन केन्द्र, आपदा से संबंधित उसकी गंभीरता, स्थान, परिभाग आदि के संबंध में सूचना प्रसारित करेगा तथा संबंधित विभागों को इसकी जानकारी देगा। संबंधित विभाग का भी यह दायित्व होगा कि वह इस आशय की सूचना अपने स्वयं से प्रयास कर आपातकालीन संचालन केन्द्र से प्राप्त कर लें।

(घ) यदि ऐसा प्रतीत हो कि आपदा की स्थिति अत्यधिक गंभीर है तो इससे संबंधित जानकारी प्रतिदिन दो बार से ज्यादा भी ली जा सकती है।

(ङ) यदि आपदा का संबंध पड़ोसी जिले/राज्य से है तो वहाँ से इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सम्पुष्ट कर लिया जायेगा।

(च) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति (डी॰डी॰एम॰सी॰), आपातकालीन सेवा कार्य (इ॰एस॰एफ॰) में लगी टीम के प्रतिनिधि, आपातकालीन परिचालन केन्द्र (इ॰ओ॰सी॰) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर स्थिति की गंभीरता की समीक्षा, अद्यतन स्थिति तथा आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।

(छ) आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में इंसिडेन्ट कमाण्ड दल और संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने के लिए सचेत कर दिया जायेगा।

(ज) प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन दल आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में पूर्व सूचना, सलाह तथा चेतावनी का प्रचार–प्रसार करेंगे ताकि समुदाय मानसिक तौर पर तैयार हो सके।

(ट) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा खतरे की गंभीरता की समीक्षा करते हुए तत्काल आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ई॰ओ॰सी॰), आपदा प्रबंधन दल, प्रथम प्रत्युत्तर दल तथा आपातकालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय कर दिया जायेगा।

(ठ) सभी प्रकार की आपदाओं में आपदा विशेष से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप राहत, खोज एवं बचाव कार्य, Slow Onset तथा Fast Onset दोनों प्रकार की आपदाओं में प्रारंभ किया जायेगा।

(ड) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा सूचना प्राप्त कर संतुष्ट हो लेने के बाद आपदा के तत्काल प्रत्युत्तर हेतु सक्षम एजेन्सियों/विभागों को सक्रिय किया जायेगा। इसके अन्तर्गत –

- अपातकालीन संचालन केन्द्र, आपदा प्रबंधन दल, त्वरित रिस्पॉस दल (क्यू॰आर॰टी॰) को तुरंत सक्रिय करना। समुदाय स्तर के त्वरित रिस्पॉस दल और आपदा प्रबंधन दल को तुरंत ही सक्रिय कर डालना। ग्राम पंचायत को सक्रिय करना।

- अपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष एवं प्रभारी के दूरभाष की संख्या बताते हुए स्थानीय आपदा संबंधी सूचनाओं का संवाद शुरू करना ताकि प्रत्युत्तर बेहतर हो सके।
- अपातकालीन संचालन केन्द्र से सूचनाओं की जानकारी एवं निर्देश प्राप्त करना तथा इस क्रम में आपदा प्रबंधन टीम से भी समन्वय एवं संवाद बनाए रखना।
- सूचनाओं का प्रवाह नीचे से उपर तक के पदाधिकारियों तक बनाए रखना।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अपातकालीन संचालन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं की प्राप्ति के बाद विश्लेषण करना तथा तय करना कि आपदा, ग्राम, प्रखण्ड, अनुमंडल या जिला स्तर का है। इससे आपदा की गंभीरता का आकलन हो पाएगा।

(ढ) आपदा की गंभीरता एवं स्तर के निर्धारण के उपरांत :

- यदि आपदा प्रखण्ड स्तरीय हो तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आपदा प्रत्युत्तर के लिए उत्तरदायी होंगे तथा त्वरित प्रत्युत्तर दल (क्यू॰आर॰टी॰), आपदा प्रबंधन दल (डी॰एम॰टी॰), आपातकालिक समर्थक कार्य (ई॰एस॰एफ॰) और प्रथम प्रत्युत्तर दल (एफ॰आर॰टी॰) आदि के सहयोग से प्रत्युत्तर का कार्य करेंगे।
- प्रभावित अंचल के अंचलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अपातकालीन संचालन केन्द्र के नियमित सम्पर्क में रहेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए प्रत्युत्तर के कार्य करेंगे।
- यदि आपदा की प्रभावकता जिला स्तर की होगी तो :– जिला के वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन प्रभारी को आपदा प्रत्युत्तर के समन्वय की जबाबदेही होगी। प्रभारी दण्डाधिकारी, अपातकालीन संचालन केन्द्र, जिला आपदा दल, क्यू॰आर॰टी॰, एफ॰आर॰टी॰, कार्य प्रत्युत्तर दल, ई॰एस॰एफ॰ आदि को समन्वित कर कार्य करेंगे।

(ण) इस मौके पर एक संयुक्त समन्वय बैठक बुलाना जिसमें जिला इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्य (यदि हो तो) तथा अनिवार्य सेवा कार्य दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक आपदा प्रभावित इलाके में हो तो ज्यादा बेहतर होगा । इसमें जिले में कार्यरत इंटर एजेन्सी ग्रुप के लोग भी शामिल किए जायेगें ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। आवश्यकता पड़ने पर प्रान्तीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से आवश्यक संसाधन प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जायेगा।

(त) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के बाहर के एजेन्सियों से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा बाहर से वैसी ही राहत सामाग्रियां प्राप्त की जायगीं जिनकी जरूरत महसूस हो। इन सामग्रियों का आवश्यकतानुरूप विवरण तैयार कर योजनाबद्ध वितरण एवं आपूर्त्ति की जायेगी।

(थ) सभी आपदा सहायतार्थ इच्छुक एजेंसियां उस जिले के आपदा से संबंधित जरूरत की चीजों की जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त करेंगी तथा उसी अनुरूप सहायतार्थ सामान इस कार्य हेतु चिह्नित पदाधिकारी को सौपेगी।

7.3 प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण :

इस बात की नियमित निगरानी करना कि समाज के दुर्बलतम समूह तक सहयोगी संस्थाओं की नजर जरूर हो तथा वे राहत सहायता से वंचित न रह जाए। यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर कार्य सही दिशा में चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इंटर एजेन्सी समूह तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मिलान एवं विश्लेषण कर इसका अभिलेख तैयार करेगा ताकि भविष्य में इसमें हुई खामियाँ को दूर किया जा सके।

- कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समय पालन तथा संसाधन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।
- हितधारी समूह, प्रभावित लोगों, प्रखण्ड अधिकारी, डी॰एम॰टी॰ आदि से सम्पर्क एवं परामर्श कर आपदा से संबंधित प्रत्युत्तर कार्य को बदलती हुई आपदा परिस्थिति के अनुरूप समन्वय करना।
- प्रभावित समुदाय में किए गए कार्यों के दौरान अनुभवों को संग्रहित करना तथा उन्हें संयुक्त आकलन प्रपत्र में अंकित करना।
- अनुश्रवण से प्राप्त प्रतिवेदन, अनुश्रवण के परिणाम, मूल्यांकन आदि के संबंध में सभी जानकारियाँ, सभी हितधारकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट पर भी डाला जाना चाहिए ताकि परिणाम सार्थक हो।

○ 7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System) :–

आपदा का प्रकार	उत्तरदायी विभाग/एजेसी	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
भूकंप, बाढ़, **सुखाड़, अग्नि,** **चक्रवात,** **भीड़– भगदड़,** **आँधी, ओलावृष्टि,** **सड़क, रेल, नाव** **दुर्घटना**	• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण • जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/ राज्य आपातकालीन केन्द्र • जिला पदाधिकारी के समन्वय से संबंधित विभाग। • दूरसंचार निगम, • आकाशवाणी, • दूरदर्शन, • पुलिस बेतार, हैम रेडियो, तथा एच. एफ./भी.एच.एफ. • मोबाईल सेवा प्रदाता/दूरभाष	○ आपदा की पूर्व सूचना का संज्ञान लेना तथा चेतावनी प्रसारित करना। ○ संचार सुविधा की स्थापना तथा प्रबंधन । ○ अस्थाई संचार की आवश्यकता के साथ समन्वय। ○ मौसम विभाग से संपर्क। • बाढ़ आने की सूचना आम जन तक पहुचाना। • तटबंधों के टूटने की सूचना राज्य सरकार को देना। • क्षतिग्रस्त संपर्क पथो को यथासंभव यथाशीघ्र चलायमान बनाने का कार्य। • बाढ़ के कारण ठप पड़ी विद्युत एंव दूरसंचार व्यवस्था का पुनर्स्थापन । • वर्ग एवं समूह चिह्नित करना जिनके माध्यमों से चेतावनी पहुँचाना है।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र (आपदा घटित होने या टल जाने तक)।
अग्नि	• अग्निसेवा • पुलिस • पंचायत	• अग्निकांड में बचाव में लगे लोग तथा अन्य को जानकारी हासिल कराना तथा पूर्व की तैयारी हेतु बुनियादी काम हेतु प्रयत्न करना।	
सूखा	• आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग	• मौनसून तथा मौसम संबंधी जानकारी।	

7.3.2 कार्यो का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	प्राकृतिक एवं मानव जनित	○ आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय करना (24X7 कार्य करने वाले)। ○ जिला आपदा प्रबंधन समिति आपातकालीन सेवा कार्य तथा आपात कालीन संचालन केन्द्र के अधिकारियों/ नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा की गंभीरता की समीक्षोपरान्त आवश्यक दिशा निर्देश देना । ○ आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया की सक्रिय करना। ○ नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्ति से प्रत्युत्तर कार्य जारी रहने तक।
• अचलाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी। • जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर आपदा प्रबंधन विभाग। • जिलाधिकारी के अधियाचना तथा आपदा प्रबंधन विभाग/गृह विभाग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा। • राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति।	**बाढ़/भूकम्प**	○ स्थिति की गंभीरता का आकलन। ○ क्षति का प्रारंभिक आकलन। ○ राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग। ○ सेना की माँग। ○ हवाई सर्वेक्षण, राहत कार्य व्यवस्था, खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण हेतु ○ मिडिया में प्रकाशित खबरों का सघन अनुश्रवण तथा सत्यापन के उपरांत कार्रवाई। ○ राहत एवं बचाव कार्यो का जिला/प्रखंड/नगर/पंचायत स्तरीय राहत अनुश्रवण सह निगरानी।	
• जिलाधिकारी । • पुलिस ।	**अग्नि**	• भीशण अग्निकांड की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं पहुँचकर सहाय्य कार्य को निदेशित करना। ○ कंट्रोल रूम को चालू रखना। ○ अग्नि स्थल को घेरकर रखना तथा जाम एवं भीड़ं को दूर रखना। ○ डिवाईडर वाली सड़कों पर, एक हिस्से से अप एवं डाउन गाड़ी को अवाधित रखना तथा दूसरे हिस्से से एम्बुलेंस एवं अधिकारियों के गाड़ी को तेज गति बनाये रखने की सुविधा देना।	
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला टास्क फोर्स • आपदा प्रबंधन विभाग	**सूखा**	○ अनुश्रवण। ○ सूखा राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र।	

• 7.3.3 खोज, बचाव, राहत कार्य (Search & Rescue Operation) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
• जिला प्रशासन, • अंचलाधिकारी, • अग्निशमन दल, • नागरिक सुरक्षा समिति, • पुलिस, • होमगार्ड • राज्य आपदा मोचन दल, • राष्ट्रीय आपदा मोचन दल, • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, • स्वयंसेवी संगठन • रेड क्रॉस सोसाइटी • एन.जी.ओ. • एवं अन्य हितधारक	भूकंप, बाढ़, अग्नि, डुबने की घटना, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़, व्रजपात आदि	○ खोज एवं निष्क्रमण(Evacuation) करने की पूर्व योजनानुसार सभी उपकरणों के साथ निष्क्रमण दल (Evacuation Team) की आपदा प्रभावित स्थल की ओर रवाना करना। ○ खतरों के बीच घिर गये व्यक्ति, समुदाय संपत्ति को खतरे के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करना। बच्चों, बुढ़ों, महिलाओं, दिव्यागों को प्राथमिकता प्रदान करना। ○ सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुँचाना। ○ प्रभावितों के लिए भोजन, पानी, दवा इत्यादि पहुँचाने की व्यवस्था करना। ○ अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना। ○ राहत शिविरों में रहने, खाने, पीने का पानी तथा अन्य जीवन रक्षक सुविधा मुहैया कराना।	आपदा घटित होने के तुंरत बाद से आपदा की समाप्ति / सामान्य स्थिति बहाल होने तक।
		• बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव का नियोजन, नाव परिचालन पर नियंत्रण (बाढ़ आपदा के दौरान नाव–नाविकों को नियाजित करने संबंधी दिशा निर्देश (देखें परिवहन विभाग का वेबसाईट) ○ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से आबादी का निष्क्रमण राहत शिविरो तक स्थानान्तरण। ○ बाढ़ पीड़ितों के बीच मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान के साथ आवश्यकतानुसार सूखा राशन, पोलीथीन शीट का वितरण। ○ राहत शिविरों में अस्थाई शौचालय तथा शुद्ध पेयजल का प्रबंध। ○ तटबंधों के रिसाव या टूट से प्रभावित होने वाली आबादी का तुरंत निष्क्रमण तथा सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण।	
		• राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न होना। • मृतक एवं घायल को अनुदान प्रदान करना। • अग्निकांड स्थल पर पहुँचना, राहत एवं बचाव कार्य। • सहायता केन्द्र स्थापित करना। • क्षतिग्रस्त संपत्ति की सूची बनाना। • अग्निशमन दल तथा उससे संबंधित लोग एवं पदाधिकारी का भीघ्र पहुँचना।	

• कृषि विभाग • आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • वित्त विभाग/कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग • समाज कल्याण विभाग • शिक्षा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग • ग्रामीण विकास विभाग • आपदा प्रबंधन विभाग	**सूखा**	○ आकस्मिक फसल योजना का युद्धस्तर पर क्रियान्वयन। ○ फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण। ○ फसल बीमा से आच्छादित फसला के लिए बीमा लाभ भुगतान। ○ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण। ○ बैंक ऋणों का पुनर्निधारण। ○ पशु संसाधन की देखभाल ○ सामाजिक सुरक्षा ○ मध्याहन भोजन की व्यवस्था ○ रोजगार सृजन। ○ मुफ्त साहाय्य।	

• 7.3.4 शव एवं मलवा निपटान (Disposial of Dead Bodies & Debris) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
• जिला पुलिस • जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी।	• शवों का फोटो रखना। • मृत व्यक्तियों की पहचान कर संबंधियों को सौपना। पहचान न होने पर जिम्मेदार कर्मी के देखरेख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करते हुए शव का निपटान। • आपदा के कारण मृत पशुओं के शवो का निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निपटान।	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।
• नगर निकाय • ग्राम पंचायत • पुलिस प्रशासन • रेड क्रॉस सोसाईटी • स्वयंसेवी संगठन • जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी	○ आपदा से क्षतिग्रस्त मकान सड़क पुल–पुलिया, जमा ठोस तरल अपशिष्ट का निपटान।	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।

★ क्षति आकलन बिहार सरकार के निर्धारित मानक प्रारूप प्रपत्रों मे हो तथा प्रभावित प्रखंड, पंचायत, गाँव, जनसंख्या , जनहानि, पशुहानि तथा सरंचनात्मक ढांचे के साथ फसल बाग बगीचे की हानियों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

★ पीड़ितो को राहत केन्द्र में रहते वक्त यह सुनिश्चित करना कि एक दण्डाधिकारी की नियुक्ति हो जो स्थिति पर तीक्ष्ण दृष्टि रखे और आवश्यक निर्देश दे ताकि सुचारू कानून व्यवस्था बनी रहे।

अध्याय : 8

पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति

RECONSTRUCTION, REHABILITATION & RECOVERY

आपदायें विध्वंशकारी होती हैं, जिसमें बुनियादी संरचनाएँ नष्ट हो जाती हैं और उससे काम काज में बाधा उत्पन्न होती है। इस घटना में मनुष्यों और पशुओं का भी क्षति होता है। आपदा के टलने के पश्चात् उसकी विभिषिका के अनुसार बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि उपरोक्त कार्य को सम्पन्न करने के लिये क्षति आकलन के तरीके क्या होगें तथा आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में किस प्रकार पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन किया जायेगा।

भीषण आपदाओं के दौरान संरचनाओ में व्यापक क्षति होने के कारण अत्यंत संवेदनशील संरचनाये यथा बिजली, सड़क संपर्क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार इत्यादि ठप हो जाती है। जीवन–यापन को सामान्य बनाने हेतु पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यो को पूरा करने की कार्रवाई प्रारंभ कर इसे पूरा करने में अच्छा खासा संसाधन एवं समय लगता है।

***यूएनआईएसडीआर* द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्नवत है :–**

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction)** : आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त जीवन प्रदायी संवेदनशील अंतः संरचना सेवा, मकान, जन सुविधा तथा जीविका के साधन जो आपदाग्रस्त किसी समुदाय या समाज के पूर्ववत् क्रियाशील बनाये रखने के लिए आवश्यक हो, की जगह एक मजबूत (Resillient) संरचना का मध्यकालीन या दीर्घकालोन पुनर्निर्माण जो 'टिकाउ विकास' (Sustainable Development) तथा 'पूर्व से बेहतर निर्माण' (Build-Back-Better) की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जो भविष्य में आपदा जोखिम न रहे। उसे हम पुनर्निर्माण कहेंगे।
- **पुनर्स्थापन (Rehabilitation)** : किसी समुदाय अथवा समाज के सामान्य क्रियाकलापो के लिए उपलब्ध प्राथमिक जन सुविधा, सेवा जो आपदा से ध्वस्त हो गई हो का त्वरित पुनर्निर्माण को पुनर्स्थापन कहा जायेगा।
- **पुनर्प्राप्ति (Recovery)** : आपदा पीड़ित किसी समुदाय या समाज के जीविकोपार्जन के साधन एवं सवास्थ्य और आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण से जुड़े संपत्तियों व्यवस्थाओं की स्थिति में सुधार अथवा पुनर्स्थापन जो "पूर्व से बेहतर निर्माण" एवं टिकाउ विकास की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जिसे भविष्य में आपदा जोखिम की श्रेणी से बाहर हो, को पुनर्प्राप्ति कहेंगे।

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction)** : चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसलिए यह उचित होगा कि तात्कालीन तथा मध्यकालीन/दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाया जाय। तात्कालीन क्रिया–कलाप में संबंधित दल सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगा। साथ हीं संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर पालिका के माध्यम से आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेगें। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढ़ांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा।

  इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करना, शिक्षण कार्य को बहाल करना, जल एवं स्वच्छता की इकाइयों का निर्माण तथा बिजली की अबाधगति को बहाल करना मुख्य कार्य होगा।

- **पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति (Recovery through Rehabilitation)** : आपदा पश्चात् यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उने रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसम प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसा से उबरने में सफल हो सके।

8.1 क्षति आकलन (Damage Assessment) : आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3601 दिनांक–30.09.2014 के अनुसार "प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्णय जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच शक्ति का प्रत्योजन (Power Delegate) कर सकते है। *खंड–2 में अनुलग्नक–32* पर द्रष्टव्य है।

आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतसंरचना, संपत्ति तथा पर्यावरण की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एंव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) स्थिति का आकलन

(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आघात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है। इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरभाई टिकाउ विकास कार्यो द्वारा की जानी चाहिये।

- आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख है –
- मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्ति का विनाश
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओ की क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण को क्षति
- मनो–सामाजिक संघात

संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी –

क्र.सं.	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	मानव क्षति	• मृतको के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियो को सौंपना। • अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान। • लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम क्रिया।	समुदाय, मुखिय, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी अंचल पदाधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	• घायलो को राहत शिविर स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना। • घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा।	पुलिस, चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
3	आधारभूत संरचना	• आपदा के उपरांत सरकारी भवनो में हुई क्षति की मापी भवन निर्माण प्रमंडल के अभियंता लेगे तथा आवश्यक मरम्मती का प्राक्कलन के साथ जिलाधिकारी को समर्पित करेगें।	भवन निर्माण प्रमंडल
4	जीवनदायी संरचनाओं का मरम्मत/पुनर्निर्माण,	• संबंधित विभाग के पदाधिकारी क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन जिलाधिकारी को समर्पित करेगें।	संबंधित विभाग
5	निजी मकान	• निजी मकानो को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति का ब्योरा एकत्र करना।	अंचलाधिकारी
6	कृषि/	• फसल की पूर्ण क्षति या आंशिक क्षति का आकड़ा,	प्रखंड कृषि पदाधिकारी

	पशु संसाधन	रकबा एवं भू–मालिकों के व्योरा का संकलन। • पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मुल्याकंन करना।	बीमा कम्पनी
7	मेडिकल (भौतिक, मनोवैज्ञानिक)	• चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराई जायेगी। • आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराया जाए।	सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति
8	जीविका के साधन बहाल करना	• जीविका के साधन या उद्योग धंधे जो आपदा प्रवण क्षेत्र में स्थापित/संचालित हो उनको बीमित करना तथा उनके पुर्नवापसी हेतु आकलन तैयार करना।	बीमा कम्पनी, ग्रामीण विकास संभाग

8.2 पीड़ितो को राहत (Relief to the Victims) : भूकंप, बाढ, सुखाड़, अग्नि दहन आदि आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये है इसका संक्षिप्त विवरण का नीचे उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना इस योजना के साथ अनुलग्नक है।

- वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस॰डी॰आर॰एफ॰एवं एन॰डी॰आर॰एफ॰) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 को निर्गत।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जोन वाल राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदंड़ों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत। राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 को निर्गत।
- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात (Lightning) लू (Heat Wave) अतिवृष्टि(सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies) नदियों/तालाबों/गड्ढ़ों में डूबने से होने वाली म त्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/ अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।
- कुछ विशेष परिस्थितियों में अग्निकांड से प्रभावित पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित राहत का प्रावधान किया है–
  - आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के लिए मुआवजा,
  - अग्निकांड पीड़ितों के लिए विशेष राहत केन्द्र का संचालन,
  - अग्निकांड से होने वाले फसल क्षति के विरूद्ध अनुदान,
  - गैस लीक से अग्निकांड से पीड़ित को अनुदान,
- ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकंप से प्रभावितो को राहत वितरण के संबंध में अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है।

8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन (Restoration of Basic Infrastructures) : आधारभूत सरंचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क संपर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेसिंयों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेगे।

8.4 जीवन प्रदायी भवनो की मरम्मति (Repair/Reconstruction of Life Line Building) : बाढ़ एवं भूकंप से प्रभावित एवं क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैन्दिनी कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो उन भवनों को यथाशीघ्र मरम्मति कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपातकालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मति युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण : अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति तथा पुनर्निर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

जीविका का पुनर्स्थापन : आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फसल मारी जाती है। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होते है। आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्यायें वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, पशपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में तरजीह दी जा सकती है।

चिकित्सीय पुनर्स्थापन : आपदा के संघात से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने के लिए हर प्रकार की चिकीत्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। कभी–कभी इन हादसो के प्रत्यक्षदर्शी शारीरिक रूप से घायल न भी हो तो भी उन्हें गहरा मानसिक आघात लगता है जिसके चपेट में आने के उपरांत उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वे सामान्य काम–काज करने से असमर्थ पाये जाते हैं। इन मनो–सामाजिक संघातो से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा का भी समुचित प्रबंध किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

दीर्घकालिक पुनर्वापसी : बहु–आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यो से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुनर्वापसी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते है। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'कॉउसेलिंग' करने की आवश्यकता होगी ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

= = = = = =

अध्याय : 9

बजट एवं वित्तीय संसाधन

BUDGET & FINANCIAL RESOURCE

जिला आपदा प्रबंधन योजना के अंतगर्त बहु–आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु पूर्व तैयारियों की आवश्यकता है, साथ हीं इनके प्रभावों को कम करने के लिए न्यूनीकरण का सतत् प्रयास किया जाना है। इसके अलावा आपदा घटित हो जाने पर प्रशासन को ढेर सारी प्रत्युत्तर (रिस्पाँस) कार्य करना होता है। इन सभी परिस्थितियों में वित्त की आवश्यकता होगी। इस हेतु निधि के कौन–कौन से संभाव्य तरीके हो सकते है जिसकी पहचान करने की जरूरत है। इस अध्याय में विभिन्न कार्य–कलापों हेतु, निधि के श्रोत के बारे में उल्लेख किया गया है।

9.1 अधिनियम में प्रावधान : आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना की जायेगी। धारा –48(1) के अनुसार राज्य सरकार, "जिला प्राधिकरणों..... के लिए निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी"– (ख) जिला आपदा मोचन निधि; (घ) जिला आपदा शमन निधि। उसी प्रकार धारा–48(2) में वर्णन है कि उपधारा–(1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियाँ जिला प्राधिकरण को उपलब्ध है।

9.2 विभिन्न निधि स्त्रोत : इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (फंड) तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि(फंड) का प्रावधान किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आपदा न्यूनीकरण निधि(फंड) का प्रावधान का जिक्र है। इन निधियों से 'रिस्पॉस एवं मिटिगेशन' कार्यों हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। उपरोक्त कार्यो के लए अधिनियम में जिला स्तर पर भी निधि जारी करने का प्रावधान रखा गया है।

इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आपदाओं हेतु तय को गयी क्षतिपूर्ति राशि (मानदर 2015–20) को अपनाया है जिससे भुगतान किया जाता है। 14वीं वित्त आयोग के निदेश के अनुरूप राज्य सरकार ने कुछ स्थानीय आपदाएँ घोषित कर रखी है जिस हेतु 'रिस्पॉस फंड' में प्राप्त कुल राशि 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति खर्च में उपयोग किया जा सकता है।

आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी निधि उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही आपदा के उपरांत पुनर्निर्माण प्रक्रिया में यदा–कदा स्थानीय सांसदो हेतु उपलब्ध (प्रति सांसद/प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये) निधि का भी उपयोग किया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन योजना के तहत् निम्नलिखित शीर्षो में निधि की आवश्यकता पड़ सकती है। वे है –

- आधारभूत संरचना का निर्माण
- आवर्ती गतिविधियाँ
- खोज बचाव व राहत उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापन
- मरम्मत एवं रखरखाव
- स्थापना खर्च ।

9.3 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम (Central Govt. Plan & Non Plan Schemes) :–

क्र. सं.	संपोषित योजना का नाम	आपदा शमनीकरण कार्य में उपयोग होने वाली राशि	लागू करने वाल विभाग/संभाग/एजेंसी
1	**कृषि रोड मैप**	इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली फसलों पर असर तथा उसमें लाये जाने वाली बदलाव के कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है।	कृषि विभाग
2	**मनरेगा**	• पंचातय स्तर तक आधारभूत संरचना खड़ी करना एवं विभिन्न विभागों के काम का अभिमुखीकरण (Convergence)। इस निधि से पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन आदि गतिविधियों के कार्य किये जा सकते है। • सामाजिक वानिकी।	ग्रामीण विकास एंव पर्यावरण एवं वन

3	**सात निश्चय कार्यक्रम**	गली–नाली का स्थापन एंव हर घर नल का जल अंतगर्त पाईप से पानी की आपूर्त्ति।	ग्रामीण विकास, पंचायत राज एवं पेयजल एवं स्वच्छता
4	**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना**	फसल क्षति होने पर किसान कुछ विनित राशि देकर क्षतिपूर्ति पा सकते हैं।	कृषि विभाग
5	**बिहार राज्य फसल सहायता योजना**	20 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि।	सहकारिता
6	**शताब्दी अन्न कलश योजना–2011**	निर्धन, बुढ़े, विधवा, निराश्रित को सहायता।	आपदा प्रबंधन/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
7	**बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना**	आपदा की स्थिति में फसल के बर्बाद होने के कारण छोटे किसानों या बटाईदारों द्वारा मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने पर उनके परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ प्रदान करना।	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
8	**दीनदयाल अंत्योदय योजना जीविका**	महिला सशक्तिकरण । स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोगो को संबल बनाना।	ग्रामीण विकास विभाग, (रूरल लाईवलीहुड मिशन)
9	**आंगनवाड़ी**	इस माध्यम से छोटे बच्चे को तथा गर्भवती महिलाओं को पौ टक आहार उपलब्ध कराना।	कल्याण –आई.सी.डी.एस.
10	**लोहिया स्वच्छ बिहार योजना**	इस योजना के तहत ग्रामीण इलाको में सामुहिक व्यवहार परिवर्तन तथा स्वच्छता विषयक सुरक्षित आचार्य सुनिश्चित करने हेतु समुदाय स्तर पर प्रयत्न।	ग्रामीण विकास विभाग
11	**राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम**	पंचायत स्तर तक शुद्ध पेयजल हेतु संरचना निर्माण का स्थापन।	पेयजल एवं स्वच्छता
12	**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन**	चिकित्सालयों का निर्माण।	जिला स्वास्थ्य समिति
13	**मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम**	शिक्षक, स्कूली बच्चों आदि को आपदा जोखिम के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करना।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
14	**सर्व शिक्षा अभियान**	स्कूल तथा उसमें शौचालय एंव चापाकल स्थापन।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
15	**प्रधानमंत्री सिंचाई योजना**	सुखाड़ के दौरान सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना।	जल संसाधन
16	**आशा कार्यकर्त्ता**	गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सीय जरूरत पूरी करना।	जिला स्वास्थ्य समिति
17	**मिड–डे–मील योजना**	स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना।	मिड–डे–मील जिला कार्यक्रम
18	**प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण**	गरीबों के लिए (आपदा क्षति के तहत) आवास उपलब्ध कराना।	
19	**सांसद आद□ा ग्राम योजना**	सांसदो द्वारा अपने क्षेत्र के तीन गॉव को 2019 तक आद र्ा ग्राम के रूप में विकसित करना तथा 05 गॉवों का 2024 तक विकसित करना।	ग्रामीण विकास विभाग
20	**सड़क सुरक्षा निधि**	राज्य द्वारा विभिन्न वाहनों से कर/दंड शुल्क का कुछ अंश जिले में सड़क दुर्घटना के शमनीकरण हेतु उपयोग।	परिवहन विभाग
21	**चौदहवी वित्त आयोग(2015–20)**	प्राप्त निधि में से क्षमतावर्द्धन तथा स्थानीय आपदा हेतु क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराना।	आपदा प्रबंधन विभाग
22	**पांचवी राज्य वित्त आयोग(2015–20)**	पंचायत एवं स्थानीय निकाय के विकास हेतु उपलब्ध निधि से आपदा शमनीकरण का उपयोग।	पंचायती राज/नगर पालिका
23	**आपदा मोचन (Responce) निधि**	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48(1) एवं (2) के अनुरूप उपलब्धता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
24	**जिला आपदा शमन (Mitigation) निधि**	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48(1) एवं (2) के अनुरूप उपलब्धता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
25	**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम**	गरीबों को अनाज मुहैया कराना।	खाद्य एवं आपूर्ति

9.4 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदओंसे प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए निर्धारित साहाय्य मानदर।

पत्रांक 1प्रा0आ0–17/2015/1973/आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 26/5/15

विषयः **वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस0डी0आर0एफ0 एंव एन0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), जयसिंह रोड, नई दिल्ली के पत्रांक 32–7/2014–एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 के द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (एस0डी0आर0एफ0) तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फंड (एस0डी0आर0एफ0) से वर्ष 2015–2020 तक अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं तथा राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक–17.04.15 द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा मानदर निर्धारित किया गया है। इसमें माह फरवरी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति को भी सम्मिलित करते हुए नये मानदर के अनुसार अनुमान्य भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

2. उपर्युक्त संशोधित मानदर पर राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 32–7/2014–एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित निम्नांकित सहाय्य मानदर को दिनांक 01.04.2015 से राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। ***यह मानदर दिनांक 01.04.2015 तथा उसके उपरान्त घटित प्राकृतिक आपदाओं तथा माह फरवरी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति के लिए लागू होगा।***

D:\2015\Mandar 2015\New Mandar letter 2015-2020 (With English).doc Page 1

	(घ) जिन परिवारों का वस्त्र एवं बर्तन/घरेलु सामान बह गया हो/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुआ हो/ गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जलप्लावित रहा हो।	₹ 1,800.00 प्रति परिवार वस्त्र की क्षति के लिए ₹ 2,000.00 प्रति परिवार वर्त्तन/घरेलु सामान की क्षति के लिए
	e) Gratuitous relief for families whose livelihood is seriously affected.	**Rs.60** per adult and **Rs. 45** per child, not housed in relief camps. State Govt. will certify that (i) these persons have no food reserve, or their food reserves have been wiped out in the calamity, and (ii) identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries district-wise. Period for providing gratuitous relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/ pest attack. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year.
	(ड़) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान।	₹ 60.00 प्रति व्यस्क एवं ₹ 45.00 प्रति बच्चा जो राहत शिविर में नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रहे हैं। साथ ही, राज्य सरकार वैसे लाभार्थियो तक जिलावार पहुँचने के लिए आधार एवं प्रक्रिया तय करेगी। ➢ अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने की समय सीमा एस0डी0आर0एफ0 के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा तथा एन0डी0आर0एफ0 के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार तय होगी। ➢ सामान्य स्थिति में सहायता 30 दिनों के लिए दिया जा सकता है जिसे जरूरत पड़ने पर पहली वार 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा सूखा/ कीट आकमण के मामले में आवश्यकतानुसार इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना

		चाहिए।
2	**SEARCH & RESCUE OPERATIONS / खोज एवं बचाव कार्य**	
	(a) Cost of search and rescue measures/ evacuation of people affected/ likely to be affected	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). - By the time the Central Team visits the affected area, these activities are already over. Therefore, the State Level Committee and the Central Team can recommend actual/near-actual costs.]
	(क) खोज एवं बचाव उपायों की लागत/ आपदा प्रभावित/आपदा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों का निष्कासन।	वास्तविक खर्च के अनुरूप। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। ➢ जिस समय केन्द्रीय दल द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जाता है उस समय सहाय्य संबंधी गतिविधियाँ समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए राज्य स्तरीय समिति और केन्द्रीय दल वास्तविक/लगभग वास्तविक लागत की अनुशंसा कर सकते हैं
	(b) Hiring of boats for carrying immediate relief and saving lives.	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). The quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred on hiring boats and essential equipment required for rescuing stranded people and thereby saving human lives during a notified natural calamity.
	(ख) जीवन रक्षा एवं तत्काल राहत पहुँचाने हेतु भाड़े के नाव की व्यवस्था	वास्तविक लागत के अनुरूप। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। ➢ सहाय्य की मात्रा आपदा में फसे लोगों के निष्कासन तथा उनके जीवन रक्षा के लिए नाव के भाड़े एवं आवश्यक सामग्रियों पर वास्तविक व्यय तक सीमित होगी।
3	**RELIEF MEASURES/ राहत कार्य**	
	a) Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, etc. for people affected/ evacuated and sheltered in relief camps.	As per assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF), for a period up to 30 days. The SEC would need to specify the number of camps, their duration and the number of persons in camps. In case of continuation of a calamity like drought, or

		widespread devastation caused by earthquake or flood etc., this period may be extended to 60 days, and upto 90 days in cases of severe drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year. Medical care may be provided from National Rural Health Mission (NRHM).
	(क) आपदा प्रभावित/निष्कासित/राहत शिविरों में आश्रय लिए लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्रा, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था।	30 दिनों तक के लिए एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा राहत शिविरों की संख्या, उनकी अवधि एवं शिविर में लोगों की संख्या निर्दिष्ट किया जाएगा। सूखे की तरह निरंतर आपदा की स्थिति/ भूकम्प/ बाढ से बडे पैमाने की तवाही की स्थिति में सहाय्य की अवधि 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा गंभीर सूखे के मामले में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए। चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) द्वारा दिया जा सकता है।
	b) Air dropping of essential supplies	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Ministry of Defence for airdropping of essential supplies and rescue operations only.
	(ख) आवश्यक राहत सामग्रियों का वायुयान के माध्यम से वितरण।	➢ एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । ➢ सहायता की मात्रा (Quantum) सिर्फ आवश्यक आपूर्ति हेतु air dropping और सिर्फ बचाव कार्य में प्रयुक्त वायुसेना/अन्य एयरक्राफ्ट प्रदान करने वाले के वास्तविक बिल तक ही सीमित रहेगी।
	c) Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas	As per actual cost, based on assessment of need by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), up to 30 days and may be extended upto 90 days in case of drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time

		period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year.
	(ग) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्ति	एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । 30 दिनों के लिए और सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए।
4	**CLEARANCE OF AFFECTED AREAS/ प्रभावित क्षेत्रों की सफाई**	
	a) Clearance of debris in public areas.	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team for assistance to be provided under NDRF
	(क) सार्वजनिक क्षेत्रों में मलवा की सफाई	सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
	b) Draining off flood water in affected areas	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team(in case of NDRF).
	(ख) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल की निकासी	सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
	c) Disposal of dead bodies/ Carcases	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).
	(ग) मानव शवों/ एवं मृत पशुओं का निष्पादन।	वास्तविकता के अनुरूप एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
5	**AGRICULTURE/ कृषि**	
(i)	**Assistance farmers having landholding upto 2 ha./ 2**	

	हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारक कृषकों को साहाय्य।	
I	**Assistance for land and other loss/ भूमि एवं अन्य क्षति हेतु सहाय्य**	
	a). De-silting of agricultural land (where thickness of sand/ silt deposit is more than 3", to be certified by the competent authority of the State Government.)	**Rs. 12,200/-** per hectare for each item. (Subject to the condition that no other assistance/ subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary under any other Government Scheme)
	b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas	
	c) De-silting/ Restoration/ Repair of fish farms	
	(क) कृषि योग्य भूमि का डिसिल्टिंग (जहाँ बालू/सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो)	₹ 12,200.00 प्रति हेक्टर प्रत्येक मद के लिए (बशर्ते कि किसी सरकार के किसी अन्य योजना द्वारा सहायता पाने योग्य न हों या सहायता / सब्सिडी न प्राप्त कर लिया हो)
	(ख) पहाड़ी क्षेत्रों के कृषि योग्य भूमि से डेवरिस (मलवा) हटाने के लिए	
	(ग) मछली फार्मों का डिसिल्टिंग/ पुनर्स्थापना/ मरम्मति	
	d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers.	**Rs. 37,500/-** per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records.
	(घ) भूस्खलन/बर्फ का पहाड़ से खिसकना, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति।	₹ 37,500.00 प्रति हेक्टर सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाएगा, जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रभावित भूमि के वैध मालिक हैं।
B	**Input subsidy (where crop loss is 33% and above)/ इनपुट सब्सिडी (जहाँ फसल क्षति 33%) या उससे अधिक हुआ हो।)**	
	a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	**Rs. 6,800/-** per ha. in rainfed areas and restricted to sown areas . **Rs. 13,500/-** per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs.1000 and restricted to sown areas.
	(क) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (Horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए	₹ 6,800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित। ₹ 13,500/– प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 1000/–रू0 से कम नहीं दी जाएगी ।

	b) Perennial crops	**Rs. 18,000/-** ha. for all types of perennial crops subject to areas being sown and subject to minimum assistance not less than Rs 2000/- and restricted to sown areas
	(ख) शाश्वत फसल (Perennial crops) के लिए	₹ 18,000/– प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 2000/–रू0 से कम नहीं दी जाएगी । बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित।
	c) Sericulture	**Rs. 4,800/-** per ha. for Eri, Mulberry, Tussar **Rs. 6,000/-** per ha. for Muga.
	(ग) सेरीकल्चर (रेशम) के लिए	₹ 4,800/– प्रति हेक्टेयर "इरी" "मलवेरी" एवं "तसर" के लिए ₹ 6,000/– प्रति हेक्टेयर मूंगा के लिए
(ii)	**Input subsidy to farmers having more than 2 ha of landholding.**	**Rs.6,800/-** per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas . **Rs.13,500/-** per hectare for areas under assured irrigation and restricted to sown areas **Rs. 18000/-** per hectare for all types of perennial crops and restricted to sown areas - Assistance may be provided where crop loss is 33% and above, subject to a ceiling of 2 ha. per farmer.
(ii)	कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि उपलब्ध हो।	₹ 6,800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 13,500/– प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 18,000/– प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। 33 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 2 हेक्टेयर प्रति कृषक।
6	**ANIMAL HUSBANDRY - ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS/ पशुपालन – लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता**	
	i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage.	***Milch animals*** - **Rs.30,000/-** Buffalo/ cow/ camel/ yak/Mithun etc. **Rs.3,000/-** Sheep/ Goat/Pig

		Draught animals - **Rs.25000/-** Camel/ horse/ bullock, etc. **Rs.16,000/-** Calf/ Donkey/ Pony/ Mule - The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals and will be subject to a ceiling of 3 large milch animal or 30 small milch animals or 3 large draught animal or 6 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government). ***Poultry:-*** Poultry **@ 50/- per bird** subject to a ceiling of assistance of **Rs 5000/-** per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity. *Note:* - Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners.
	i) अदुग्धकारी/ दुग्धकारी या ढुलाई के कार्यों में उपयोग में आने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन।	**दूध देने वाला जानवर** भैंस/गाय/ऊँट/याक/मिथुन इत्यादि ₹ 30,000/- की दर से भेंड़/बकरी ₹ 3,000/- की दर से **अदुग्धकारी जानवर** ऊँट/घोड़ा/बैल इत्यादि ₹ 25,000 की दर से बछड़ा/गदहा और टट्टू ₹ 16,000 की दर से सहाय्य आर्थिक रूप से उत्पादक जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी और यह 3 बड़े अदुग्धकारी जानवर या 30 छोटे अदुग्धकारी जानवर या 3 बड़े अदुग्धकारी जानवर या 6 छोटे अदुग्धकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी। चाहे जानवरों की क्षति की संख्या बड़ी क्यों न हो (क्षति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी) **पॉल्ट्री** ₹ 50/– प्रति चिड़ियाँ की दर से यह सहायता प्रत्येक लाभुक परिवारों को 5000/– रू0 की अधिकतम सीमा

		के अंतर्गत। पॉल्ट्री चिड़ियों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होने पर अनुदान देय होगा। **टिप्पणीः–** इन मानदरों के अंतर्गत सहाय्य अनुमान्य नहीं होगा यदि किसी अन्य सरकारी योजना यथा चिड़ियों की क्षति पक्षी इन्फ्लुएंजा के कारण या किसी अन्य बीमारियों के कारण हुई हो जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा पॉल्ट्री मालिको को क्षति पूर्ति करने हेतु कोई अलग योजना हो।
	ii) Provision of fodder / feed concentrate water Supply and medicines in cattle camps.	Large animals- **Rs. 70/-** per day Small animals- **Rs. 35/-** per day, Period for providing relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period for assistance will be upto 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance and in case of severe drought up to 90 days. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit, subject to the stipulation that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year. Based on assessment of need by SEC and recommendation of The Central Team, (in case of NDRF) consistent wih estimates of cattle as per Livestock Census and subject to the certificate by the competent authority about the requirement of medicine and vaccine being calamity related.
	ii) पशु शिविरों में पशुचारा / feed concentrate सहित जलापूर्ति एवं औषधि हेतु।	बड़ा पशु ₹ 70/– प्रतिदिन की दर से । छोटा पशु ₹ 35/– प्रतिदिन की दर से । साहाय्य प्रदान करने हेतु समय सीमा राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा एवं केन्द्रीय दल द्वारा (एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु) आंकलन किया जाएगा। सहायता के लिए सामान्य अवधि 30 दिनों की होगी जिससे पहली बार में 60 दिनो तक एवं गंभीर सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है। जमीनी स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा का अवधि विस्तार कर सकती है। कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा जरूरत के आकलन एवं केन्द्रीय दल की सिफारिश (एन0डी0आर0एफ0 के मामले

		में) पशुधन की गणना के अनुसार एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के अनुसार आवश्यक दवा एवं टीकाकरण संबंधित आपदा के अनुरूप दिया जायेगा।
	iii) Transport of fodder to cattle outside cattle camps	As per actual cost of transport, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census.
	iii) पशु शिविर के बाहर पशुचारे का परिवहन	वास्तविक परिवहन लागत के अनुरूप, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एपफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा । यह अनुदान पशु गणना के आकलन पर आधरित होगा।
7	**FISHERY/ मत्स्य पालन**	
	i) Assistance to Fisherman for repair / replacement of boats, nets – damaged or lost -- Boat -- Dugout-Canoe -- Catamaran -- net (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.)	**Rs. 4,100/-** for repair of partially damaged boats only **Rs.2,100/-** for repair of partially damaged net **Rs.9,600/-** for replacement of fully damaged boats **Rs.2,600/-** for replacement of fully damaged net
	(i) मछुआरों के लिए नाव, जाल, आदि का मरम्मती / पुर्नस्थापन– क्षतिग्रस्त या खो जाने पर – • नाव • डोगी • कटमरैन • जाल (यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अच्छादित है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा।)	₹ 4,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए ₹ 2,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए ₹ 9,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नाव के प्रतिस्थापन के लिए ₹ 2,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए

	ii) Input subsidy for fish seed farm	**Rs. 8,200** per hectare. (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Department of Animal; Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture.)
	(ii) मछली जीरा फार्म के लिये इनपुट सब्सिडी	₹ 8,200/- प्रति हेक्टर (यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अनुदान/सहायता प्राप्त कर लिए है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा। अपवाद –यदि किसी ने एक बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय के योजना के तहत एक बार अनुदान प्राप्त किया है।)
8	**HANDICRAFTS/HANDLOOM – ASSISTANCE TO ARTISANS/** हस्तशिल्प/ हस्तकरघा– कारीगरों के लिए सहायता	
	i) For replacement of damaged tools/ equipment	**Rs. 4,100** per artisan for equipments. - Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and its replacement.
	(i) क्षतिग्रस्त उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए	₹ 4,100/– प्रति शिल्पी बशर्ते यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो।
	ii) For loss of raw material/ goods in process/ finished goods	**Rs. 4,100** per artisan for raw material. - Subject to certification by Competent Authority designated by the State Government about loss and its replacement.
	(ii) कच्चे माल/ प्रकियाधीन माल/ तैयार माल के क्षति के लिए	₹ 4,100/– प्रति शिल्पी कच्चे माल के लिए बशर्ते यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो।
9	**HOUSING/ अवास/मकान**	
	a) **Fully damaged/ destroyed houses**	
	i) Pucca house ii) Kutcha House	**Rs. 95,100/-** per house, in plain areas. **Rs. 95,100/-** प्रति मकान, मैदानी क्षेत्रों के लिए
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान	**Rs.1,01,900/-** per house, in hilly areas

	(i) पक्का मकान (ii) कच्चा मकान	including Integrated Action Plan (IAP) districts. **Rs.1,01,900/-** प्रति मकान, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, आई0ए0पी0 जिलो सहित
	b) **Severely damaged houses**	
	i) Pucca House ii) Kutcha House	
	(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पक्का मकान (ii) कच्चा मकान	
	(c) **Partially Damaged Houses –**	
	(i) Pucca (other than huts) where the damage is a at least 15%	**Rs. 5,200/-** per house
	(ii) Kutcha (other than huts) where the damage is a at least 15%	**Rs. 3,200/-** per house
	(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान ।	
	(i) पक्का (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो	₹ 5,200/– प्रति मकान
	(ii) कच्चा (झोपडी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो	₹ 3,200/– प्रति मकान
	d) **Damaged / destroyed huts:**	**Rs. 4,100/-** per hut, *(Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/ District authorities.)* *Note*: -The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government
	(घ) क्षतिग्रस्त /बर्बाद झोपड़ी	₹ 4,100/– प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का मतलब– अस्थायी, बनाकर हटाने वाला ईकाई, कच्चा मकान का आंतरिक भाग, फूस, गीली मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/ जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने, पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है) टिप्पणी: क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित एक प्राधिकृत संरचना होनी चाहिए।
	e) Cattle shed attached with house	**Rs.2,100/-** per shed.
	(ड़) घर के साथ संलग्न पशु शेड	₹ 2,100/– प्रति पशु शेड

10	**INFRASTRUCTURE/** अधारभूत संरचना	
	Repair/restoration (of immediate nature) of damaged infrastructure: (1) Roads & bridges (2)Drinking Water Supply Works, (3) Irrigation, (4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Schools, (6) Primary Health Centres, (7) Community *assets owned by Panchayat.* Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/ restoration works from their own funds/ resources, are excluded.	**Activities of immediate nature :** Illustrative lists of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed **Appendix.** ***Assessment of requirements :*** Based on assessment of need, as per States' costs/ rates/ schedules for repair, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - As regards repair of roads, due consideration shall be given to Norms for Maintenance of Roads in India, 2001, as amended from time to time, for repairs of roads affected by heavy rains/floods, cyclone, landslide, sand dunes, etc. to restore traffic. For reference these norms are • Normal and Urban areas: upto 15% of the total of Ordinary Repair (OR) and Periodical Repair (PR) • Hills: upto 20% of total of OR and PR. • In case of repair of roads, assistance will be given based on the notified Ordinary Repair (OR) and Periodical Renewal (PR) of the State. In case OR & PR rate is not available, then assistance will be provided @ Rs 1 lakh/km for state Highway and Major District Road and @Rs. 0.60 lakh/km for rural road. The condition of "State shall first use its provision under the budget for regular maintenance and repair" will no longer be required, in view of the difficulties in monitoring such stipulation, though it is a desirable goal for all the States. • In case of repairs of Bridges and Irrigation works, assistance will be given as per the schedule of rates notified by the concerned States. Assistance for micro irrigation scheme will be provided @ Rs. 1.5 lakh pe damaged scheme. Assistance for restoration of damaged medium and large irrigation projects will also be given for the embankment portions, on par with the case

		of similar rural roads, subject to the stipulation that no duplication would be done with any ongoing schemes. • Regarding repairs of damaged drinking water schemes, the eligible for assistance @ Rs 1.5 lakh/damaged structure. • Regarding repair of damaged primary and secondary schools, primary health centres, Anganwadi and community assets owned by the Panchayats, assistance will be given @ Rs 2 lakh/damaged structure. • Regarding repair of damaged power sector, assistance will be given to damaged conductors, polets and trasfrormers upto the level of 11 kV. The rate of assistance will be @ Rs. 4000/poles, Rs 0.50 lakh per km of damaged conductor and Rs. 1.00 lakh per damaged distribution transformer.
	अधारभूत संरचनाओं का मरम्मति/पुनर्स्थापन (तत्काल प्रकृति के) (1) सड़क और पुल (2) पेय जलापूर्ति कार्य (3) सिंचाई, (4) उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विद्युत आपूर्ति पुनर्स्थापित करने तक ही सीमित), (5) विद्यालय, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत की सामुदायिक परिसम्पतियॉं। Telecommunication और उर्जा जैसे Sectors (तत्काल विद्युत आपूर्ति के पुनःस्थापन को छोड़कर) जो अपना राजस्व अर्जत करते हैं और तत्काल मरम्मति पुनः स्थापन कार्य अपनी निधि/ स्रोत से करते हैं वे सहायता पाने से वर्जित (excluded) है।	**तत्कालिक प्रकार के क्रियाकलाप :** तत्कालिक प्रकृति के कार्यो (Work of an immediate nature) की सूची संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है। **आवश्यकताओं का आंकलन :** आवश्यकताओं के आकलन पर राज्यों की लागत/ दर के आधर पर मरम्मति हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा सिफारिश किया जायेगा एवं एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जायेगा। ➢ सड़कों की मरम्मति के संबंध मे भारत में सड़क मरम्मति नॉर्मस 2001 में निर्धारित रख–रखाव के मानदंड के अनुरूप भारी बारिस/ बाढ़/ चक्रवात/ भूस्खलन/ रेत टिला आदि के दौरान यातायात बहाल करने के लिए निम्न मानदंडों का पालन किया जाय: • सामान्य एवं शहरी क्षेत्र : कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चक्रिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 15 प्रतिशत • पहाड़ी क्षेत्र– कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चक्रिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 20 प्रतिशत

		• सड़कों की मरम्मति के मामले में सहायता अधिसूचित साधारण मरम्मत (OR) राज्य के आवधिक नवीकरण (PR) के आधार पर दिया जाएगा। यदि OR एवं PR दर उपलब्ध नहीं है तब सहायता राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला रोड के लिए रू0 1.00 लाख/कि0मी0 एवं ग्रामीण सड़कों के लिए रू0 0.60 लाख/कि0मी0 की दर से दिया जाएगा। राज्य पहले अपने बजट प्रावधान में नियमित रख–रखाव एवं मरम्मति के लिए उपबंधित राशि का उपयोग करेगा। तत्पश्चात राशि का मांग किया जा सकेगा। • पुल एवं सिंचाई के कार्यों में मरम्मति के मामले में सहायता संबंधित राज्यों द्वारा अधिसूचित दर अनुसूची के अनुसार दिया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए सहायता रू0 1.50 लाख प्रति परियोजना दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त मध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की बहाली के लिए भी सहायता तटबंध भाग के लिए दिया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण सड़कों के मामलों में भी सहायता दिया जाएगा, परन्तु किसी परियोजना के मामलों में दोहराव नहीं किया जाएगा। • क्षतिग्रस्त पेयजल की योजनाओं के मामले में मरम्मत हेतु सहायता रू0 1.50 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना अनुमान्य होगा। • क्षतिग्रस्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायतों के स्वामित्व वाले आंगनबाड़ी और समुदाय की सम्पति की मरम्मति हेतु सहायता रू0 2.00 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना दिया जाएगा। • क्षतिग्रस्त विद्युत क्षेत्र के मामले में मरम्मत हेतु सहायता 11 KV के ट्रांसफॉर्मर, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर, एवं पोल के लिए दिया जाएगा। सहायता की दर रू0 4,000 प्रति पोल, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर के लिए रू0 0.50 लाख प्रति कि0मी0 तथा क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफॉर्मर के लिए रू0 1.00 लाख प्रति ट्रांसफॉर्मर देय होगा।
11.	**PROCUREMENT/ खरीद**	

		SDRF.
	आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक खोज, बचाव, निष्कासन के उपकरण एवं संचार उपकरणों सहित का क्रय	➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर 0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12	**Capacity Building / क्षमता निर्माण**	Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC) - The total expenditure on this item should not exceed 5% of the annual allocation of the SDRF.
		➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर 0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Note: (i) The State Governments are to take utmost care and ensure that all individual beneficiary-oriented assisace is necessary/ mandatory disbursed through the bank account (viz; Jan Dhan Yojana etc.) of the beneficiary.

3. पूर्व की भांति वर्त्तमान में केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 1 (ड) के आलोक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 1 क्वींटल खाद्यान्न (50 किलोग्राम गेहूँ एवं 50 किलोग्राम चावल) के अतिरिक्त 3000/– (तीन हजार) रूपये नगद अनुदान मद में दिया जाएगा।

4. भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014 एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानदर विभागीय अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक 17.04.2015 द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disaster) यथा– वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/ गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना के घटित होने की दशा मे भी उपरोक्त मानदर जो 2015 से

2020 तक के लिए है वह राज्य में दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से लागू होगा तथा एस0डी0आर0एफ0 / एन0डी0आर0एफ0 से उसी के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

5. पूर्व में निर्गत मानदर सबंधी सभी आदेश निरस्त समझा जाय।

6. यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी मद का मानदर भारत सरकार के मानदर से अधिक निर्धारित किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई मद स्वीकृत किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदो की सूची में नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानदर/मद ही प्रभावित होंगे।

26/5

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

APPENDIX
(Item No. 10)
Illustrative list of activities identified as of an immediate nature.

1. Drinking Water Supply :

i) Repair of damaged platforms of hand pumps/ring wells/ spring-tapped chambers/public stand posts, cisterns.

ii) Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).

iii) Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intake – structure, approach gantries/jetties.

2. Roads

i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.

ii) Repair of breached culverts.

iii) Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.

iv) Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges., repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.

3. Irrigation :

i) Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cement, sand bags and stones.

ii) Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/ embankments.

iii) Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.

iv) Repair of embankments of minor, medium and major irrigation projects.

4. Health :

Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs/ community Health Centres.

5. Community assets of Panchayat

a) Repair of village internal roads.

b) Removal of debris from drainage/sewerage lines.

c) Repair of internal water supply lines.

d) Repair of street lights.

e) Temporary repair of primary schools, Panchayat ghars, community halls, *anganwadi*, etc.

6. Power: Poles/ conductors and transformers upto 11 kv.

*****

(परिशिष्ट मद संख्या–10 का)

तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (कार्यकलापों) की विस्तृत सूचीः–

1. पेय जलापूर्त्तिः
   I. हैन्डपम्पों के क्षतिग्रस्त चबूतरों /रिंगवेल्स/स्प्रिंग–टैप्ड चेम्बर्स/पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट/जल–कुण्डों (Cisterns) की मरम्मति।
   II. क्षतिग्रस्त पाईप लेन्थ (नई पाईप लेन्थ, स्वच्छ जलाशय की सफाई सहित) के प्रतिस्थापन सहित क्षतिग्रस्त स्टैण्ड पोस्ट का पुनःस्थापन (लीक प्रूफ बनाने हेतु)।
   III. क्षतिग्रस्त पैंपिंग मशीन, चूने वाले जलाशय और वाटर पंप (क्षतिग्रस्त इनटेक सहित) की मरम्मति।
2. सड़कः
   I. दरार (Breaches) और सड़क के गड्ढे को (Potholes) भरना, जलमार्ग बनाने हेतु पाईप का उपयोग, तटबंधें की मरम्मति और स्टोन पीचिंग।
   II. दरारयुक्त टूटे पुलियों की मरम्मति।
   III. तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त/बह गए पुलों के अंश भाग पर दिक् परिवर्तन (Diversion) बनाना।
   IV. तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु पुल/पुल के तटबंधों के समीप अस्थायी मरम्मति, क्षतिग्रस्त रेलिंग ब्रीज की मरम्मति/काउजवेज (Causeways) की मरम्मति कराना/यातायात को पुनः स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त सड़क पर छाई बिछाना।
3. सिंचाईः
   I. क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं की तत्कालिक मरम्मति और नहरों और छोटे जलाशयों का मिट्टी, सीमेंट, बालू के बोरों एवं पत्थरों से किया जाने वाला मिट्टी/राज मिस्त्री का कार्य।
   II. बंध/तटबंध के कमजोर स्थलों पर (यथा पाईपींग या रैट होल्स) की मरम्मति।
   III. नहर और जल निकासी तंत्र से वनस्पति सामग्री/मकान बनाने की सामग्रियाँ/मलबों का बाहर निकालना।
   IV. शूक्ष्म, मध्यम एवं वृहत सिंचाई परियोजनाओं के तटबंधों की मरम्मति।
4. स्वास्थ्यः
   क्षतिग्रस्त पहुँचाव पथों/भवनों और लोक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मति।
5. पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियाँः
   (क) गाँव के आंतरिक सड़को की मरम्मति।
   (ख) Drainage/Sewerage से मलबों को हटाना।
   (ग) आंतरिक जलापूर्त्ति लाईन की मरम्मति।
   (घ) स्ट्रीट लाईट की मरम्मति।
   (ङ) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों, सामुदायिक हॉल, आंगनबाड़ी केन्द्रों इत्यादि की अस्थायी मरम्मति।
6. ऊर्जा : पोल/ कन्डकटर एव 11 केवी के ट्रांसफॉर्मर।

7- The assistance will be considered as per the merit towards the following activities:

	Items/ Particulars	Norms of assistance will be adopted for immediate repair
i)	Damage primary school building Higher secondary/ middlc/ collegc and other educational	Up to Rs. 1.50 lakh/unit
ii)	Primary Health Centre	Upto Rs. 1.50 lakh/unit
iii)	Electric poles and wires etc.	Normative cost (upto Rs 4000 per pole and Rs 0.50

9.5 अन्य श्रोत (Other Options) : इसके अतिरिक्त बीमा निगम के विभिन्न योजना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय

vi)	Rural road/bridge	Rs. 0.00 lakh/km
vii)	Drinking water scheme	Upto 1.50 lakh/unit
viii)	Irrigation Sector: Minor irrigation schemes/Canal Major irrigation scheme Flood control and anti Erosion Protection work	 Upto Rs. 1.50 lakh/scheme Not covered Not covered
ix)	Hydro Power Project/HT Distribution systems/Transformers and sub stations	Not covered
x)	High Tension Lines (above 11 kv)	Not covered
xi)	State Govt. Buildings viz. departmental/office building, departmental/residential quarters, religious structures, patwarkhana, Court premises play ground, forest bungalow property and animal/bird sanctuary etc.	Not covered
xii)	Long terms/Permanent restoration work incentive	Not covered
xiii)	Any new work of long term nature	Not covered
xiv)	Distribution of commodities	Not covered (however, there is a provision for assistance as GR to families in dire need of assistance after a disasters).
xv)	Procurement if equipments/machineries under NDRF	Not covered
xvi)	National Highways	Not covered (Since GOI born entire expenditure towards restoration works activities)
xvii)	Fodder seed to augment fodder production	Not covered

* If OR & PR rates are not provided by the State.

D:\2015\Mandar 2015\New Mandar letter 2015-2020 (With English).doc Page 21

9.5 अन्य श्रोत (Other Options) : इसके अतिरिक्त बीमा निगम के विभिन्न योजना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा राहत कोष में प्राप्त निधि को इन कार्यो में उपयोग किया जा सकता है।

= = = = = =

अध्याय–10

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण
MONITORING, EVALUATION & UPDATION

निगरानी और मूल्यांकन महत्वपूर्ण कार्यो में से एक है। यह किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन वि `ोश रूप से आपदा प्रबंधन योजना जैसी महत्वपूर्ण विषय की गुणवत्ता का वृद्धि करता है। प्रत्येक योजना में परिकल्पित (Envisaged) लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उस योजना के क्रियान्वयन काल में इसका सतत् अनुश्रवण अत्यंत आवश्यक है।

यदि भविष्य में भी या पुनः इसी योजना को क्रियान्वित करनी पड़े तो पूर्व में क्रियान्वित योजना का मूल्यांकन कर यह जाना जा सकता है कि किस हद तक परिकल्पित लक्ष्यों, उद्देश्यों को हासिल किया गया। अतः सतत् क्रियान्वित होने वाली योजना का समय–समय पर मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण जरूरी एवं लाभप्रद होता है। जिला आपदा प्रबंधन योजना बार–बार घटित होने वाली आपदा से जनता को अक्षुण रखने तथा आपदा जोखिम में उत्तरोत्तर कमी लाने के उद्देश्य से क्रियान्वित होने वाली योजना है। अतः इसका सतत् अनुश्रवण, निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जायेगा। इस योजना की निगरानी और मूल्यांकन संबंधित विभागों/संस्थाओं आदि के साथ कई स्तरों पर किया जाएगा।

10.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन (Guidelines for Monitoring & Evaluation of the Plan) : योजना का सतत् अनुश्रवण एवं आवर्ती मूल्यांकन के लिए निम्नांकित चरणवद्ध कार्रवाई की जायगा–

10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारायें :–

31(4) – जिला योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन (Review) किया जायेगा आर अद्यतन (Update) किया जायगा।

31(5) – उपधारा(2) और उपधारा(4) में निदिंष्ट जिला योजना की प्रतियाँ जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायगी।

31(6) – जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे यह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

31(7) – जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 32 – जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये–

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) करेंगें और उसे अद्यतन (Update) करेंगें।

10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन :– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन क लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी खास माह में प्रबल रूप से घनीभूत होती हैं और कुछ आपदायें बिना किसी पूर्व सूचना/आभास के अचानक घटित हो जाती है। दोनों तरह की आपदाओं की जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनप्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है। भूतकाल के अच्छे प्रयासों को पुनः दुहराया जाता है तथा अप्रभावी प्रयासों को तिरस्कृत किया जाता है।

प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के पश्चात् इसका दस्तावेजीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनो तरह के प्रयासो की विवेचना की जानी चाहिये । इन समीक्षा दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जाना श्रेयस्कर होगा।

10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना का प्रभावशीलता की जाँच :– प्रभावशीलता (Effectiveness) किसी कार्यक्रम की सफलता की दर होती है, जबकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा प्रयासो (Efforts) का अनुपात सक्षमता (Efficiency) का संकेत देता है। प्रत्येक प्रचंड आपदा से निबटने के उपरांत आपदा विशेष से निबटने हेतु योजना में किये गये प्रावधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस मूल्यांकन स यह जाना जा सकता है कि कौन से उपाय, उपस्कर या कार्यविधि आपदा मोचन, पुनप्राप्ति या पुनर्स्थापन कार्यो में अधिक सक्षम एवं कारगर साबित हुयें है। भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को बेहिचक दुहराया जा सकता है अथवा अन्य किसी आपदा प्रभावित समतुल्य स्थल पर भी इन्हें दुहराया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई उपाय उपस्कर या क्रियाविधि कारगर साबित नहीं होते है या आपदा की विभिषिका को घटाने की बजाय बढ़ा देते है तो भविष्य के लिए या समतुल्य अन्य स्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजना में उसे प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

10.1.4 जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा अन्य) सूची को अद्यतन करना :– जिला अंतर्गत कार्यरत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य औद्योगिक, सैन्य एवं असैनिक प्रतिष्ठानों के कर्मठ कर्मी एवं पदाधिकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र–छात्रा तथा शिक्षक–प्राध्यापक, अस्पतालों एवं निजी नर्सिग होम में कार्यरत चिकित्सा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के बीच से ही आपदा के दौरान सहायता करने के लिए प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) तैयार किये जा सकते हैं। इनमें से चुने हुये कर्मियो/स्वयसेवकों को आपदा मोचन की विभिन्न कार्यो में सहयोग हेतु प्रशिक्षित कर उनकी सूची योजना के परिशिष्टों में उपलब्ध रहनी चाहिये। इसी प्रकार आपदा मोचन में सहायक विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े उपस्करों की सूची भी योजना के परिशिष्ट पर संधारित रहनी चाहिये। समय–समय पर कर्मियों का स्थानान्तरण होने या सेवानिवृत होने के कारण पुराने प्रशिक्षित कर्मी की जगह नये पूर्व प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित कर्मी उनका स्थान ग्रहण करते है। उपस्करों में भी नये की खरीद तथा पुराने अनुपयोगी उपस्कर का निपटान किया जाता है। अतः इस संसाधन सूची को भी नियमित रूप से अध्यतन करना जरूरी है।

10.1.5 नियमित मॉकड्रील तथा प्रयास द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच (Regular Mock-drills & Exercises to Test Efficacy of the Plan) :– योजना में परिकल्पित परिस्थिति विशेष म प्रभावी उपायों/उपस्करों की वास्तविक प्रभावकता वास्तविक आपदा के दौरान अक्षुण बनी रहे इस उद्देश्य से यह जरूरी है कि वास्तविक आपदा घटित होने के पूर्व एक परिकल्पित आपदा की परिस्थितियों में सभी हितभागियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के बीच समन्वय हासिल करने को एक या अधिक बार मॉकड्रील तथा पूर्वाभ्यास किया जाय। इस पूर्वाभ्यास के दौरान समन्वय में तथा उपस्करों की प्रभावकता में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसे दूर करने का प्रयास सफलतापुर्वक किया जा सकता है तथा पुर्वाभ्यास की पुनरावृति कर इसके प्रभावकता की पुनः जाँच भी कर ली जा सकती है। ऐसा करते रहने से आकस्मिक आपदा के दौरान उससे निबटने के लिए ट्रिगर मेकेनिज्म तथा परस्पर निर्भर उत्तरदायित्वों का समन्वय सर्वोत्तम तरीके से कार्य करता है। योजना की सफलता की गारंटी सुनिश्चित करता है।

10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नियमित उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण (Regular Training of Officials for Plan Implementation of Plan) :– जिलान्तर्गत आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों का नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

10.1.7 योजना का अद्यतनीकरन (Updation of Plan) :– जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र आपदा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, संधारण तथा विश्लेषण का कार्य करेगी। भीषण आपदाओं के दौरान कार्यान्वित आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलत तथा प्रयासो की सक्षमता का मूल्यांकन दस्तावेज (Documentation) के आधार पर सबसे अधिक सक्षम आपदा मोचन एवं शमनीकरण कार्यक्रमों जिसमे लागत के रूप में कम से कम धन, समय, मानव संसाधन आदि लगाना पड़ा हो, उसे प्राथमिकता प्रदान करते हुये योजना को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण (Circulation) :– सभी हितधारकों को योजना के प्रति उपलब्ध कराते हुये उन्हें उनके उत्तरदायित्वों तथा भूमिका के संबंध में जागरूक करने का कार्य सतत् जारी रखा जायेगा। पंचायत प्रखंड तथा जिला स्तर पर सक्रिय हितभागियो के लिए समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार माध्यमों के सहारे भी आपदा के पूर्व सूचना के साथ क्या करें और क्या न करें इस बात की जानकारी प्रसारित की जायेगी।

10.1.9 समन्वय (Co-ordination) :– सभी हितभागी एजेसियों/विभागो के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय बनाये रखना प्रभावी आपदा मोचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अद्यतन बनाये रखने का सभी उपक्रम प्राथमिकता के तौर पर किये जायेगें। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर गठित आपातकालीन संचालन दल के मुखिया (Commander) जवाबदेह होगें दल में शामिल सदस्य कमांडर के निर्देशो का पालन करेगें।

10.1.10 जन जागरूकता (Public Awareness) :– जिला आपदा प्रबंधन योजना को जिला के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा । इसके परिशिष्टों की सूची से परिशिष्टों के विवरण को लिंक कर दिया जायेगा। आपदा की स्चना इंटरनेट द्वारा जिला के वेबसाईट पर दर्ज करने तथा वहीं आपदा की स्थिति में स्व सुरक्षा तथा सामूहिक सुरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधनियों का प्रमुखता से उल्लेख किया जायेगा।

= = = = = =